काला पानी का
ऐतिहासिक दस्तावेज

काला पानी का ऐतिहासिक दस्तावेज

रामचरणलाल शर्मा

संपादन

सुधीर विद्यार्थी

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

ISBN 81-237-3439-5

पहला संस्करण : 2001 *(शक 1922)*

KALA PANI KA ETIHASIK DASTAVEZ *(Hindi)*

रु. 25.00

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया,
ए-5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित

विषय-सूची

भूमिका

अक्तूबर 1964 ई. में ''इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड'' के चेयरमैन डा. युद्धवीर सिंह ने पं. बनारसीदास चतुर्वेदी को बताया कि उनके पास किसी क्रांतिकारी की हस्तलिखित पांडुलिपि है जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में पुलिस से बचाने के लिए उन्हें सौंप दिया गया था। यद्यपि वह पांडुलिपि जर्जर हो चुकी थी और उसका कुछ भाग कीड़ों ने खा लिया था फिर भी उसमें अंडमान की कैद की रोमांचक कथा बची रह गई। श्री सिंह को तब यह स्मरण नहीं था कि पांडुलिपि देने आया युवक कौन था। उनका घर इस दृष्टि से सुरक्षित भी नहीं था क्योंकि वहां आए दिन पुलिस की तलाशी हो जाती, परंतु उन्होंने पांडुलिपि को किसी तरह छिपाकर रख लिया। वर्षों बाद एक बार ढूंढ़ने पर वह उन्हें मिली तो एकाएक उस नौजवान का चेहरा सामने आ गया। पर उसका नाम-पता कहां मिले। हस्तलिखित पांडुलिपि पर तो उसके हस्ताक्षर तक नहीं थे। प्रारंभ के 9 पृष्ठ नष्ट हो चुके थे और अंतिम लिखावट पढ़ने से लगता था कि कहानी कहते कहते छूट गई है। बाद को बहुत खोजबीन करने पर पता लगा कि इसके लेखक अंडमान जाने वाले क्रांतिकारी रामचरणलाल शर्मा हैं जिन्हें इलाहाबाद से छपने वाले उर्दू साप्ताहिक ''स्वराज्य'' के संपादक बाबूराम हरी, होतीलाल वर्मा और महात्मा नंदगोपाल के साथ सेल्यूलर जेल भेजा गया था।

रामचरणलाल जी का जन्म सन् 1886 ई. में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के डरू नगला गांव में हुआ था। ''स्वराज्य'' में ब्रिटिश शासन विरोधी एक कविता के प्रकाशन तथा अन्य मामलों के लिए उन पर मुकदमा चला जिसमें मार्च 1909 ई. में उन्हें दस दस वर्ष की सजाएं एटा के सत्र न्यायालय में दी गई थीं। तीन सजाओं के एक साथ चलते वे फतेहगढ़, अलीपुर, और अंडमान भेजे गए। क्रांतिकारियों के लिए ''काला पानी'' उन दिनों सबसे कठोर यातना थी जहां पहुंचकर अनेक कैदी असमय ही मर-खप गए और कई ने वहां के अत्याचारों से तंग आकर स्वयं पर प्रहार कर लिया। पर रामचरणलाल जी चार वर्षों बाद वहां से नागपुर के केंद्रीय कारागार ले आए गए। इस जगह रहकर जेल अधिकारियों से उनका जबरदस्त संघर्ष हुआ।

सन् 1918 ई. में जब वे छूटे तो दिल्ली आकर रहे और ''कांग्रेस'' व ''फतह'' नाम के दो उर्दू दैनिक पत्रों का संपादन सँभाला। फिर जबलपुर जाकर ''तिलक''

हिंदी दैनिक से जुड़ गए। इसी काल में बहादुरगढ़ और रोहतक में ब्रिटिश विरोधी भाषण देने के कारण पंजाब पुलिस उनके पीछे लग गई। लेकिन डा. मुन्जे ने उन्हें किसी तरह नागपुर भेज दिया। यहां उनका संपर्क हुआ पं. माखनलाल चतुर्वेदी से। रामचरणलाल जी को पकड़ने के लिए पुरस्कार घोषित हो चुका था अतः वे चतुर्वेदी जी के कहने पर पांडिचेरी चले गए। उनका नाम कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र एवं मेरठ षड्यंत्र में एम.एन.राय के साथ जोड़ा गया। पांडिचेरी अंग्रेजी शासन की सीमा से बाहर था, फिर भी एक बार सरकार ने वहां के गवर्नर को उन्हें इंडोचाइना जाने का आदेश देने के लिए सहमत कर लिया। परंतु व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष मि. गोबरे ने प्रयास करके ऐसा नहीं होने दिया।

रामचरणलाल जी का संपर्क अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन से था। "थर्ड इंटरनेशनल" में एशिया में साम्यवाद के प्रचार के लिए राय के साथ उनको भी नियुक्त किया गया था। अंग्रेजी शासन का उनके विरुद्ध एक आरोप यह भी था कि वह भारत में साम्यवाद के प्रचार में संलग्न हैं। इसलिए उन पर कड़ी निगरानी रखी गई, उनके पत्रों को सेंसर किया गया। बावजूद इसके वे निरंतर लिखते और बोलते रहे। उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया जिनमें एक "स्कर्ज आफ क्राइस्ट" उल्लेखनीय है। यह राजस्थान के नेता बाबा नरसिंह दास पर थी लेकिन छप नहीं पाई।

सन् 1930 ई. में रामचरणलाल जी अस्वस्थ हो गए। पैर में कील चुभ जाने से जो घाव हुआ वह गैंग्रीन बन गया। पांडिचेरी में लाभ होते न देख मद्रास के गवर्नर से वहां इलाज कराने की अनुमति मांगी गई। उन्हें तार मिला कि "मद्रास में चिकित्सा की अनुमति है, किंतु अनंतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।" वे पांडिचेरी पुलिस के पहरे में मद्रास के सदर अस्पताल लाए गए जहां क्लोरोफार्म सुंघाकर उनकी टांग काट दी गई। फरवरी 1931 में वह तूफानी जीवन अंतिम क्षणों तक परिस्थितियों और मृत्यु से जूझते हुए समाप्त हो गया।

स्वतंत्रता के रजत जयंती वर्ष 1972 में दादा पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने प्रयास करके अविनाशी सहाय आर्य इंटर कालेज, एटा, उत्तर प्रदेश की कालेज पत्रिका में युद्धवीरसिंह जी से प्राप्त रामचरणलाल शर्मा द्वारा लिखी अंडमान-कथा को प्रकाशित करा दिया था। उन दिनों वहां कवि डा. मलखानसिंह सिसौदिया प्राचार्य थे।

प्रख्यात नक्सलवादी नेता शिवकुमार मिश्र ने पच्चीस वर्ष पुरानी कालेज पत्रिका का वह अंक अत्यंत सहेजकर रखा था। दो वर्ष पहले उसके जर्जर पन्ने मुझे सौंपते हुए उन्होंने पुस्तक के रूप में उसके प्रकाशन की इच्छा व्यक्त की।

अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अनेक क्रांतिकारियों को अंडमान की सेल्यूलर जेल भेजा गया था पर उनमें सब लेखक नहीं थे। वारींद्र-दल के उपेंद्र बनर्जी और वीर सावरकर ने वहां के जीवन और अनुभवों पर लिखा। त्रैलोक्यनाथ

चक्रवर्ती ने ''जेलों में 30 साल'' में अंडमान पर पूरा एक अध्याय लिपिबद्ध किया। नलिनीदास जी ने अपनी ''समुद्र-यात्रा'' लिखी। शचींद्रनाथ सान्याल ने ''बंदी-जीवन'' लिखा पर उसमें राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी संग्राम का विश्लेषण अधिक था। पूरी पुस्तक में केवल एक ही अध्याय ''काले पानी की विदाई'' लिख पाए वे। लेकिन ''बंदी-जीवन'' से पृथक रामचरणलाल शर्मा की इस ''पहले काला पानी की कहानी'' (काला पानी का ऐतिहासिक दस्तावेज) में अंडमान के जेल जीवन का विस्तृत ब्योरा है। एक क्रांतिकारी के अनुभवों से गुजरते हुए पहली बार हम अधिक गहराई से स्वाधीनता आंदोलन के उस अध्याय से परिचित हो पाते हैं जो देश की सीमा से बहुत दूर काले पानी के बीच जंगलों से घिरे एक द्वीप समूह में बनाई गई नर्कतुल्य सेल्यूलर जेल में लिखा गया था। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अंडमान को ''शहीद द्वीप'' कहा था। पंडित रामरक्खा, ठा. महावीर सिंह, मोहित मैत्र और मोहन किशोर नमोदास इसी जेल में अनशन करते हुए शहीद हुए। इन्दुभूषण राय ने आत्महत्या कर ली। भानसिंह प्रहार से मरे। हेमचंद्र भट्टाचार्य बीमारी से चले गए। उल्लासकर दत्त, सुरेन कर, फणीदास गुप्ता, भूपेश बनर्जी, सुरेश गुह, भूपेश गुह, हृदयदास, बिमल चक्रवर्ती, कुमुद मुखर्जी, धीरेन भट्टाचार्य और अभयदास यहां रहते हुए कुछ समय के लिए या स्थाय़ी रूप से पागल हो गए। फणीभूषण नंदी और महेश बड़ुका बीमार होकर देशी जेलों में भेजे गए। बेंत, डंडा-बेड़ी, हथकड़ी, नारियल कूटने, तेल पेरने, चक्की चलाने की सजाएं पाने वाले तो न जाने कितने थे। तभी तो कहा गया ''बसेगा हिंद पीछे को, बसेगा अंडमान पहले'' अर्थात इतने देशभक्त काला पानी भेज दिए जाएंगे कि वह द्वीप पहले बस जाएगा तब जाकर भारत आजाद होगा।

काला पानी की यह कहानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक साक्ष्य है।

–सुधीर विद्यार्थी

प्रबंध परिचय

महाराजा लोग जिस प्रकार जनता के कमाए हुए धन पर आनंद करते हैं। उसी प्रकार कैदियों को नर्क में पहुंचाने और उनके उपार्जित पदार्थों को स्थानांतर करने वाले जहाज का नाम भी महाराजा है। 'महाराजा' प्रति 6 सप्ताह में एक बार कलकत्ता की यात्रा करता है और प्रति बारह सप्ताह में एक बार मदरास जाता है। कलकत्ते लौटकर एक बार रंगून भी जाता है और यदि मदरास जाने की बारी न हुई तो रंगून ही को दूसरी बार चला जाता है तथा डाक ले आता है। पंजाब संयुक्त प्रांत, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, और आसाम के कैदियों को कलकत्ते की जेल में इकट्ठा करके नर्क में भेज देते हैं तथा कभी कभी बंबई (थाना सेंट्रल जेल) से भी कलकत्ते ही द्वारा आना होता है। दक्षिण देश के सब स्थानों का केंद्र मदरास है तथा लंका और पूना सेंट्रल जेल (पसेड़ा) से भी यहीं जमा करते हैं।

अंडमान के बड़े बड़े अधिकारियों के आनंद प्रमोद के लिए माउंट हैरियट नामक एक ऊंचा पहाड़ है जो कि समुद्रतट पर सबसे समीपवर्ती तथा ऊंचा है। इसी पहाड़ के ठीक नीचे तथा होप टाउन के पास ही प्लेग कैंप (Ouarantine camp) है जो कि एक कैदी कंपाउंडर तथा एक कैदी जमादार के अधीन है। साधारण कैदियों को जहाज से उतारकर इसी स्थान पर ले जाते हैं और यदि कोई रोगी न हुआ तो ठीक एक सप्ताह के बाद सेल्यूलर जेल में ले जाते हैं। आरंभ में दो सप्ताह रखने की व्यवस्था थी, परंतु न अब प्रारंभ समय है और न वह नियम ही है। प्लेग कैंप में रहने के समय भी कैदियों की बेड़ियां नहीं काटते; परंतु घास काटना, रास्ता साफ करना आदि साधारण काम तो करना ही पड़ता है। अंडमान की कठिनता का भी उन्हें पूरा पूरा ज्ञान करा दिया जाता है और जेलखाने की विपदा सुनाकर, इतना भयभीत कर दिया जाता है कि भारतवर्ष की याद कर कर के रोने के अतिरिक्त और कोई ध्यान ही नहीं आने पाता।

इन अभागों की जेल में आकर जो दुर्दशा होती है, वह केवल पढ़ने या सुनने से समझ में नहीं आ सकती। जेल के कैदी अफसरों की काली काली पोशाक और नाक चढ़ाकर बातें करना देखते ही वे अधमरे हो जाते हैं। बेड़ियां पहने अपना अपना बिस्तर सिर पर धरे झमर झम झम करते करते अपने नए मालिकों का मुख देखते

रहते हैं। उनके चारों ओर आगे पीछे आस पास लाल पगड़ी वाले कैदी वार्डरों के दल स्वेच्छानुसार आवाज देते हैं कि "ऐ इधर", "सीधे चलो", "बैठ जाओ", "सरकार" (खड़े होने का सांकेतिक शब्द) आदि शब्दों से ही उनकी बुद्धि भगा देते हैं। मदरासी कैदियों का तो कहना ही क्या है ? वे भाषा ही नहीं जानते और न वार्डर आदि ही उनकी भाषा समझते हैं। अब उनसे आज्ञापालन कराने के लिए लातें लगाना ही यथेष्ट होता है। बर्मा देशीय भी इसी दुर्दशा में पड़ते हैं परंतु उनका कष्ट मदरास वालों की अपेक्षा कम होता है क्योंकि बर्मा देश की भाषा जानने वालों की संख्या अधिक है। प्लेग कैंप में जो भय सुनाया जाता है वह जेल के भीतर करके दिखाया जाता है। भारतवर्ष में रहकर जिन पुरुषों ने कभी किसी की आज्ञा न मानी हो वे भी बंदर की तरह नाचते हैं। जिस समय भारतवर्ष की जेलों से कैदी आने वाले होते हैं, तो तार द्वारा सूचना से उनकी संख्या अंडमान में आ जाती है। प्रत्येक कैदी के अपराध का इतिहास भी पहले ही आ जाता है। आचरण की महिमा भी पुलिस वालों के कथानुसार लिखकर भेज दी जाती है। और इसी के अनुसार चीफ कमिश्नर के आफिस से कैदियों का भाग्य निर्णय हुआ करता है। प्लेग कैंप में पहरा देने वाले, खाना पकाने वाले तथा भोजन का सामान भी पहले से ही पहुंच जाता है। प्रत्येक स्थान को खाने की सामग्री रौस नामक द्वीप से ही प्रतिदिन जाती है। तथा सरकारी गोदाम ही इसका हिसाब रखता है और स्वतंत्र लोगों को भी यहीं से बेचा जाता है।

जेल के भीतर जाते ही तथा फाटक पार करते ही कपड़े बदले जाते हैं। भारतवर्ष से जाते समय टोपी के स्थान पर पगड़ी तथा जांघिए के बदले धोती मिल जाती है और इसी प्रकार (प्रत्येक कैदी को) दो जोड़े कपड़े दिए जाते हैं। यह कपड़े जेल का फाटक पार करते ही उतारकर जमा कर दिए जाते हैं, तथा जेल की पोशाक के दो जोड़े दे दिए जाते हैं। कैदियों की संख्या मालूम हो जाने से, उतने ही जोड़े अलग अलग गिनकर रख दिए जाते हैं ताकि देते समय देर न लगे और भारतवर्ष की जेलों से दिए हुए लोहे के बर्तन तथा कंबल नहीं लिए जाते। जनेऊ (यज्ञोपवीत) भी इसी समय तोड़कर फेंक दिया जाता है। टाट अथवा मूंज की चटाई भी गोदाम ही में जमा हो जाती है।

अंडमान में भोजन बनाने के लिए ब्राह्मण कैदियों की नियुक्ति हुआ करती है, परंतु जेल में इनकी संख्या कम होने के कारण , दो पाकशाला बना दी गई हैं। एक तो केवल हिंदुओं के लिए और दूसरी मुसलमानों तथा बर्मा देशीय लोगों के लिए है। नए आने वाले मुसलमान कैदियों को भी सबसे पहले हिंदू पाकशाला से ही भोजन मिलता है; क्योंकि उस संख्या में यह सूचना नहीं दी जाती कि कितने हिंदू तथा कितने मुसलमान हैं। बहुत से भोले भाले मुसलमानों को दूसरे दिन लातें खाकर मुसलमानों की श्रेणी बैठकर भोजन करना सिखाया जाता है।

किसी किसी समय जेल में नए कैदियों के आने का समाचार तो आ जाता है; परंतु स्थानाभाव का कष्ट होता है। दोषी दशा में अन्य कैदियों को बाहर निकाल देते हैं, यद्यपि उनकी जेल अवधि पूर्ण नहीं हो पाती है तथापि बाहर निकाल दिए जाते हैं। परंतु इस प्रकार बाहर भेजे जाने वालों में भेद होता है। यह भेद समझने के लिए आवश्यकता है, कि जेल में बंद करने का हिसाब भी खोल दिया जाए, अंडमान में आने वालों में से अधिकांश डाकू और खूनी ही होते हैं। चोर भी कई बार चोरी में दंड पाने के पश्चात दफा 75 लगाकर, यहां भेजने के लिए दंडित तो किए जाते हैं; परंतु कई बार सजाएं काटने से उनकी आयु भी 48 वर्ष से अधिक हो जाती है तथा इस आयु से ऊपर वालों को भेजने की आज्ञा नहीं है। ऐसी दशा में चोरों की संख्या तो बहुत होती है परंतु अंडमान जाने वाले बहुत कम होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कि जेल से बाहर जाने वाले कैदियों को स्थानांतर करने की आज्ञा चीफ कमिश्नर के यहां से ही आती है; परंतु जेल की आज्ञा को ही स्वीकार कर लेना पाप नहीं समझा जाता। जेल के राजा की भेजी हुई नामों की तालिका को ही स्वीकार करके बाहर से बाहर ही कैदियों को बदल देते हैं। दूसरे दिन जेल के अंतर्गत अस्पताल का यज्ञ रचाया जाता है। जेल के सुपरिंटेंडेंट की उपस्थिति में प्रत्येक कैदी की तौल होकर, शारीरिक शक्ति की परीक्षा होती है और फिर काम दिया जाता है। कभी कभी तो परीक्षा होने से पहले ही नारियल का छिलका कूटने में लगा देते हैं और डाक्टर साहब तथा सुपरिंटेंडेंट भी देखकर यह नहीं कह सकते कि इनको काम करने की आज्ञा किसने दी ? डाक्टरी परीक्षा के बाद चीफ कमिश्नर के यहां भी जाना पड़ता है। पाठक यह न समझें, कि वहां उनको प्रीत भोजन दिया जाएगा। वहां तो उनको प्राण बचाने का उपदेश दिया जाता है। जेल में बंद रहने का समय भी वहां ही निश्चित होता है तथा इसी का नाम सैटलमेंट आर्डर होता है। गले में लोहे के मोटे तार की हंसली में एक लकड़ी का टुकड़ा भी यहीं लटकाया जाता है तथा वह कई प्रकार का होता है। साधारणतया यह टुकड़ा 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और 1 इंच मोटा होता है; परंतु आकार में भेद है। सामान्यतया इसके दो ही भेद हैं (1) सादा, (2) भयानक, भयानक के साथ महाभयानक नहीं मिल सकता; अतएव उसका आकार भी पृथक है। नीचे लिखे हुए चित्र देखने से भली भांति समझ में आ सकता है कि यह गलघंट क्या वस्तु है ?

सादा टिकट	भयानक टिकट	महाभयानक टिकट
(बोतलनुमा)	(चौड़े मुंह की बोतलनुमा)	(घड़ानुमा)

अंडमान में रहकर भागने वाले अथवा भागने की इच्छा करने वाले कैदी के टिकट का भी आकार बदल जाता है और यह इसलिए है, कि दूर से देखते ही पहचान लिया जाए।

सादा टिकट भागने पर	भयानक टिकट भागने पर
Δ (त्रिभुज)	(पंचमुखी)

उस समय पोर्ट ब्लेयर चार प्रांतों (जिलों)· में विभक्त था (1) रौस जिला (2) पूर्व जिला (3) पश्चिम जिला (4) जेल जिला। रौस का द्वीप राजधानी होने के कारण ही पृथक जिला बना दिया गया है। पूर्व जिला के अंतर्गत अब्राडीन, फिनिक्सवे, मिडिल पाइंट, नेवी वे, पहाड़गांव और हड्डो नामक स्थान हैं। अब्राडीन में रहने वाले कैदियों का काम विशेष रास्ता घाट बनाना, इंजीनियर गोदाम, नारियल लाना, समुद्र तट से माल चढ़ाना और उतारना, पत्थर तोड़ना और झाड़ू लगाना है। फिनिक्सवे में बड़ा प्रसिद्ध कारखाना है जिसमें लोहे, पीतल, कछुए की हड्डी और लकड़ी से नाना प्रकार का काम होता है। लगभग 400 कैदी काम करते हैं। इसके अतिरिक्त पानी वाले, नारियल वाले, रास्ता बनाने वाले और पत्थर तोड़ने वाले भी रहते हैं। मिडिल पाइंट का नाम छोलदारी भी है और कैदीगण स्थानिक साधारण कार्य के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर काम के लिए भेजे जाते हैं। नेवी वे में फल और तरकारी का बड़ा बगीचा है। पहाड़गांव से भी बहुत से कैदी इसी बाग में काम करने के लिए आते हैं। परंतु बांध बनाना, जंगल में से बांस और बेंत काटकर लाना भी इन्हीं का काम है। हडूड (हड्डो) में बाग का काम, इंजीनियर के गोदाम और बड़े अस्पताल का काम है।

पश्चिम जिला में चाथम, शोर पाइंट, जंगली बैरक डंडस पाइंट, वाईफर बीम्बर्ली गंज, कालाटांग और वैटराग स्थानों पर कैदियों का निवास है। चाथम में लकड़ी का बड़ा भारी कारखाना तथा पानी के बीच में एक द्वीप है। अंडमान भर के जंगल विभाग की लकड़ी से तख्ता, कड़ा आदि तैयार करने का काम यहीं होता है। शोर पाइंट का नाम अधिकतर सुअरपेट ही पुकारा जाता है। यहां मछली पकड़ने, नारियल काटकर लाने तथा इंजीनियर के गोदाम का काम है। जंगली बैरक का हाल इसी पुस्तक में लिखा जा चुका है, डंडस पाइंट में ईंट बनाने और पकाने का काम है। यहां कई सौ कैदी काम करते हैं तथा साधारण काम बहुत ही कम है। पश्चिम जिले की राजधानी वाईफर है तथा यह भी एक द्वीप है। इस प्रांत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला और न्यायालय भी यहीं हैं। पहले यहां ही जेल थी। इस समय शाक सब्जी के बाग का काम, घाट पर माल चढ़ाने तथा उतारने का काम, बेंत और बांस काटकर लाने का काम तथा झाड़ू, अस्पताल और अंडमान के मालिकों के खेलने का घर (Lawn) भी सजाकर रखना पड़ता है। बीम्बर्लीगंज में दहीघर और जंगल काटने वालों का केंद्र है, क्योंकि प्रधान जंगल का आरंभ यहीं से होता है। वाराटांग अथवा वैराटांग भी जंगल काटने वालों का स्थान है। और कालाटांग तो सघन जंगल के भीतर ही बसा है। यहां ही यमराज के स्थानापन्न मिन्टो साहब का चाय का

बगीचा है। इस स्थान पर भेजने का नाम सुनते ही कैदियों का प्राण जाता है। ईंट का काम भी महाकठिन है क्योंकि ठेका (नियमित कार्य) बहुत ही अधिक है परंतु इस चाय के बगीचे का काम और भी कठिन है।

प्रत्येक टापू (स्टेशन) में छह या सात बैरकें होती हैं और इनका प्रबंध करने वाला एक कैदी जमादार और कैदी मुंशी हुआ करता है। कैदी दस वर्ष सदाचारी बनकर जब उन्नति करते करते जमादार बनता है, तो उसको लाल परतला (Badge) और पीतल के टुकड़े पर 'जमादार' शब्द लिखा हुआ तकमा मिलता है। यह तकमा परतले में लगाकर जनेऊ (यज्ञोपवीत) के समान पहना जाता है। महीने महीने आठ रुपए के अतिरिक्त भोजन का सामान और एक नौकर भी मिला करता है। जमादार के नीचे टिंडैल (Tindal) भी कैदी अफसर होता है तथा उसका परतला आधा लाल और आधा काला होता है। पीतल का तकमा भी उपर्युक्त शब्द के साथ उसी प्रकार लगा रहता है। एक जमादार के अधीन चार पांच टिंडैल होते हैं तथा उनका वेतन भी भोजन के अतिरिक्त पांच रुपए मासिक होता है। टिंडैल के अधीन और भी एक कैदी अफसर होता है जिसका नाम पैटी अफसर (Petty Officer) है और उसका काले रंग का परतला तकमे के बिना ही रहता है। इनकी संख्या प्रत्येक टापू में 20 अथवा 25 होती है। कैदियों के अधिक होने पर संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि नियमानुसार प्रति 10 कैदी के साथ एक पैटी अफसर भेजा जाता है। 50 कैदी के ऊपर 5 पैटी अफसरों के अतिरिक्त एक टिंडैल भी होता है तथा कहीं कहीं थोड़े कैदियों का मालिक भी वही बना दिया जाता है अर्थात जमादार का काम भी वही करता है।

एक बैरक में 60-70 कैदियों के लिए स्थान होता है। ये बैरकें काठ के तख्तों से बनाई जाती हैं अर्थात ऊपर नीचे चारों ओर लकड़ी ही का काम होता है। कहीं कहीं ऊपर की छत तख्तों के बदले कबेलू (Tiles) ही से छापी जाती है। यह बैरकें जमीन से ऊपर काठ का मंच बनाकर ही बनाई जाती हैं और चारों ओर दीवार के स्थान में लकड़ी ही का जंगला बना हुआ होता है। टाट के ऊपर कंबल बिछाकर कैदी सोते हैं तथा शौचादि का स्थान पास ही होता है। प्रत्येक बैरक में दो स्थानों पर लैंप (चिराग) जलते रहते हैं तथा चार पैटी अफसरों का काम अपने अपने ओसारे से जगना और पहरा देना होता है। प्रत्येक बैरक में एक जवाबदार भी बंद रहता है। यह जवाबदार जमादार से लेकर पैटी अफसर तक का होता है और कभी कभी टिंडैल भी पहरा देने का काम करता है। संध्या समय तो केवल नाम मात्र बैरकें बंद हुआ करती हैं। इनके बंद होने का समय तो रात के 8 बजे होता है और इसका अनुमान तोप का शब्द होता है। बैरक बंद हो जाने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। एक बार ठीक संध्या समय और एक बार रात्रि के 8 बजे गिनती देनी पड़ती है।

सवेरा होते ही वही गिनती फिर देनी पड़ती है। पहरे वाले पैटी अफसरों के आगे आगे जवाबदार आता है परंतु आने से पहले ही जोर से हुक्म सुना देता है कि 'अपने अपने बिस्तरे पर बैठ जाओ।' इसके बाद बैरक से बाहर निकलकर शौचादि से निवृत होकर तथा मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाना पड़ता है। प्रत्येक स्टेशन पर पानी लाने वाले होते हैं और वे दिन के समय मीठा पानी लाकर दीये में भर लेते हैं। मीठे पानी का अर्थ शर्बत न समझना। इसमें केवड़ा और चीनी नहीं मिलाई जाती। अंडमान तो नमकीन पानी का देश है और बरसात का पानी तालाबों में इकट्ठा करके ही मीठा पानी बन जाता है। प्रत्येक कैदी अपना अपना लोहे का कटोरा लेकर पानी वाले के पास जाता है और वह एक छोटे से टीन पात्र से भरकर जल देता है। वही जल मुख और हाथ धोने का काम देता है। जिन्हें भारतवर्ष के भीतर नल के पानी का स्वतंत्र व्यवहार करने का अवसर मिल रहा है, वे अंडमान के टीन भरे पानी से एक आंख भी न धो पाएंगे।

इसके उपरांत एक लाइन में जोड़ा जोड़ा बनकर बैठना पड़ता है। शैली ने प्रेम का तत्व (Love's Philosophy) लिखा है और कवियों ने भी लिखा है कि इस संसार में सब युगल हैं अर्थात अकेला कोई नहीं है। पोर्ट ब्लेयर के तथा जेलों के अफसर लोग, इस प्रेम की रस्सी से सबको बांधने में बड़े ही चतुर हैं और उठते बैठते, दिन रात, अनेक अवसर पर, यही सुनाई देता है कि "जोड़ा जोड़ा हो जाओ, यदि ठीक ठीक न बैठे तो पीठ में डंडा खाना पड़ेगा।" इन बहादुरों का अंक शास्त्र इतना उत्तम होता है कि जोड़ा बनकर न बैठने से गिनती नहीं कर पाते। अनेक बार देखा गया था कि बेचारा एक, दो, तीन आदि कहता हुआ गिनता जा रहा था कि एक जोड़े के बाद एक कैदी अकेला बैठा मिल गया और सब गिनती भूल चूक के खाते में चली गई। अब जब तक इस अभागे पर लात घूंसा न पड़ ले—याद ही नहीं आ सकता। ऐसे समय दूसरे पुराने यमराज ही उस गिनती करने वाले पर दया करते हैं और आकर उसका कष्ट मिटाकर तथा उस अभागे को गालियां देते हुए चले जाते हैं। कम से कम दो बार गिने बिना हिसाब ही नहीं लगता।

प्रत्येक बैरक से इसी प्रकार गिनती हो चुकने के बाद जोड़ लगाया जाता है। जब 'सब ठीक' शब्द सुनाई पड़ गया, तो जमादार और मुंशी मिलकर, यथा आवश्यकता कार्य के हिसाब से कैदियों को बांटते हैं और उनके ऊपर पैटी अफसर अथवा जवाबदार भी नियत करते हैं। यदि जमादार ने 10-15 आदमी लेकर इंजीनियर के फोरमैन के सुपुर्द कर दिए, तो मुंशी वही संख्यादि लिख लेगा। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.डी. (P.W.D) का हिसाब भी हो जाता है, और बगीचे का जवाबदार भी सबसे पहले आ कूदता है। जो मनुष्य जवाबदार होता है वही प्रत्येक कैदी से अपनी इच्छानुसार, मनमाना काम लेता है। यदि वह किसी के साथ कृपालु बनना चाहे, तो बड़ी सुगमता से बन सकता है और यदि किसी की मिट्टी खराब करना

चाहे तो अधिक आनंद से कर सकता है। कारण यह कि आज्ञा भंग करना ही नर्क में प्रधान पाप है और यदि, यमराज के मन में कुछ तमाशा देखने की इच्छा उत्पन्न हुई तो वह उस अभागे को ऐसा काम करने की आज्ञा देगा, जो उसके देवताओं की सहायता से भी न हो सके। एक एक पल गिनते गिनते किसी न किसी प्रकार 10 बजे और काम छोड़कर, जोड़ा जोड़ा गिनती करके टापू में लौटना पड़ता है। जमादार भी उसी समय गिनती कर लेता है और इन पापियों को नहाने धोने का समय दिया जाता है। भोजन समाप्त करके 1 बजे तक आराम करने की अवधि दी जाती है तथा तदोपरांत वही सवेरे का विधाता आ जाता है और संध्या समय 5 बजे छुट्टी मिल जाती है। अपने अपने थाली कटोरे साफ कर उसी समय भोजन भी खा लो और अंधकार होने तक अपने टापू की सीमा में ही घूमो, फिरो, गाओ, गप्पें लगाओ और अंडमान की जै बोलो।

दोपहर के समय तथा संध्या समय बैरकें बंद न होने तक, हम भाइयों को मुंह छिपाकर गांजा पीने का अवसर भी मिल ही जाता है। जुआरी लोग भी अपना यज्ञ रचकर कुबेर को निर्धन बना देते हैं और फिर आनंद करते हैं। जंगल में से पान तोड़कर लाते हैं और उन्हें बेचकर दो पैसे पाते, अथवा जमादार, मुंशी, बड़ा रसोइया आदि के हाथ पांव दबाकर कुछ न कुछ पाते तथा अन्य प्रकार से कमा कर इसी नल राजा के यज्ञ में स्वाहा करते रहते हैं।

रविवार के दिन तो कुछ ठेके का काम ही नहीं दिया जाता। केवल टापू के आसपास से घास उखाड़नी पड़ती है, जो कि दो एक घंटे में ही समाप्त हो जाती है। सब दिन सोओ, बैठो, आनंद करो, अपने जवाबदार को दो चार आने पैसे देकर अथवा मीठी मीठी बातों का हलुआ खिलाकर दूसरे टापू को चले जाओ और अपने साथियों से भी मिल आओ। यदि जंगल काटते काटते हाथों का चमड़ा उड़ गया हो, तो गोदाम वाले के सामने दांत दिखाकर, थोड़ा-सा तेल ले लो और हाथों में मल मलाकर तैयार रहो। सवेरा हुआ कि फिर वही जंगल और तुम, तुम्हारा खून और जोंक। सब दिन पानी में भीगो या धूप में सूखो, परंतु काम पूरा किए बिना खाना नहीं मिलेगा। यह बाहर के जीवन का नमूना है कि जो कैदी जंगल में काम करते हैं वे प्रातःकाल...खाकर जाते हैं और अपना काम समाप्त करके ही लौटते हैं।

अंडमान में कैदियों के कपड़े भी धोबी धोते हैं अर्थात कुछ कैदी धोबी का काम करते हैं। प्रत्येक कैदी के पास तीन जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं, जिसमें से एक जोड़ा धोबी को दिया जाता है तो एक जोड़ा धुला हुआ साथ रहता है। वर्षा अधिक होने के कारण, काम पर जाते आते समय एक जोड़ा भीग जाता है, तो धुला हुआ तैयार जोड़ा पहनकर, भीगा हुआ कपड़ा सूखने के लिए बैरक के भीतर अथवा नीचे लटका देते हैं। प्रत्येक बैरक पर एक बूढ़ा आदमी रखवाली करता है और जब तक

अन्य कैदी न आ जाएं तब तक किसी अकेले दुकेले कैदी को बैरक में नहीं जाने देता। इन धोबियों को अधिक आमदनी हो जाती है, क्योंकि चमकदार कपड़ा पहनने के इच्छुकों को प्रतिमास कुछ न कुछ देना पड़ता है। बाहर के स्वाधीन लोग भी इन्हें दक्षिणा देकर काम कराते हैं तथा जमादार आदि भी कुछ न कुछ देते रहते हैं। धोबी का काम करने वाले कैदी स्वतंत्रता से घूमते फिरते हैं अर्थात उनके साथ कोई कैदी अफसर नहीं रहता और न उनको जोड़ी जोड़ी ही चलना पड़ता है।

नाई का काम भी कैदी करते हैं और अपने औजार लेकर चारों ओर घूमते फिरते हैं, उनका जीवन बड़ा स्वतंत्र होता है। खाना पकाने वाले भी इन्हें मनमाना अच्छा खाना देकर प्रसन्न रखते हैं और दूसरे लोग भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने में कसर नहीं रखते। इन लोगों को भी अच्छी आमदनी हो जाती है और स्वतंत्र भी रहते हैं। नाई जाति के लोग न मिलने पर दूसरे लोग भी यह काम करने लगते हैं, परंतु ऐसा अवसर बहुत ही कम मिलता है।

अंडमान में रहने वाले छोटे छोटे अफसरों को भी इतना सुख है कि इंग्लैंड के लार्ड लोगों को न होगा। काम करने के लिए अच्छे सुडौल कैदी मिलते हैं। शाम के वक्त अथवा आवश्यकतानुसार दिन-रात में किसी समय भी गाड़ी खींचने वाले कैदी तैयार रहते हैं। कैदियों में से युवा युवा छांटकर ही इस काम में लगाए जाते हैं और वे अन्य कैदियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र रहते हैं। इनकी गिनती भी नहीं होती और घोड़े के समान दौड़ लगाने के बाद कुछ न कुछ इनाम भी मिल ही जाता है। केवल भेद इतना है कि सादा टिकट वालों को ही यह कार्य दिया जाता है और भयानक टिकट वालों पर विश्वास नहीं किया जाता। साहब लोगों के लिए अच्छी अच्छी तरकारियां बागों में से भेजी जाती हैं तथा उसका हिस्सा इनको भी मिलता है। हाकिमों की स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार से रखती हैं, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव दयालु होता है। अंडमान के हाकिमों के पास घोड़े नहीं होते, क्योंकि सड़कें पहाड़ी होने के कारण घोड़ा काम नहीं दे सकता। प्रत्येक गाड़ी के खींचने के लिए तीन चार कैदी रहते हैं और समुद यात्रा करने के समय यही लोग नाविक का काम भी कर लेते हैं। प्रत्येक अफसर की नाव भी पृथक होती है और जिस समय उसकी इच्छा होती है उसी समय एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। चीफ कमिश्नर के पास भी सब काम करने वाले कैदी ही होते हैं और उनके हाथ में ही शराब आदि की अलमारी रहा करती है। पीने वाले पीते भी हैं; परंतु कैदी को नशे में होना भयानक समझकर, मालूम होने से दंड दिया जाता है। अफसरों के पास काम करने वाले कैदियों को अच्छा कपड़ा पहनने का भी हुक्म है। दूसरे कैदी अच्छा कपड़ा तो पहन सकते हैं, परंतु काम करने के लिए जाने में वही सरकारी निशान वाला कपड़ा पहनना पड़ता है। प्रत्येक कैदी को पांच वर्ष काटने पर बारह आने महीने मिला करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक कैदी तीसरे दर्जे की गिनती में होता है। यदि

वह भारतवर्ष की जेलों में छह मास से अधिक रहा हो, तो उसका वह समय भी पांच वर्ष में कम कर देते हैं। अन्यथा अंडमान में आने की तिथि से लेकर पांच वर्ष काटकर ही 12 आने मिलने का नंबर आता है। भयानक टिकट वाले कैदियों को पांच वर्ष सदाचारी बनकर रहने से सीधा टिकट भी मिल जाता है तथा धारा 75 के अनुसार दंड पाए हुए चोरों का भी (पेशेवर चोरों के कपड़े में लाल धारें रहती हैं) भेष बदल दिया जाता है। इस भेष बदलने और भयानक टिकट को सादा करने का एक लाभ हो सकता है, कि वे कैदी अफसर बन सकते तथा हाकिमों के घरों में काम कर सकते हैं। जमादार और टिंडैल बनने से पहले पैटी अफसर बनना पड़ता है और जब तक पांच वर्ष न कटें अर्थात जब तक दूसरे दर्जे में गिनती न हो, तब तक यह अफसरी अथवा आराम का काम नहीं मिल सकता। पहला दर्जा साढ़े सात वर्ष कटने पर मिला करता है और उस समय 12 आने भी दूने हो जाते हैं।

अंडमान में भोजन का प्रबंध अच्छा नहीं है, परंतु सामान अच्छा रहता है। पकाने का ठेका तो ब्राह्मणों ने ही ले लिया है, परंतु देश भर के ब्राह्मणों का हक भी संयुक्त प्रांत वालों के पास है। प्रत्येक कैदी के लिए 5 छटांक आटा और 6 छटांक चावल दिया जाता है। पहले रोटी चावल खाने वालों का प्रबंध पृथक था और रोटी खाने वालों के लिए 10 छटांक आटा तथा चावल खाने वालों के लिए 12 छटांक रंगूनी चावल दिया जाता था। कैदी इससे संतुष्ट न थे और आपस में उलट-फेर करते रहते थे। अब दोनों को मिलाकर ऐसा नियम कर दिया गया है कि प्रत्येक को 2 छटांक दाल, एक औंस तेल और एक औंस नमक के साथ मसाला मिला करता है। सप्ताह में दो बार दही देने की आज्ञा है, परंतु दही में पानी डालना और अच्छा अच्छा दही ऊपर से ऊपर ही खा जाना भी पाप नहीं है। दूसरे दर्जे वाले कैदियों को स्वयं खाना पकाने का अधिकार है। यदि वे स्वयं न पकाना चाहें, तो अन्य कैदियों के समान उन्हें भी पका पकाया मिल सकता है। मसाला बहुत मिलता है और उसका अधिकांश भाग चोरी चोरी बेच दिया जाता है। सन् 1911 तक तेल और घी के खाने वालों का भी हिसाब था। पंजाब संयुक्त प्रांत, सिंध, राजपूताना और बंबई के निवासियों का जिस प्रकार रोटी का प्रबंध था, उसी प्रकार तेल के बदले घी भी दिया जाता था। अब तो सबको तेल ही दिया जाता है और वह सरसों का होता है तथा जेल ही में बनाया जाता है। कारण मालूम नहीं कि क्या हुआ ? इस समय जितना तेल मिलता है उससे अधिक घी मिला करता था।

प्रति दो तीन स्टेशनों का मालिक एक ओवरसियर होता है। प्रत्येक जिले का मालिक एक मजिस्ट्रेट होता है। पुलिस वालों को कैदियों से अलग रहना पड़ता है। यदि किसी कैदी ने कुछ अपराध किया, तो जमादार ही उसको हथकड़ी पहनाकर

अपने ओवरसियरं के सामने ले जा सकता है और उसी की आज्ञा से दूसरी दुर्दशा हो सकती है। परंतु दंड सुनने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने जरूर ही जाना पड़ता है। जो कैदी 2-3 बार सजा पा चुकता है उससे फिर अपराध...जेल से बाहर निकलने के बाद तंबाकू खाना अथवा पीना अपराध नहीं है। अफसरों के सामने भी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट तथा सिगार पीने से अपराध नहीं होता। तीसरे दर्जे के कैदियों को लोहे के बर्तनों में ही खाना पड़ता है, परंतु वे पीतल के बर्तन भी रख सकते हैं और मकान (भारतवर्ष) से भी मंगा सकते हैं। पैसा रखना भी अपराध नहीं है; परंतु अधिक होने से संदेह करते हैं कि कहीं कुकर्म से तो नहीं कमाया। दूसरे दर्जे का कैदी दो महीने की तनख्वाह पास रख सकता है। अधिक होने पर किसी दुकानदार के पास जमा कर देते हैं और आवश्यकता होने पर ले लेते हैं।

प्रत्येक तीसरे दर्जे के कैदी को प्रति वर्ष एक पत्र भेजने और एक ही प्राप्त करने का नियम है। प्रति वर्ष एक पार्सल भी वसूल कर सकता है। दूसरे दर्जे के कैदी का यह अधिकार दूना हो जाता है, परंतु बेचारे को पता भी नहीं लगता कि वह क्या अधिकार रखता है।

अंडमान का एक नियम यह भी है कि कोई कैदी किसी प्रकार से भी अपना अधिकार नहीं मान सकता। उसके साथ जो कृपा की जाती है, वह अफसरों की उदारता है। यदि अफसरों की इच्छा हो तो बिना कारण दिखाए भी, कैदी के अधिकार छीन सकते हैं अर्थात कैदी को अफसर काम करने में लगा सकते हैं और आराम का काम करने वाले को कठिन काम दे सकते हैं। बहुत से कैदी अफसरों की अप्रसन्नता के कारण बहुत कष्ट पाते हैं।

कैदियों का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि वे 10 वर्ष के बाद अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हैं। जो कैदी जीवनपर्यंत सजा पाकर जाते हैं उनको 20 तथा 25 वर्ष में छोड़ा जा सकता है। साधारण कैदी को 20 और भयानक कैदी को 25 वर्ष काटने का नियम है। जब 10 वर्ष अच्छे चाल चलन के साथ कटें तब यह स्वेच्छा निर्वाह (Self supporting) टिकट मिलता है। 10 वर्ष कठिन काम करके बहुत से तो मर जाते हैं और शेष में निर्वाह करने की शक्ति ही नहीं रहती। रौस में सुनाया जाता है कि साढ़े सात वर्ष में भी स्वेच्छा निर्वाह पास मिलेगा। परंतु आज तक किसी को भी नहीं मिला। यह पास मिलने पर सप्ताह में एक दिन सरकारी काम करना पड़ता है। खेती, दुकानदारी, नौकरी और दूध बेचने के काम ही करने पड़ते हैं। खेती का परिश्रम करने की शक्ति रहने पर ही यह काम हो सकता है। दूध बेचने से पूर्व गाएं तथा भैंसे लेने के लिए रुपए चाहिए। जो घर के धन-मान हैं, वे ही रुपया मंगाकर कुछ स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, वहां तक फीसदी एक आदमी ही इस पास को पाने के योग्य होता है। अपने स्त्री, पुत्रादि साथ रखने अथवा अंडमान ही में विवाह कर लेने का अधिकार भी स्वेच्छा निर्वाह का पास मिलने

के बाद ही मिलता है। कैदियों के बालकों की शिक्षा अनिवार्य है, परंतु नाम मात्र ही है। इस समय बेड़िए, कंजर आदि प्राकृतिक अपराधियों को स्वेच्छा निर्वाह का पास देना बंद कर दिया गया है। कारण यह बताया जाता है कि यह जाति अपने चोरी करने के उदार व्यवसाय को नहीं छोड़ती। रात के समय बहुत उपद्रव करती है। अपराध करने वाले कैदियों का पास छीन लिया जाता है और वे फिर सरकारी काम करने पर भेज दिए जाते हैं।

सेल्यूलर जेल

यह अनोखा नाम भी बड़ा मायावी है। इसका नमूना शायद ही संसार में मिलेगा। परंतु एक बात यूरोप की जेलों के समान है, कि इसमें सब कोठरियां ही हैं। इमारत तिमंजिली और पक्की बनी हुई है। अंडमान में इतनी मजबूत इमारत दूसरी नहीं है। जहाज की छत पर बैठे हुए कैदियों को इसका दृश्य लुभाता है और इसको फौजों के रहने का किला ही अनुमान किया करते हैं। संभव है कि अमेरिका के दो एक बड़े बड़े होटल भी इतने सुंदर न दिखाई देते हों, क्योंकि यह समुद्रतट पर सबसे ऊंची इमारत होने के कारण बड़ी ही विलक्षण प्रतीत होती है। हिंदुस्तान की जेलों में एक फाटक लोहे की छड़ों का होता है तथा दूसरा लोहे की चादर अथवा लकड़ी का होता है; परंतु इसके दोनों ही फाटक लोहे की छड़ों के हैं और इन दोनों के बीच में कपड़ा गोदाम, जेल का दफ्तर और जेल के महाराज का दफ्तर हैं। इसी फाटक तथा दफ्तर के ऊपर जाने के लिए बाहर से दो जीने हैं और उनकी बनावट किले के बुर्ज के समान गोल बनी हुई है। ऊपर की मंजिल में दो गोरे रहा करते हैं तथा वही इस सेल्यूलर जेल के बड़े और छोटे ओवरसियर कहलाए जाते हैं।

दोनों फाटकों के भीतर जाते ही छोटा-सा मैदान है। इस मैदान के दाहिनी ओर छोटा-सा बगीचा (100 वर्ग गज) और उसी से मिला हुआ रसोईघर है। बाईं ओर अस्पताल है और दुमंजिला बना हुआ है। इस छोटे-से मैदान ही में भारतवर्ष के बहादुरों को सबसे पहले पराजित किया जाता है और इसी मैदान में हार जाने का फल यह होता है कि जितने वहां जाते हैं उससे आधे भी लौटकर नहीं आते। इसी मैदान में खड़े होकर जेल के बीच का चौमंजिला बुर्ज दिखाई देता है। इस बुर्ज को देखते ही अनुमान हो जाता है कि यह नर्क पर चढ़ने की सीढ़ी है। जेल भी इतनी अनोखी बनी है, कि इसमें कितने ही कोने हैं। बैरकें सात हैं और सब तिमंजिली हैं। बैरकें भी एक समान नहीं हैं और प्रत्येक बैरक का एक सिरा, बीच वाले बुर्ज से मिला हुआ है। इसी बीच वाले बुर्ज का नाम गुमटी है और इसमें से प्रत्येक बैरक की प्रत्येक मंजिल में जाने का रास्ता है। रात के समय पहरे वालों को ताकने वाला सिपाही भी इसी गुमटी में से ताक लगाया करता है। कोठरियों की संख्या बताने

से ही जेल का नक्शा बन जाता है।

ब्लाक नंबर	*प्रति लाइन कोठरियों की संख्या*	*कुल जोड़*
1	35	105
2	35	105
3	52	156
4	22	66
5	26	78
6	20	60
7	40	120

प्रत्येक ब्लाक के सामने तिकोना मैदान है। इसी मैदान में एक एक कारखाना (काम करने का घर) है जो कि टीन का छाया हुआ है तथा दीवारें भी टीन से ही बनाई गई हैं। नंबर के मैदान में कारखाने के अतिरिक्त 4 कोठरियां भी हैं जो कि फ्रांस वालों...अस्पताल का आकार जेल के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोठरियां नहीं हैं। जब मेरे जैसे महापापी को अस्पताल में रखने की आज्ञा होती है तो नंबर (ब्लाक) 1 की बीच वाली मंजिल में लाकर बंद कर दिया जाता है। अस्पताल की ऊपर वाली मंजिल में अन्य रोगी रहते हैं तथा वहीं से इस बैरक के बीच में आने का रास्ता है।

नंबर 1 में बेंत का कारखाना है। इसमें 20 वर्ष तक के उम्र के कैदी काम करते हैं। इनमें अधिकांश बर्मी होते हैं, क्योंकि दाढ़ी और मूंछ उखाड़ते रहने के कारण वे बालक ही से दिखाई पड़ते हैं। नीचे की मंजिल में कुछ लोग नारियल का छिलका भी कूटते हैं तथा रस्सी भी बटते हैं, परंतु अधिकांश बेंत के कारखाने में ही रहते हैं। नंबर 2 में नारियल का छिलका मशीन द्वारा साफ किया जाता है और रस्सी बनाई जाती है। जहाजों के लिए मोटे मोटे रस्से बनाने की कला भी यही है। नंबर 3 में पैरों से चलाने वाले कोल्हू और छिलका कूटने आदि का काम होता है। नंबर 4 में सूत रंगना, दरी और कालीन बुनने का छोटा-सा कारखाना और नारियल की कुटाई आदि होती है। कुछ दिनों के बाद दरी, कालीन आदि का काम बंद करके केवल लुहारखाना बनाया गया था और नंबर 5 में छोटा-सा बढ़ईखाना बना था। नंबर 6 में कोल्हू का ही काम है। दोनों ऊपर की मंजिलें और कारखाने में कोल्हू ही कोल्हू हैं। नंबर 7 में नारियल का छिलका उतारना, फिर काटकार गरी निकालकर जेल की छतों पर सुखाने का काम होता है। तेल का गोदाम भी इसी नंबर में है। फाटक से जेल के भीतर जाने का रास्ता इस नंबर और एक नंबर के बीच में होकर

बना हुआ है, परंतु तेल का गोदाम होने के कारण इस नंबर में आने का प्रथम फाटक भी लगा हुआ है, जो कि जेलर के बैठने के स्थान से ठीक सामने है।

जेल की 7 बैरकों में 21 लाइनें हैं। इनमें 84 कैदी पहरा देते हैं। हाथ में हरीकैन लालटेन लेकर तीन तीन घंटे पहरा देते हैं और दिन के समय कैदियों का काम देखते रहते हैं। जेल के बड़े और छोटे ओवरसियर को रात भर पंखा खींचकर हवा देते रहने का काम भी इन्हीं पहरे वालों को करना पड़ता है। चाहे पानी बरसे या कुछ भी क्यों न हो, परंतु पंखे का काम तो खुले स्थान में खड़े होकर करना ही पड़ेगा। यदि पंखे वाला सो गया तो बड़ा ओवरसियर रस्सी पकड़ कर खींच लेता है और गालियों का इनाम देकर सजा भी दिलाता है। अस्पताल में भी चार पहरे वाले रहते हैं। बारह के फाटक पर सिपाहियों का पहरा रहता है और तीन तीन घंटे बाद हेडवार्डर आकर बदली कराता है। रात को यदि कोई भी बीमार हो गया, तो लाइन का पहरे वाला गुमटी के सिपाहियों को और यह सिपाही पहले नंबर की बीच वाली लाइन के कैदी पहरे वाले को रिपोर्ट देता है। यह पहरे वाला अस्पताल के पहरे वाले को पुकारता है, और इसी प्रकार फाटक के सिपाही को खबर पहुंचती है यह सिपाही हेडवार्डर को आवाज देता है और तब वह जेल के भीतर आकर कंपाउंडर से दवा लेकर गुमटी में आता और लाइन के पहरे वाले के द्वारा कैदी को दवा मिलती है। यदि किसी कैदी ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया तो उसी प्रकार खबर पहुंचाई जाती है। बहुत से कैदी पहरे वाले थक जाने के कारण घूमने नहीं जा सकते। किंतु एक स्थान पर ही खड़े खड़े बत्ती दिखाते हैं। प्रत्येक लाइन में केवल दो बत्तियां लगाई जाती हैं अर्थात दोनों सिरों पर ही लैंप होते हैं। कोठरी में कोई प्रकाश नहीं होता तथा सिरों की दो तीन कोठरियों के अलावा पेशाब करने का पात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। नहाने और कपड़े धोने तथा मुंह हाथ धोने के लिए समुद्र का पानी ही मिलता है। लोहे के बर्तनों को कितना ही साफ करो, परंतु नमकीन पानी के प्रताप से मैल चढ़ जाता है। पीने के पानी का नल है, परंतु कठिनता से पीने का पानी मिल पाता है। बरसात होने के समय टीन के कारखानों के नीचे ही पानी जमाकर लिया जाता है। पानी वाला यदि कृपालु बन गया अथवा अच्छी प्रकृति वाला हुआ तो पीने योग्य पानी दे देगा अन्यथा एक पौंड से अधिक (एक टीन का नांप होता है तथा वही पानी बांटने के काम आता है) कभी न देगा। पहले यह पीने का पानी भी औरतों की जेल के समीपवर्ती एक स्थान से मीठा बनाकर भेजा जाता था। बनाने वाला क्या करे ? छोटा इंजन और खर्च अधिक। बस वह भी समुद्र का खारा पानी ही ढकेल देता था। इस समय तो कुछ अच्छा प्रबंध हो गया है, परंतु सात नंबर में रहने वाले कैदियों को तो मुख धोने योग्य खारा पानी भी कभी नहीं मिल पाता। इस जेल में सब जातियों को एक ही हौदी से पानी लेना पड़ता है, जो कि एक हाथ चौड़ी और 10 हाथ लंबी होती है। नहाते समय एक कैदी के शरीर का पानी

दूसरे पर पड़ता है। नमाजी लोग कुड़ कुड़ करते जाते हैं। परंतु सेल्यूलर जेल का पानी भी अमृत से कम नहीं समझा जाता।

इसको बने हुए लगभग 25 वर्ष हुए हैं। पहले इतनी कठिनता न थी तथा प्रत्येक कोठरी में तीन तीन, चार चार कैदी सोया करते थे और काम करने के लिए भी बाहर जाते थे। थोड़े दिनों के बाद ही इसका स्वरूप बदलने लगा और बाहर के आए हुए बदमाशों के लिए नंबर 3 नियत किया गया। धान साफ करके चावल बनाने का काम इस नंबर में होता था, परंतु कोल्हू आ जाने से सब काम मिट गया। सन् 1910 के अंत तक केवल 20 हाथ के कोल्हू और 3 पांव के कोल्हू थे। प्रत्येक हाथ कोल्हू से 20 पौंड और पांव कोल्हू से 60 पौंड तेल निकाला जाता था। परंतु अब तो ठेका भी बढ़ गया है। हाथ कोल्हू में एक आदमी से 30 पौंड तथा पांव कोल्हू में तीन आदमियों से 80 पौंड तेल लिया जाता है। नारियल का छिलका भी पहले एक पौंड ही था, परंतु अब तो तीन पौंड भी देना पड़ता है। रस्सी बनाने का ठेका एक पौंड से बढ़ते बढ़ते तीन पौंड तक पहुंच गया है। इतवार के दिन सफाई भी मुफ्त ही में हो जाती है।

पाखाना भी टीन का बना हुआ है। बैठने वालों के सामने एक रास्ता छोड़कर टीन का पर्दा लगा दिया है। नंबर 4 और 5 को छोड़कर बाकी सब में 10-10 आदमी एक समय में जा सकते हैं तथा पूर्वोक्त दोनों नंबरों में 6-6 बैठकें हैं। लेखनीय बात यह है, कि पहले गए हुए आदमियों को जाने की कुछ देर ही हो पाती है कि दूसरे दस आदमी छोड़ दिए जाते हैं, जो कि ठीक सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई कोई पैटी अफसर तो इतना तेज होता है कि बैठे हुए लोगों को पकड़कर निकाल देने का हुक्म भी दे देता है। इस प्रकार बे-दया बनाने की कृपा और स्थानों पर नहीं देखी गई, परंतु जेल तो अनोखा ही है। बर्मा वालों को इस समस्या से कष्ट नहीं होता वे तो परमहंस के समान बने रहते हैं। परंतु अन्य प्रांत के निवासियों की नाक में दम है। एक बार के बदले कई बार रिपोर्ट करने पर भी कुछ नहीं हो पाया। अंत में यही निश्चय करना पड़ा कि अंग्रेजी राज्य, अंडमान और सेल्यूलर जेल का एक-दूसरे से संबंध है और ऐसे प्रबल संबंधों को कैसे हटाया जा सकता है। संसार भर में पिशाच वृत्ति सर्वोत्तम पुरुष ही इस नर्क का स्वामी बनकर योग्यता प्राप्त कर सकेगा। अंडमान में सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। अंडमान में सौभाग्यवश एक ऐसा यमराज पुत्र भी मिल गया था। पहले वह भी बाहर के स्टेशनों का स्वामी था, परंतु अफसरों से लड़ता रहता था। जब वह जेल का राजा बना तो फिर कहना ही क्या ? यह उसका पूर्ण अधिकार था और जेल का सुपरिंटेंडेंट भी उसी की आज्ञा मानता था। इस महापापी का कोई प्रातः काल नाम भी नहीं लेता था और यदि उसका फोटो खींचना हो, तो मनमौजी कवि रमेश का ही वाक्य याद करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि–

चहरये अनवर तुम्हारा,
खानये जंबूर है,
पेट भी फजले खुदा से,
आपका तंदूर है,
नाक चपटी आंख केंड़ी,
रुख पै जेवाई नहीं,
इसलिए तस्वीर जाना,
हमने खिंचवाई नहीं,

इस यमराज का नाम डा. बारी (Dr. Barry) बारी था। वह कौओं का शिकार ही किया करता था। कभी कभी कुत्ते भी मारता था और जब जेल में बिल्लियां अधिक हो जाती थीं तो उन्हें पकड़वाकर टाट के थैले में बंद करके समुद्र में डाल देता था। कंठ भी बड़ा विचित्र था और कवि के रूपक अनुसार सब बातें उसमें थीं। वह अपने आप ही प्रसन्न रहता था। और आयरिश जाति का बताया जाता था। रंग तो गोरा था परंतु प्रकृति से आयरिश समझना कठिन था। त्यौहारों के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर घूमने वाले कैदियों को पकड़कर, जेल में कोल्हू पिसवाता था। दूसरे साहब लोगों के पास काम करने वाले लोगों को भी पकड़कर पीटता और दुखी करता था। कई बार निकालने का हुक्म भी दिया जा चुका था, परंतु उसकी लंगड़ी औरत के रोने पीटने और चीफ कमिश्नर की दुहाई देने पर माफ कर दिया गया था। औलाद भी नहीं थी, केवल एक लड़की थी। कभी कभी उसे साथ में लाकर जेल के बंदर समान कैदियों को दिखाया करता था। बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग भी उसी के सामने करता रहता था। अंडमान में सबसे उत्तम अपशब्द 'कुत्ता' 'गांडू' आदि हैं। मैंने सुना था कि इन शब्दों का ब्रह्मा वही है।

वह जेल के भीतर बहुत से कैदियों को पीट पीटकर स्वर्गवासी बना चुका था परंतु उसके प्यारे एक पठान कैदी अफसर के मारे जाने के बाद, उतना कोप न था। धमकी देना तो वही जानता था, सूरत भी ऐसी सुंदर थी कि देखते ही आग डालो।

छोटा ओवरसियर भी उसी के कहने में चलता था, और थोड़ी थोड़ी बात में कैदियों को सजा दिलाता था जो कैदी अफसर बहुत पाजी होता था वही इसका प्यारा होता था। भले आदमियों से इसे बड़ी शत्रुता थी और वह पहले गाली देकर पीछे दूसरा काम करने के लिए कहता था। पठानों पर बड़ा प्रेम करता था। कई एक बदमाश पठानों को भी जेल का कैदी अफसर बना दिया था। सारांश यह है कि जहां पाजियों का मान और सज्जनों का अपमान होता है, उसी स्थान का नाम सेल्यूलर है और यही कारण है कि प्रत्येक नया कैदी उसी स्थान पर रखकर पीछे बाहर भेजा जाता है। जो एक बार जेल के दुख देख जाता है, वह फिर वहां आना

नहीं चाहता। जितने दिन जेल में कटते हैं, वह प्रत्येक को याद रहते हैं। एक एक दिन वर्षों के समान कटता है। रात को बंद हो जाने के बाद बहुत से कैदी रोया करते हैं। बहुत से गाते हैं, परंतु उनमें बर्मी लोगों की संख्या ही अधिक मिलेगी।

चीफ कमिश्नर के यहां से लौटकर, तथा गले का गलघंट पहन कर आते ही जेल का कोप आ चढ़ता है। प्रत्येक मनुष्य को अपराध के हिसाब से ही जेल में बंद किया जाता है। जेल के कानून में बड़ा भारी अपराध करने पर छह महीने कोठरी बंद (Seperate Conffinement) किया जा सकता है; परंतु अंडमान में यह अधिकार खिलौना है। यदि चीफ कमिश्नर की इच्छा हो तो वह किसी भी कैदी को छह महीने तक कोठरी में रख सकता है। कोठरी बंद का मतलब यह है कि सबके साथ प्रातकाल खुलना और शौचादि से निवृत्ति पाकर, कंजी खाकर तथा अपना काम करने का सामान लेकर कोठरी में जाना; सबके साथ दोपहर का भोजन करना तथा स्नान करना और फिर बंद होकर सायंकाल के पांच बजे बाहर आना; खाना खाकर फिर सबके साथ बंद होना और रातभर यही सोचते रहना कि कब सबेरा होता है ? जो कोई अपने बाप, भाई, स्त्री अथवा पुरुष को मार कर जाते हैं, वे सदाचारी गिने जाते हैं; परंतु सरकारी आदमी को मारना अथवा किसी अंग्रेज को मारना महापाप है। चोरी करना साधारण है। परंतु अंग्रेजों की चोरी करना महापाप है। राजनैतिक बखेड़े वालों का तो मुंह देखना ही महापाप है। जेल में बंद करने का समय भी इसी सदाचार, महापाप तथा महा-महापाप के हिसाब से मिलता है। प्रथम सत्पुरुषों को छह महीने जेल बंद करके ही सुधार हो जाता है। महापापियों को छह महीने कोठरी बंद रहने के बाद और भी छह मास अथवा एक वर्ष जेल में रहना पड़ता है। भयंकर डाकुओं को तो तीन तीन वर्ष भी बंद किया गया है। महापापियों के लिए छह महीने कोठरी में बंद रहने के पश्चात बाहर निकलने का हिसाब ही नहीं होता। उनके लिए तो दूसरा हुक्म (Further order) ही लिखा जाता है। ऐसे दुष्टों के आचरण की प्रति छह मास रिपोर्ट भेजी जाती है और यदि एक वर्ष तक भगवान की जै तक न बोली, तो जेल से छुटकारा भी होता है। परंतु यह समस्या महाकठिन है कि साल भर तक जेल में रिपोर्ट ही न हो पाए। यदि किसी जेल के पठान अफसर की कृपा हो गई तो यह कार्य हो जाता है। मुझे तो ऐसे उदाहरण भी याद हैं कि या तो मरकर या पागल बनकर पागलखाने जाने के अतिरिक्त इन महा-महापापियों का उद्धार ही नहीं हुआ।

यदि हिंदुओं के रसोईघर वालों के पास खाना कम हो गया तो वे मुसलमानों से लेकर काम चला लेते हैं। कैदी भी जानबूझकर चुपचाप खा लेते हैं। दंही बंटने के दिन पठानों का मजा है। बारी का एक चेला और भी है। वह ईसाई है। वही जेल में बेंत मारता और फांसी लगाता है। पठानों का तो वह दुश्मन ही है। बेंत

के सिरे में छोटी छोटी बारीक कीलें लगाकर रखता और वही बेंत मारकर मांस काट डालता है। एक बार उसी के एक मित्र ने नाराज होकर यह भेद खोला भी था। परंतु किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार अनहोनी बातें होने वाला स्थान सेल्यूलर जेल है। भारतवर्ष भर के पापियों का केंद्र स्थान अंडमान है; परंतु अंडमान भर के पापियों का स्थान यह जेल है। इसमें हमारा जीवन जिस प्रकार था, वह किसी दूसरे अध्याय में लिखेंगे।

कानून और न्याय

जिस पवित्र स्थान के तीन मील पर्यंत भगवान को आने की आज्ञा न हो, वहां न्याय और कानून का क्या काम ? पाठक प्रश्न करेंगे, कि क्या अंडमान में भगवान नहीं हैं। उत्तर यही है कि वहां के सरकारी गोरे हाकिमों का यही विश्वास है, और उनका विश्वास हमें पहुंचते ही सुना दिया गया था। यदि हाकिमों के हृदय में ईश्वर का भय हो, तो फिर न्याय की भी आवश्यकता है और उस न्याय का निरूपण करने के लिए कानून की भी आवश्यकता है। जब कारण ही नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा। जब लोक परलोक का भय नहीं, तो अत्याचार और अन्याय से कौन डरेगा ? इस पुस्तक में नर्क शब्द का प्रयोग तो किया गया है, परंतु वास्तविक रूप से वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि नर्क में रहने वालों को भी ईश्वर के होने का प्रमाण मिल जाता है। जहां पर दूसरों को भी ईश्वर के बनाए आदमियों की आज्ञा-पालन करने का ही हुक्म हो और जहां ईश्वर की चर्चा करने वालों को गंवार बताया जाता हो, उस स्थान का नाम हमारे कोश ही में नहीं है। मैं जान बूझकर अनुचित नाम का प्रयोग करने का दोषी तो हूं, परंतु विवश हूं।

पाठक पढ़ चुके हैं कि अंडमान का सबसे बड़ा मालिक चीफ कमिश्नर है। उसका वेतन तो वही 6666 रुपए है परंतु यथार्थ में वह चोरों का ही मालिक है। यदि सब द्वीप भर को एक जेल मान लें तो फिर वही उसका सुपरिंटेंडेंट माना जाएगा। उसका नाम ही यही है और यही कारण है कि उसे प्राइवेट सेक्रेटरी आदि नहीं दिए गए। वह जो चाहे सो कर सकता है। मेरे पहुंचने के समय चीफ कमिश्नर ही फांसी की आज्ञा दिया करता था; परंतु जब से हुकूमत पसंद कर्नल डगलस ने राज्य की बागडोर ली, तो हुक्म दिया; कि बड़ा हाकिम जो कि चीफ मजिस्ट्रेट है और बड़े बड़े मुकदमे करता है, वही फांसी की सजा देगा और मैं अपील सुनूंगा। एक बार स्वयं ही एक छोटा-सा मुकदमा कर डाला कि जिसमें बड़ी भारी बारीकी भी न थी। यह नमूना न्याय और कानून का है, कि जिस मनुष्य के सिर पर यूरोप वालों की-सी टोपी है वह चाहे कुछ कर ले। दो एक अफसरों ने मेरे भाइयों के साथ बहुत ही उत्तम व्यवहार किया था और संसार की नीति के अनुसार मुझे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। परंतु पुस्तक लिखने के समय सांसारिक चतुरता को दूर रख दिया करता

हूं। मुझे शोक है कि वे उदार और ज्ञानी अफसर भी ऐसे ऐसे निंदनीय कार्य कर डालते थे कि सुनकर घृणा उत्पन्न होती है।

अंडमान में जाते ही वहां का कानून समझ में आ जाता है। भारतवर्ष की जेलों में रहकर आयुभर द्वीपांतर का अर्थ यही बताया जाता है कि 20 वर्ष कैदी बनकर रहना पड़ेगा। अंडमान में जाकर इसके दो भाग हो जाते हैं अर्थात 20 और 25 वर्ष। बहुत से कैदी जो कि 20 वर्ष की सजा लेकर गए थे, वे 35 वर्ष काट चुके हैं और अभी तक नहीं छूटने वाले। कारण यह है कि अंडमान में एक दंड दिया जाता है, जिसका नाम चेन गैंग (Chain gang) है। इस दंड का हिसाब ही नहीं कि किस अपराध में कितना दिया जाएगा। साधारण से साधारण बातों में भी 6 महीने की चेन गैंग सजा मिल जाती है। इस सजा में कैदियों को बेड़ी पहनकर रहना पड़ता है। परंतु इतने ही से सजा का दोष नहीं मिटता; बल्कि उतने ही महीने की सजा भी बढ़ जाती है। यह चेन गैंग हनुमान की-सी पूंछ है कि बढ़ती ही जाती है और सजा काटते काटते भी कम नहीं होती है। बाहर में रहने वाले चेन गैंग कैदियों को कठिन काम ही दिया जाता है और तंबाकू आदि का सेवन करना भी अपराध है। न वे अपने घरेलू कपड़े पहन सकते हैं और न पीतल के बर्तनों में खा सकते हैं। दूसरों को जो माफी मिल जाती है (कोरोनेशन आदि के समय) वह इन अभागों को नहीं मिल सकती। मैंने कई कैदियों की सात वर्ष तक बेड़ियों और 7 वर्ष की सजा भी देखी। अंडमान में फांसी की सजा मांगने से भी मिल जाती है। मैं कभी कभी कहा करता था कि एक मुट्ठी चावल तो मांगने से नहीं मिलता, परंतु मृत्युदंड कैसे मिल जाता है। एक बर्मी कैदी ने दुखी होकर, एक मजिस्ट्रेट की स्त्री को मार डाला था। प्रातकाल 9 बजे हत्या करके छिप गया था और लगभग 5 बजे शाम के वक्त पकड़कर जेल में बंदकर दिया गया था। दूसरे दिन (रात व्यतीत होते ही) 6 बजे प्रातःकाल उसे फांसी लगा दी गई। उसका न न्याय हुआ और न अपील। मेरे सामने ऐसे अनेक अपराधी फांसी दिए गए थे, कि जिनका मारा हुआ मनुष्य अस्पताल तक नहीं गया अर्थात उसे कोई चोट या घाव ही नहीं लगा। कई एक ऐसे लोगों ने स्वयं कह दिया था कि यदि हमें फांसी का दंड न दिया जाएगा, तो वे किसी की हत्या करके अपने दुखदायी जीवन का अंत कर देंगे। अंडमान के कानून में 'रक्षा' शब्द से बड़ा प्रेम है। किसी की हत्या करके मरने से पहले ही उन्हें लटका दिया जा सकता है और दूसरों के प्राण बचा लिए जाते हैं।

पुराने कैदियों की बातें सुनकर पता लगता है, कि अंडमान में चीफ कमिश्नर को कितना अधिकार है ? एक चीफ कमिश्नर बड़ा प्रतापी था। उसने फांसी देने के लिए एक नया कानून भी निकाला था, कि जिस पत्थर से मारने की धमकी दी जाए (कैदियों को मारने के लिए हथियार तो है ही नहीं। वे बहुधा आस पास पड़े हुए पत्थरों के टुकड़ों से ही धमकी दे सकते हैं। यदि काम करते समय कोई औजार

कुल्हाड़ी फावड़ा आदि हाथ में हुआ अथवा पास ही पड़ा हुआ दिख गया, तो उसी का उपयोग करने की चेष्टा करते हैं।) उसे तौला जाए और अपराधी से कह दिया जाए, कि यदि इतना भारी पत्थर (1 पौंड से अधिक) तुमने मार दिया होता, तो दूसरा आदमी मर ही गया होता। यह तो उसका सौभाग्य था कि तुम मारने न पाए और उसके प्राण बच गए। बस, उस पत्थर के वजन पर ही कानून की इतिश्री हो जाती थी और मारने की इच्छा करने वाला लटकाया जाता था। इस समय इस प्रकार की कानूनी शक्ति से काम लेना बंद कर दिया गया है।

जंगलों में काम करने वाले लोग दुख के कारण तथा ठेका पूरा करने में असमर्थ होने की दशा में, जंगलों में भागकर छिप जाते हैं और समय पाकर फिर भागने का प्रबंध करते हैं। उपरोक्त चीफ कमिश्नर के समय में कतिपय बर्मा देश के लोग भागे थे। उनके लिए पकड़ने की आज्ञा के बदले, सिर काट कर लाने की आज्ञा दे दी गई थी और ऐसा ही हुआ भी था। इसका फल यह हुआ था कि फिर दो तीन साल तक कोई कैदी नहीं भागा। इसके उपरांत फिर कुछ लोग भागे और सिर काट कर ही पकड़े गए थे। जो लोग भागने में सफलता प्राप्त करने के बाद भारतवर्ष अथवा रंगून के दक्षिण भाग (मोर गुई आदि द्वीपों) में पकड़े गए हैं, उन्हें जन्मपर्यंत (20 वर्ष) अंडमान निवास कर दूसरा दंड भी दे दिया गया है। चाटन, वाईफर आदि छोटे छोटे द्वीपों में ही ऐसे लोग अधिकांश रहते हैं कि जिन्हें भागने का ध्यान अधिक रहता हो। भागने का अपराध कठिन परिश्रम का दुख ही कराता है। यदि एक दिन का कष्ट हो तो सहने का साहस भी होता है, परंतु बीसियों वर्ष का दुख कैसे कटे ? अनेक लोग जंगलों में जाकर किसी वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और अपने सिर की पगड़ी (पांच या छह हाथ का कपड़ा) खोलकर, उसका एक छोर वृक्ष की डाली में और दूसरा अपने कंठ में बांधकर, सभ्यता का नाम लेकर लटक जाते हैं। उनके न लौटने पर यही रिपोर्ट हुआ करती है कि अमुक नंबर वाला भाग गया। जब कुछ महीनों के बाद कोई मनुष्य उधर जा निकलता है। तो वृक्ष के नीचे उसके पंजर तथा वृक्ष की डाली में, पगड़ी की पताका उड़ती दिखाई देती है। गले का घंट भी वहीं मिल जाता है तथा उसी से पता लगता है कि वह मर गया। अंडमान का सरकारी गजट तो उसके भाग जाने की रिपोर्ट छापकर...अंडमान में दुखों के मारे मरना ही पड़ता है। इसका इलाज करना असंभव है, क्योंकि वहां की शक्ति के हाथ में ही सब कुछ है। कभी कभी सजधज दिखाने के लिए अफसर जाते हैं; परंतु उनको पता भी नहीं लगने पाता, कि अंडमान में कैसा कैसा आनंद है। जब कोई बड़ा अफसर आने वाला होता है, तो कई सप्ताह पहले से ही प्रत्येक कैदी को सुना दिया जाता है, कि 'यदि किसी ने कुछ विलाप करने का साहस किया, तो सजा मिलेगी।' मुझे पहले ही दिन यह बात सुनाई गई थी। क्योंकि वहां की दशा सुनकर मैंने प्रश्न किया था कि 'क्या यहां कोई बड़ा हाकिम नहीं आता।' बहुत दिनों के बाद एक कैदी दंडित होकर जेल

में आया था। उसका नाम रावल था और सब बाल सफेद कर चुका था। वह बड़ा ही शैतान था और किसी अफसर से भी न डरता था। सैकड़ों बार सजा भी पा चुका था। जब मैं उसका इतिहास पढ़ रहा था (अंडमान में प्रत्येक कैदी के अपराधों का हिसाब रहता है और उसकी दो प्रतियां (1) चीफ कमिश्नर (2) प्रांतीय अफसरों के दफ्तरों में रहती हैं) जेल में आने पर उसके साथ ही सब इतिहास भी लिखकर भेज दिया जाता है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि Making a disturbance before the Lt. Governor committee (छोटेलाट और कमेटी के सामने उपद्रव किया) प्रश्न करने पर पता लगा, कि जिस समय यह अफसरों की मंडली अनेक स्थान देखती हुई जा रही थी और कैदियों को भी प्रत्येक स्टेशन पर जोड़ी जोड़ी बैठे तथा किसी प्रकार की रिपोर्ट न करने का अनुभव कर रही थी; तो यह रावल उठ कर खड़ा हो गया और आवाज देकर कहने लगा।

रावल–हुजूर ! मेरी प्रार्थना है।

छोटे लाट साहब खड़े हो गए और उसकी भाषा न समझने के कारण, दूसरे साथियों से कहने लगे, कि 'यह क्या कहता है ?'

उसी स्थान (स्टेशन) का ओवरसियर भी साथ ही था। वह जमादार को संबोधन करके कहने लगा :

ओवरसियर–जमादार ! क्या यह अमुक नाम का पागल तो नहीं है ?

जमादार–हां हुजूर ! यह वही पागल है, जो कि हमेशा बकता रहता है।

इतनी बात सुनकर छोटे लाट से कह दिया गया कि वह पागल है और अफसरों को देखकर कुछ न कुछ अंटसंट बक दिया करता है। इस उत्तर को सुनकर सबके सब हंसकर चल दिए और उनकी पीठ घूमते ही, रावल को हथकड़ी पहनाकर हवालात में बंद कर दिया गया। दो चार दिन के बाद रावल का मुकदमा किया गया और उपरोक्त दोष लगाकर 6 महीने चेन गैंग तथा 20 बैंत मारने का दंड दिया गया। जिस समय भारत सरकार की नीति का समर्थन करने और राजनैतिक कैदियों को देखने के लिए मि. क्रैडोक (उस समय होम मेंबर तथा उपरांत बर्मा के गवर्नर) ने अंडमान को पवित्र किया था, तो राजनैतिक कैदियों को पहले ही से पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया था; ताकि इनकी देखा देखी दूसरे कैदी भी कुछ न कुछ विलाप न कर बैठें ? डाक्टर जनरल के जाने के समय इस नीति से काम नहीं लिया गया और न कैदियों को छुट्टी ही दी गई थी। डाक्टर जनरल ने हमारा दुख सुनकर ही आंसू बहा दिए थे, क्योंकि वह बेचारा राजनैतिक अफसर नहीं था। अंडमान का इतिहास ऐसा सरल है कि उसकी टीका किए बिना ही समझ में आ जाता है। यदि किसी को विश्वास न हो तो (श्री वारेन्द्रकुमार के लेखानुसार) स्वयं जाकर देख लें, कि एक एक दिन कैसे कटता है और कैदियों के मुख पर कैसी कांति चमक रही है ? दूसरे देशों...टापू (स्टेशन) के जमादार आदि की मंडली भी सुदृढ़ होती है और

यही कारण है, वे कैदियों का भोजन बेच खाते हैं। कैदियों को आरंभ ही से कम भोजन खाने का अभ्यास हो जाने के कारण, भूख मर जाती है, और शरीर क्षीण हो जाता है। यदि खाने वाले के विरुद्ध किसी कैदी ने रिपोर्ट की कि उसे भोजन कम मिला है तो जमादार आदि ऐसे कौतुक दिखाते हैं कि उसे (रिपोर्ट करने वाले को) पता भी न लगे और फिर रिपोर्ट करने का साहस भी न करे। चावल बांटने के लिए टीन का माप होता है। इसको भर भर कर देने से ही पूरा 18 औंस होता है परंतु ऊपर से हाथ फेरते समय ही चतुरता का काम है। खाने के बर्तन में चावल पड़ते ही दाल वाला आकर दाल डाल देता है और इस प्रकार किसी को बोलने योग्य नहीं रखता। यदि चावल लेते ही किसी ने सावधानी से खड़े होने का साहस कर दिया तो जमादार भी क्रोधित होकर रसोईए को तोलने की आज्ञा देता है और कम होने की दशा में (कम तो होता ही है) सब कुछ (खाना) रिपोर्ट करने वाला, बांटने वाला और तौलने का सामान लेकर अपने ओवरसियर के पास चल देता है। खाना बांटने वाला भी थोड़ा-सा चावल छिपाकर साथ में ले लेता है और ऐसी चालाकी से उस पहले खाने में मिला देता है कि शिकायत करने वाले को पता भी न लगे। ओवरसियर को केवल यह बताया जाता है कि यह कैदी कम भोजन पाने की शिकायत करता है। वहां भी तो बहुधा मिलीभगत ही हुआ करती है और फिर तौलने की आज्ञा होती है। इस समय वही पहले का तुला हुआ चावल, कम होने के बदले अधिक हो जाता है और कानून की मार उसी कैदी पर पड़ती है जिसने रिपोर्ट की थी। अब देखने योग्य बात यही है, कि कैदी को सजा कैसी दिलाई जाएगी। उसको इस अपराध में नहीं फंसाते कि खाना तुलवाया। वे तो यह लिखते हैं, कि परेड के ऊपर दूसरों को भी खराब करने के लिए गड़बड़ की।

एक समय मेरे एक बंगाली भाई (श्री ज्योतिर्मयराय) को शौच जाने से रोका गया था और मैंने उन्हें आज्ञा दी थी कि यदि तुम्हें जाना है अर्थात शौच जाने की आवश्यकता है तो जाओ। वे बंगाल के बहादुर थे, परंतु अंडमान में बात तक न करते थे। मेरे कहने से शौच को तो चले गए, परंतु न जाने वहां (पाखाने में) जाकर डर के मारे क्या हुआ होगा ? जब जेलर को मेरे विरुद्ध रिपोर्ट हुई तो उसने (Inciting presonds to mutinuous conduct) कैदियों को बलवा करने के लिए उत्तेजित करने का दोष लिख मारा था।

जेल का ओवरसियर (वारी) बंगाली भाइयों को घुड़की देकर कहा करता था कि 'हिंदुस्तानी में बात करो' वे बेचारे हिंदुस्तानी क्या जानें ? जब एक दिन मुझसे भी वही बात कह डाली तो मैंने ऐसी कड़ी भाषा बोली, कि उसका उस्ताद भी न समझ सका। जब उसकी समझ में न आई तो फिर से बोलने का हुक्म दिया, परंतु मैंने इंकार किया और कह दिया कि जब तू समझता ही नहीं है तो फिर बोलने से क्या फायदा ? बस इसी बात पर खूब कूदा फांदा और चिल्लाता रहा। मैं भी चुपचाप

रहा, परंतु दूसरे दिन रिपोर्ट लिखी गई कि (using impertinant and abusive language to his overseer) ओवरसियर के लिए अपमानसूचक और अश्लील शब्द कहे। सुपरिंटेंडेंट को मेरे ऊपर बहुत दया आती थी और हमेशा अच्छी बातें किया करता था। मैंने उससे कहा था कि मैंने कोई सी बात नहीं कही थी और न कहूंगा क्योंकि वह मेरी आत्मा के विरुद्ध तथा कमीनों का काम है। उसने मुझे बिना सजा दिए ही छोड़ दिया था। और उसी का यह फल भी हुआ था कि फिर बारी ने मेरे भाइयों से हिंदुस्तानी बातें करने का साहस नहीं किया...बाहर से किसी अपराध में सजा खाकर जेल में आने का नियम है, परंतु एक अपूर्व उदाहरण भी देखने में आया था कि एक स्वेच्छा निर्वाही कैदी को, किसी औरत की हत्या करने के अपराध में फांसी देने की आज्ञा दी गई, परंतु अपील होने पर वह अभागा छोड़ दिया गया। अंडमान के इतिहास में यही एक ऐसा पापी था कि मृत्युदंड पाने के स्थान पर एक दिन के लिए भी सजा न पाकर बच गया। वह पश्चिम जिले से आया था और मकान जमीन खेती आदि सब कुछ वहीं थी। पश्चिम जिले के हाकिम ने उसकी रिहाई का समाचार पाकर लिख भेजा था, कि जब तक उसकी अंतिम रिहाई (भारतवर्ष को लौटने का समय) न हो, तब तक वह जेल ही में बंद रहे। इसका कारण यह था, कि उसने उपरोक्त हाकिम के विरुद्ध कुछ शब्द कहे थे। मेरे एक साथी महात्मा नन्दगोपाल को तरकारी के बाग में निरीक्षक बनाकर रखा गया था, उनकी उपस्थिति के कारण वहां के ओवरसियर को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि तरकारियां बेचकर लाभ उठाने का काम बंद हो गया था। उसने महात्मा जी के विरुद्ध झूठ रिपोर्ट कर डाली, कि वह तरकारी बेचकर रुपया जमा करके बंब बनाना चाहता है। सौभाग्यवश उसकी बात बड़े अफसर ने न मानी; अन्यथा मेरे मित्र को न जाने क्या दंड मिलता ? यह अफसर आयरलैंड का निवासी होने के कारण बड़ा ही उदार था और राजनैतिक कैदियों को सम्मान की दृष्टि से देखा करता था।

जिन लोगों को जीवन द्वीपांतर का दंड मिलता है, उन्हीं को स्वेच्छा निर्वाह का पास देते हैं। यदि किसी कैदी की सजा 30 वर्ष हो, परंतु कई अभियोगों में मिलकर इतनी होती हो, तो वह तमाम कैद सरकारी काम करके ही काटेगा। अर्थात स्वेच्छा निर्वाह ही नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार एक कैदी की कुल सजा 73 वर्ष थी और 9 मुकदमों में यह जोड़ लग पाया था। वह काम करते करते उठने बैठने के योग्य भी न था, परंतु कानून के अनुसार उसे छोड़ने अथवा स्वयं निर्वाह करने की आज्ञा न मिल पाई।

यहां किसी वकील के रहने की आज्ञा नहीं है। सरकारी वकील भी नहीं होता। केवल हाकिम की इच्छा ही न्याय और कानून का काम करती है। जब राजनैतिक कैदियों को काम न करने के अपराध में मजिस्ट्रेट के सामने भेजा गया था, तो जेलखानों के कानून की दफा 52 ही लगाई गई थी। मजिस्ट्रेट ने मेरे दोस्तों से कह

दिया था, कि उनका कहना सत्य है, परंतु उसे सजा देनी ही पड़ेगी, सजा भी जेलर की मर्जी के हिसाब से ही दी गई थी। अर्थात एक को एक माह, दूसरे को तीन माह और तीसरे को छह माह की सजा दी गई थी। मेरे एक मित्र ने प्रश्न उठाया था, कि जब भारतवर्ष की जेलों के समान अन्य सुविधाएं नहीं दे सकते और उस कानून का प्रयोग अब तक नहीं किया गया, तो केवल उन्हें सजा देने के लिए ही उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है। इस कानूनी समस्या का उत्तर वही उपरोक्त दंड था।

बहुत से कैदियों को दंड अवधि बीतने पर भी नहीं छोड़ते। इसका कारण यह है कि वे भयंकर अपराधी होते हैं और उनके प्रांत की सरकार की स्वीकृति के बिना देश में लौटने का नियम नहीं है। बहुत से कैदियों से कह दिया जाता है कि तुम्हारा चाल चलन देखने के लिए 5 वर्ष और अधिक रहना पड़ेगा। पाठक सोचें, कि जब 25 वर्ष कटने पर भी चाल चलन का पता न लग सका, तो क्या 5 वर्ष और अधिक रहने से उनकी रग रग का पता लग जाएगा। वहां कोई इतनी बुद्धि नहीं रखता, कि जब युवा होने की दशा में ही कुकर्मी नहीं बना तो क्या अंत में 5 वर्ष और रहकर मरते समय ही कुछ रंग दिखाएगा। 25 वर्ष सजा काटकर भी देश में लौटने की आज्ञा न मिलने पर जो कुछ होता होगा, वह दूसरों को क्या मालूम ? यह तो दिल की चोट है जिसे केवल ईश्वर ही जानता है। अंडमान में कठिनाइयों की बढ़ती ही होती रहती है। काम करने के लिए हाकिमों की इच्छा ही का नियम है। पहले जेल में प्रति कैदी 20 पौंड तेल लिया जाता था परंतु अब 30 पौंड लेते हैं। नियमित कार्य पूरा हो जाने पर अन्य छोटे छोटे काम तो फोकट ही में करवा लेते हैं। जेल कमेटी ने लिखा था कि अंडमान में कैदियों को न भेजा जाए, परंतु वह बात भी उड़ गई। इसका कारण यह है, कि अब वहां रबड़ का काम भी आरंभ हो गया है। जिस समय कर्नल डगलस का राज्य था, उस समय केले के बगीचे काट काटकर नारियल ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि केला तो कैदियों के पेट तक ही पहुंचकर नष्ट हो जाता है परंतु नारियल की कमाई तो इंग्लैंड तक चली जाती है। राजनैतिक कैदियों के कारण वहां की सत्ता कुछ ढीली पड़ने लगी थी और रात दिन काम लेना बंद हो गया था। दिन के समय कुछ आराम भी मिलने लगा था और कोठरियों में बंद होने वालों को पेशाब का लोटा भी दिया जाता था। कैदियों के मन में हमारा मान बढ़ रहा था और वे समझ रहे थे कि थोड़े ही दिनों में उनका दुख घट जाएगा आज वे सब बातें स्वप्न हैं और अंडमान ज्यों का त्यों बसा हुआ है। जिस समय रबड़ का काम (वृक्ष लगाने के लिए जमीन खोदना) हो रहा था तो बहुत से कैदी दंडित हुए थे। इसका कारण यह था कि उन्हें इतनी अधिक जमीन खोदने की आज्ञा दी जाती थी कि जिसे दो मनुष्य भी कठिनता से खोद सकें।

प्रारंभ में प्रत्येक कैदी को दूध दिया जाता था। अंडमान में पहुंचते ही रुपए

मिलने का श्री गणेश भी हो जाता था। अब तो 5 वर्ष के बाद 12 आने का खजाना मिलेगा और वह भी ऐसा सरल है कि हाकिम लोग साधारणतया कैदियों के तीसरे दर्जे की अवधि बढ़ाने का ही दंड दिया करते हैं अर्थात दो मास, तीन मास की मियाद दंड के तौर पर अधिक करते करते वर्षों का हिसाब पूरा कर देते हैं। अब तो यह 12 आने बंद करने की भी चिंता लग रही है और दूसरे स्थानों पर भी तेल निकालने का काम कराने की नियमावली बन रही है। स्वर्गीय इन्दुभूषण राय के बलिदान के कारण मेजर वार्कर को बदल दिया गया था, परंतु अब तो उसे फिर बुला लिया गया है और उसने अस्पताल का खर्च बिल्कुल घटा दिया है। मेजर मरे को इसी प्रकार की काट छांट करने के कारण ही लेफ्टिनेंट कर्नल और सी.आई.ई. की उपाधि दे दी गई है।

भारतवर्ष की जेलों में कैदियों का सूती कुर्ता आधी बांहों का होता है, परंतु अंडमान में बांहों का नाम ही नहीं है। कंबलों में आधा जूट (टाट बनाने का सन) और आधी ऊन होती है। एक कंबल तो इतना छोटा होता है कि केवल बिछाने के ही काम में आ सकता है। कंबल इतने बुरे बनाए जाते हैं कि किसी अंग्रेज का कुत्ता भी उस पर न बैठेगा। इस प्रकार के कपड़ों के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और एक बार बीमार होने के बाद, ऐसी कमजोरी आ जाती है, कि शरीर का बोझ लेकर चलना कठिन हो जाता है। भारतवर्ष में रहने वालों को तो यही पता है, कि वहां सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। परंतु यह नहीं जानते कि स्वतंत्रता शब्द ही अंडमान की डिक्शनरी (कोश) में से निकाल दिया है। आजकल की दशा का निरूपण करके, यदि देखा जाए तो अंडमान जाकर जीता रखने से तो मार डालना ही उत्तम है। जो लोग प्राणदंड की आज्ञा पाकर अपील करते और जीते रहने की इच्छा से काले पानी जाना पसंद करते हैं, वे स्वयं ही अंडमान के दर्शन करके आत्महत्या कर लेते हैं। बंबई प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में लिखा है कि कैदियों ने अंडमान जाने के लिए उससे प्रार्थना की है परंतु वे धोखे में हैं और यह काम देश के लोगों का है कि प्रत्येक मनुष्य को वहां की दशा बताते रहें। यह बातें सुनी हुई नहीं हैं, किंतु अनुभव की हुई हैं। ईश्वर अंडमान के दर्शनों से सबको दूर रखे।

प्रारंभ में सब कैदियों को पीतल का लोटा और थाली देने का नियम था और कपड़ा भी अच्छा मिलता था, परंतु जुआ खेलने वालों ने वह सामान बेच बेचकर ही अपना यज्ञ रचा और सरकार बहादुर ने लोहे का प्रचार किया। अब प्रश्न यह है कि क्या सब लोग जुआरी हैं ? क्या ऐसे कुकर्मी 10 फीसदी से अधिक हैं ? रात के समय बैरकों का ताला बंद न होने की दशा में, चोर लोग अपना काम कर आते थे। अब तो 8 बजे ही सबको बंद कर दिया जाता है। क्या चोरों को अलग बंद नहीं कर सकते थे ? जब इतने बड़े प्रबंध होते रहते हैं तो क्या केवल कैदियों के

सुख का प्रबंध कुछ भी नहीं हो सकता ? इन सब प्रश्नों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि हाकिमों ने जान बूझकर अत्याचार किया है तथा कर रहे हैं। अब तो यही चिंता है कि यदि भोजन दिए बिना भी काम चल सके तो ऐसा ही कर डालें, परंतु ईश्वर की मूर्खता के कारण विवश हैं।

प्रत्येक अफसर के यहां पढ़े लिखे कैदी ही बाबू बनकर काम करते हैं। यदि सच कहा जाए तो वे ही सब काम करते हैं, परंतु उनको क्या मिलता है ? उन्हें तो यह भी आज्ञा नहीं है, कि छुट्टी के दिन स्वेच्छानुसार भ्रमण कर सकें। श्रीयुत हेमचंद्र दास ने अंडमान के जंगलों का नक्शा बनाया और ऐसी उत्तमता से कार्य किया कि भले भले इंजीनियर भी नहीं कर सकते थे। फल क्या हुआ ? क्या उन्हें कुछ धन दिया गया ? क्या उन्हें बिना कारण पकड़कर जेल में बंद नहीं किया गया ? यह माना, कि जंगल विभाग का हाकिम उनको बहुत मानता था, परंतु यह तो केवल काम निकालने की चाल थी। जब किसी भी राजनैतिक कैदी को लिखने पढ़ने का काम नहीं दिया जा सकता था, तो फिर हेम दादा को कैसे दिया ? उत्तर यही है कि मतलब का कानून ही माननीय है और कैदियों को जीते जी नर्क में डालने का नाम अंडमान है।

उपेन दादा ने अपनी पुस्तक 'निर्वासितरे आत्मकथा' में लिखा है कि जिस समय वे अमरकंटक के वन में घूम रहे थे, तो सिंह के पंजों के चिह्न और रक्त की बूंदें भी देखी थीं। (उस जंगल में सिंह बहुत हैं और कोई मनुष्य अकेला नहीं जा सकता) यदि उन्हें यह पता होता कि अंडमान में जाना पड़ेगा, तो सिंह की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बने रहते अर्थात सिंह का भोजन बन जाते। यह अंडमान का सुख है और अंग्रेजी सभ्यता है।

फतेहगढ़ (संयुक्त प्रांत) सेंट्रल जेल के बलवाइयों को 14 वर्ष द्वीपांतर दंड देकर वहां भेजा गया था। उनमें दो तीन की आयु लगभग 60 वर्ष की थी, परंतु सरकार ने भेज ही दिया। उनमें एक कैदी को उपदंश रोग (गर्मी) भी हो चुका था और कोल्हू में पूरा काम नहीं कर सकता था। वार्कर साहब ने उसे उपरोक्त रोग के कारण बेंतों का दंड नहीं दिया, परंतु मेजर मरे ने बारी के कहने से, बिना परीक्षा किए ही 20 बेंत लगवा दिए थे। यह माना कि वह कैदी पूरा पापी था, परंतु नियमानुसार अंडमान जाने अथवा बेंतों की सजा से बचने योग्य भी था। वारेन्द्र बाबू ने मरे साहब की बहुत प्रशंसा की है। मैं भी प्रशंसा करते करते अंटसंट लिख रहा हूं।

नर्क यात्रा

नर्क में जाने वालों की जो दुर्दशा बनाई जाती है, उसका मुझे अनुभव न था। क्योंकि मैं तो सबसे अलग रहता था। जब अपना तथा अपने साथ जाने वाले दूसरे कैदियों का हाल देखा तो आश्चर्य होने लगा; कि यदि हमें स्वतंत्र बनाने के लिए भेजा जा रहा है, तो फिर इस प्रकार अत्याचार क्यों हो रहा है ? पाठक इस दशा का चित्र दिखाए बिना न समझेंगे। इसमें तो संदेह नहीं कि मोटे कपड़े की धोती और वैसी ही पगड़ी मिल जाती है; परंतु पैरों में बेड़ियां और उनके बीच में आड़ी बेड़ी (Cross bar) भी डाल दी जाती है। हाथों को भी मोटी सांकल की दो कड़ी वाली हथकड़ी से जकड़ दिया जाता है। चाबी वाली हथकड़ी तो पुलिस वालों की दया पाकर खुलवाई जा सकती है; परंतु इसको काटने के लिए लुहार ही बुलाना पड़ता है। जिस समय यह दुर्दशा हो जाती है तो मोटे कपड़े की धोती खुल जाने पर, फिर बांधना कठिन ही नहीं, किंतु लाज त्यागकर दूसरों की सहायता बिना काम ही नहीं चल सकता। शौच जाकर पानी का प्रयोग करना भी इसी प्रकार है, चलते समय दो दो तीन तीन इंच से अधिक पांव उठाना प्रकृति के विपरीत बन जाता है, इतनी कृपा अवश्य की जाती है, कि बिस्तरा आदि उठाने के लिए, कुली बुलाए जाते हैं, अन्यथा अपना शरीर लेकर चलने के योग्य न होने वालों को यह भी करना ही पड़ता। खाने के लिए भुने हुए चनों का थैला भी रख दिया जाता है और कभी कभी थोड़ा-सा गुड़ भी दे देते हैं, जो कि पहली बार ही समाप्त हो जाता है।

मैं जब फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल से चलकर इलाहाबाद आया तो महात्मा जी और होतीलाल वर्मा भी आ मिले। कुछ घंटों के बाद मुगलसराय पर बाबूराम हरी भी आ गए और कलकत्ते तक की यात्रा भली भांति कट गई। सबका एक ही हाल था और एक ही उद्देश्य सामने था कि दो चार दिन के कष्ट के बाद तो सुख से घूमेंगे। बाबूराम हरी ने नर्कगामी जहाज का दिन 2 अक्तूबर बताया था तथा इस हिसाब से 12 दिन कलकत्ते की जेल में भी रहने के लिए हृदय दृढ़ हो रहा था।

कलकत्ते में हमारे रहने का स्थान वही कोठरियां थीं, कि जिनमें अन्य राजनैतिक अपराधी रहे थे अथवा रहते थे। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती

थी कि क्या इसी प्रकार की स्वतंत्रता अंडमान में मिलेगी, कि अभी से ओढ़ने अथवा बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है ? जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक आदमी (गोरा) दो कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंककर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही थे। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारतमाता से जुदा होने का ध्यान साथ में था।

दिन निकलते ही खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा-सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय, केवल दो तीन बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट हैं ? मैंने एक बार दुखी होकर कहा भी, कि क्या अंधा है जो पैर में मारता है ? जेलर देवता भी साथ ही थे और पहले अंडमान में राज कर चुके थे। आपने आनंद प्रगट करते हुए कहा, कि राजद्रोहियों से सबको द्रोह है और यही कारण है कि बेड़ी काटने वाला यंत्र भी तुम्हें सताता है। इसके बाद वह चले गए और मैं भी किसी प्रकार 12 दिन गिनता रहा। इन 12 दिनों में अपने तीनों साथियों को देखने का अवसर नहीं मिल सका जो संभवतया इसी जेल में अलग अलग ही रहते थे। उस वक्त अलीपुर जेल में ''हावड़ा गैंग केस'' वाले देशभक्त मौजूद थे तथा हाई कोर्ट से तिथि निश्चित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे दोनों ओर की कोठरियों में रहने वाले दोनों सज्जन दीवार पर उचक कर प्रतिदिन बात किया करते थे और वहीं एक पुराने मित्र श्री कार्तिक दत्त से भी दर्शन करने का ही अवसर मिला था। वे मेरे साथ युगांतर वाले घर में रहा करते थे। मैं दीवार पर नहीं चढ़ सकता था क्योंकि पैरों में बेड़ियां थीं।

ता. 2 अक्तूबर, सन् 1910, प्रातःकाल 3 बजे ही हमें उठाकर खिचड़ी खाने पर बिठा दिया गया। जब आंखों में निद्रा भरी हुई हो तो कोई क्या खाएगा ? अब तो बेड़ियां बजाते बजाते फाटक पर आना पड़ा और जन्मपत्री की पोल खुली। हमसे पहले ही 11 बंगाली नवयुवकों की आहुति का प्रबंध हो चुका था तथा घोड़ों की गाड़ी भी गोरे पहरे वालों के साथ खड़ी हुई थी। पहले बंगाली भाइयों को गाड़ी में भरकर, पीछे हमारी बारी आई। अभी गाड़ी का द्वार बंद भी न हो पाया था, कि नए भाइयों में से एक ने प्रश्न भी कर ही डाला कि Who are you brothers? (भाइयों आप कौन हैं ?) परिचय देते ही हाथ मिलाकर प्रणाम तथा हाथ मिलाने का उत्साह हुआ और यदि उस दृश्य का पूरा पूरा वर्णन करना चाहूं तो शब्दों का अभाव कष्ट देगा। एक एक साथ चार चार छह छह हाथ इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि दो दो आदमियों को हथकड़ी पहनाकर जोड़ा बना दिया था और अंधेरे में दिखाई भी नहीं पड़ता था, कि किसका हाथ है और किधर से आ रहा है।

अभी अंधेरा ही था और चारों ओर सुनसान दिखाई पड़ता था। घाट पर संगीनें

चढ़ाए हुए पहरेदारों के बीच में गाड़ी रुकी और द्वार खुला। एक गोरा अफसर सामने आकर कहने लगा कि Come out (बाहर निकलो।) पहले हम चार ही निकले; क्योंकि पीछे से बैठे थे और जहाज की सीढ़ियों से उतरकर नीचे की मंजिल के एक खाली पिंजड़े में जा पहुंचाए। हथकड़ियां खोल डाली गईं, परंतु पैरों में मोटे मोटे लोहे की बेड़ियां अभी तक थीं। दो तीन मिनट में हमारे सात बंगाली भाई भी पिंजड़े में आ गए, परंतु चार के लिए एक पृथक पिंजड़ा था। कारण यह था, कि 11 बंगालियों को हमसे (चारों से) पृथक रखने की व्यवस्था की गई थी, परंतु गोरे सिपाहियों ने 4 बंगालियों को पृथक तथा 7 बंगाली और 4 हम लोग मिलाकर 11 पृथक करके ही आज्ञा पालन की और आनंद मनाते हुए चले गए, मेरे 7 बंगाली भाई बड़े ही प्रसन्न थे, कि हम उनके साथ हैं।

थोड़ी देर तक तो दिखाई ही नहीं पड़ा कि हम किधर जा रहे हैं और कहां तक पहुंचे। हमारे पिंजड़े में तीन सुराख (छेद) थे और उन पर लोहे की ढकनी लग रही थी। जब कई बार प्रार्थना की तो डायमंड हार्वर के समीप एक सिपाही आकर ढकने खोल गया। हमें उसी समय पता लगा था कि राजनैतिक कैदियों के दो दल जा चुके हैं तथा उनको तो हथकड़ियां लगाकर, एक बड़ी सांकल के साथ जकड़ रखा था, कि कहीं उपद्रव न करें, परंतु यहां उपद्रव करना सीखे ही न थे। उल्लासकर दत्त का गाना और हेम दादा की मनमोहिनी बातों ने तथा उनके साथ दूसरे युवकों की हंसी ने जहाज को हिला डाला। जहाज वाले तो समझते थे कि बाबू लोग रोते रोते मर जाएंगे, परंतु इन्हें रोना आता ही नहीं था। अब तो उनके भाग्य खुले और सांकल तथा हथकड़ियों से मुक्त हुए। इसके उपरांत जाने वाले दो वीरों को खुला ही रखा था, परंतु खिड़कियां अवश्य बंद रहीं। हम लोग भी "वंदे मातरम्", "आमार देश" आदि गाने गाते रहे और कभी कभी खिड़कियों पर जाकर देखते रहे कि गंगा जी का तट दिखाई पड़ता है या नहीं ? इस प्रकार बातें करते, गाते बजाते लगभग 11 बजे थे, कि एक साथी ने खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखा और कहा कि अब देश का दृश्य लोप होता जा रहा है—यदि...इस बात के सुनते ही सबने अपनी अपनी ओर से हिंद माता के दूर से दर्शन किए। एक ओर का किनारा तो लोप हो ही चुका था, परंतु दूसरी ओर कुछ परछाईं सी दिख रही थी। इस समय मन में केवल एक असीम वेदना उठकर, हृदय को दबा रही थी, कि जिस जननी के लिए परिवार तथा प्रेमियों के प्रेम को धिक्कार दिया था, आज उसके दर्शन भी दुर्लभ होते जाते हैं। जैसे तैसे चित्त को एकाग्र करके प्रार्थना करने की ठानी तथा उसमें हम सब शांत भाव से आंख मूंदकर बैठ गए।

प्रार्थना यह थी—

"माता ! आज हम आपकी गोद से दूर जा रहे हैं। हमारा आपसे पृथक होने का कारण यही है, कि हम आपकी अधूरी सेवा करते थे। इसी पाप के कारण हमें

आपके दर्शनों से वंचित किया गया है। हे माता ! हम निरपराधी हैं। यह अधूरी सेवा तो सैकड़ों वर्ष के दासत्व तथा उसी के कारण पैदा होने वाली आत्मिक दुर्बलता का स्वभाव था। आप हमारे कामों की ओर न देखकर, भावना पर ध्यान दें और हमें आशीर्वाद दें। हम प्रतिज्ञा करते हैं, कि भविष्य में यह त्रुटि भी पूरी कर देंगे। आपका अपमान होते देखकर शांति धारण करने का पाप अब हमारी समझ में आता जाता है। माता आशीर्वाद दो। हम आपके सच्चे पुत्र हैं तथा इसका प्रमाण देने के लिए भी उद्यत हैं।

इसके बाद मुझे दो पुराने शेर याद आए, कि जिनसे मन की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ गई–

उठाकर ले चली बुलबुल,
चमन से आशियां अपना।
कहा गुल से कि ले,
ऐ बेवफा हमसे मकां अपना।
हुई जब बाग से रुखसत,
कहा रो रो के ऐ किस्मत।
लिखा था यों कि फस्ले,
गुल में छूटे आंशियां अपना।

इसके बाद बहुत देर तक मौनता छा गई तथा ध्यान भी न था कि हम कहां हैं अथवा कहां जा रहे हैं। जब सावधान हुए और उठकर देखा तो भारत माता का दृश्य लोप हो चुका था और हम नीचे पानी के अतिरिक्त और कुछ न देख सके। जब कुछ न दिखा तो अपने अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए।

हमारी इस दशा को परिवर्तन करने वाला कारण यह हुआ, कि पिंजड़े का द्वार खोलकर तीन चार आदमी घुस पड़े। उनके पास बड़े बड़े थैले थे और गांव गांव फिर कर सूई, बटन, पेचकस आदि बेचने वाले जैसे दिखाई पड़ते थे। संभव था कि हम कह दें कि हमें कुछ नहीं चाहिए; परंतु वे तो आते ही बोल उठे कि लो खाना लो। बड़े आनंद से हम सबने अपने अपने बर्तन उठाए और अन्नदाताओं ने भुने हुए चने, चिवड़े, नमक, मिर्च, इमली और जावा शक्कर बिना दाम दे डाली। अब खाने का समय भी हो ही चुका था और क्षुधा भी अच्छी तरह लगी थी; परंतु इतना सामान कौन खाएगा ? 5 तोले शक्कर तो ठीक है परंतु सड़ा हुआ चिवड़ा और दुर्गंधमय चने तो मुंह के साथ नहीं लगे। एक बंगाली मित्र के कहने से चिवड़े को अनेक बार धोया, परंतु वह तो वैसा ही बना रहा। शक्कर मिलाकर खाने की इच्छा करने वालों की शक्कर भी हाथ से गई और वे चिवड़ों की ओर देखते ही रह गए। इमली और नमक के पानी में मिलाकर चनों ने कुछ कृपा अवश्य की अन्यथा ईश्वर ही मालिक था। पहरे वाले संतरी सिपाही को अनेक बार कहा कि कप्तान

को बुलाओ। परंतु वह क्यों सुनने लगा था ? अंत में बक बकाकर बैठ जाना ही अच्छी नीति प्रतीत हुई। यह भी निश्चय कर लिया था कि दूसरी बार ऐसे भोजन के देने वालों को दूर ही से प्रणाम कर लेने से ही काम बन जाएगा। सबसे प्रथम हिसाब 1909 ई. में जो राजनैतिक कैदी भारतवर्ष से अंडमान गए थे, उनकी सूची निम्न लेखानुसार है—

श्रीयुत हेमचन्द्र दास—जीवनपर्यंत द्वीपांतरण
श्रीयुत वारेन्द्र कुमार घोष—फांसी का दंड माफ होकर जीवनपर्यंत द्वीपांतरण
श्रीयुत उल्लासकर दत्त—फांसी का दंड माफ होकर जीवनपर्यंत द्वीपांतरण
श्रीयुत हृषीकेश कांजिलाल—दस वर्ष द्वीपांतरण
श्रीयुत इन्द्रभूषण राय—दस वर्ष द्वीपांतरण
श्रीयुत विभूतिभूषण सरकार—दस वर्ष द्वीपांतरण
श्रीयुत अविनाशचन्द्र भट्टाचार्य—सात वर्ष द्वीपांतरण

छह सप्ताह बाद दूसरा दल जो कि उस समय बीमार था, भेजा गया। उसमें—

श्री उपेन्द्रनाथ् बनर्जी—जीवनपर्यंत द्वीपांतरण
श्री सुधीरकुमार सरकार—सात वर्ष द्वीपांतरण

अपील करने के कारण कतिपय अभियुक्तों का पुनर्विचार हुआ तथा उसका फल लेकर श्री वीरेन्द्र चन्द्रसेन को 7 वर्ष का द्वीपांतरण हुआ और वे अकेले भेजे गए थे।

श्री गणेश दामोदर सावरकर भी जीवनपर्यंत द्वीपांतरण राज्य करने का ठेका लेकर हमसे पहले ही 30 पौंड तेल निकालते निकालते बीमार होकर पड़े थे। इस नई टोली के 15 नाम इस प्रकार हैं—

श्री नन्दगोपाल	10 वर्ष द्वीपांतरण
श्री रामचरनलाल शर्मा	10 "
श्री बाबूराम हरी	7 "
श्री होतीलाल वर्मा	10 "
श्री कालीदास घोष	7 "
श्री विधूभूषण दे	7 "
श्री अविनीभूषण चक्रवर्ती	7 "
श्री सचीन्द्रलाल मित्र	7 "
श्री सुधीर कुमार दे	5 "
श्री प्रियनाथ पोई	5 "
श्री नगेन्द्रनाथ चन्द्र	7 "
श्री नगेन्द्रनाथ सरकार	5 "

श्री सतीशचन्द्र चटर्जी	3 वर्ष द्वीपांतरण	
श्री अश्वनी कुमार बोस	7 वर्ष	"
श्री ब्रजेन्द्र कुमार दत्त	3 वर्ष	"

जब महाराजा ने गहरे समुद्र में दौड़ लगाई तो मेरे साथी भी लोट पोट होने लगे। पेट में से चना और चिवड़ा भी भागता आया और अब बाबूराम हरी और मेरे सिवाय, सबने ओ...ओ करना शुरू कर दिया। हम दोनों का भी बुरा हाल था, परंतु जैसे तैसे चल फिरकर अपने भाइयों को सहायता देते थे। डाक्टर को बुलाया गया परंतु महाराज में सवार होकर कौन किसकी सुनता है। एक सिपाही ने यह समाचार अवश्य सुना दिया था कि कल तुम लोगों को लाइम जूस दिया जाएगा। संभव है उसी आशा के आधार पर हमने...दूसरे दिन हमें शक्कर दी गई क्योंकि...जिस पिंजड़े में हम बंद थे, उसमें लकड़ी के दो पीपे (Tube) भी रखे हुए थे, तथा उन्हीं में हमें शौचादि से निवृत होना पड़ता था। इस समय उन पीपों की दुर्गंध और ओ ओ की महक अपना आनंद दिखा रही थी। पहरे वाले सिपाहियों का भी बुरा हाल था और जब हम उनसे अपना दुख रोते थे, तो वे भी अपनी दशा दिखाकर चुप हो जाते थे। यह कयामत का उदाहरण ही था कि सबको अपनी अपनी चिंता थी और कोई भी दूसरे की सुनना न चाहता था।

जैसे तैसे दिन निकला और हाकिमों को हमारा ध्यान आया। चीफ कमिश्नर के यहां (दफ्तर में) काम करने वाले मि. चोपड़ा भी छुट्टी से लौट रहे थे। वे हमारे साथ बातें करने के लिए छत पर से ही पुकार कर कहने लगे, कि तुम्हें पका हुआ खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि पकाने वाले तो मुसलमान हैं। जब उत्तर दिया गया, कि कुछ परवाह नहीं है तो वे रामहरी का जनेऊ देखकर कहने लगे, कि फिर इस धागे का क्या अर्थ है ? हरी ने उत्तर दिया ये तो हमारी शक्ति का चिह्न है, न कि दुर्बलता का। बस फैसला हो गया और हमारे लिए चावल के साथ कद्दू की तरकारी देने का प्रबंध हो गया। हमारे सिख भाइयों को (सिपाहियों में कुछ सिख भी थे) बड़ा दुख हुआ कि हम लोग मुसलमानों का खाना खाकर धर्म न बिगाड़ें। लेकिन हमारा धर्म तो बड़ा पक्का था और उसके बिगड़ने का भय ही हमारे हृदय तक न पहुंच पाया।

पूरे तीन दिन के बाद पांच अक्तूबर बुधवार के दिन, लगभग 9 बजे जहाज ने लंगर डाला। थोड़ी ही देर में चीफ कमिश्नर के सचिव ने आकर हम लोगों की नामावली पुकारी। बंगाली भाई तो 'हां जनाब' ''हाजिर जनाब' (Yes Sir, Present Sir) पुकारते रहे; परंतु मेरा नाम पुकारते ही 'मैं यहां हूं' (I am here) उत्तर दिया गया और इसके बाद दूसरों ने भी वैसा ही किया। सचिव देवता तो हमारे मुख की ओर चार आंखों से देखते देखते चले गए और हम भी नीचे उतर कर नौकाओं में जा बैठे तथा वे नौकाएं आग बोट ने खींचकर किनारे पर लगा दीं। अब तो वही

जोड़ी जोड़ी की ध्वनि आई और बहुत से सिपाहियों तथा एक अंग्रेज पुलिस अफसर की रक्षा में हम जेल पर जा पहुंचे। उस समय ठीक 10 बजे थे। फाटक के भीतर जाते ही पुलिस तो लौट गई, परंतु अनेक प्रकार के ठाठ वाले यमदूतों ने आ घेरा। पाठक इसका हाल आगामी अध्याय में पढ़ेंगे।

जिस समय हम नाव में बैठकर जेल को जा रहे थे तो एक पंजाबी सिपाही ने कहा भी था कि बारी साहब आज शाम तक ही तुम्हें ठीक बना लेगा और अंडमान का मजा चखा देगा, परंतु हम मूर्खों की समझ में न आया कि बारी कौन है ? क्या करेगा ? कैसा मजा चखाएगा ? मेरे बंगाली भाई उसकी बात नहीं समझे अन्यथा संभव था कि सुध-बुध भूल जाते। महात्मा नन्दगोपाल जी का साहस प्रशंसनीय था, आपने उसी समय कहा कि भाई साहब ! कुछ चिंता न करें हम सब कुछ ठीक करने के लिए यहां आए हैं।

नर्क का प्रथम दृश्य

दोनों फाटकों के भीतर होते ही, एक मुसलमान पहरे वाले ने नाक सिकोड़कर जोर से पुकारा, कि "खड़े हो जाओ" यह आज्ञा मानते ही सात-आठ दूसरे योद्धा भी आ जुटे और हमारी तलाशी लेनी शुरू कर दी। और तो था ही क्या ? केवल जनेऊ थे सो तोड़ डाले और हमारे बिना रोक टोक किए ही, एक बर्मा योद्धा कहने लगा कि It is not Indian Jail (यह हिंदुस्तान की जेल नहीं है)। हममें से किसी ने कहा भी कि हमें यह बात तो मालूम है, परंतु इसके साथ ही धमकी मिली, कि 'मुंह मत खोलो'। अब धोती की जगह जांघिया पहनना पड़ा। जिन भाइयों को बेड़ियां पहने पहने जांघिया चढ़ाना मालूम न था, उनकी ओर सबके सब योद्धा दौड़ पड़े और 'जल्दी करो ! जल्दी करो !' कहकर उनका मन छोटा करने लगे।

कपड़े बदल कर, दो कंबल और लोहे के थाली कटोरे लेकर अंदर चलने का हुक्म मिला और चार नंबर की ऊपर वाली मंजिल में जा पहुंचाए। इस नंबर में 22 कोठरियां हैं, हम 15 पापियों को इस प्रकार बंद किया गया, कि गुमटी के पासवर्ती 7 कोठरियों को खाली छोड़ दिया तथा शेष 15 में हमें बंद कर दिया गया। अभी बंद होने की देर भी न हुई थी, कि फाटक पर चलने का हुक्म हुआ और यहां आकर एक विचित्र मूर्ति के दर्शन हुए, कि जिसको ईश्वर की लीला ही कहना पड़ेगा। लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 3 फीट, नाक चपटी, पेट छोटी-सी भट्टी के आकार का, कोट पतलून पहने ऐसा मालूम होता था, जैसा कि बहुत से विज्ञापनों में एक विचित्र आकार बना रहता है। आंखें गोल गोल और छोटी परंतु क्रोधी।'

अद्भुत पुरुष ने सबको खड़ा करके प्रत्येक से प्रश्न किया, कि तुमने क्या अपराध किया था ? सबसे उत्तर सुनकर कहने लगा, कि 'क्या तुम अंग्रेजों के साथ लाठी लेकर लड़ सकते हो ? तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए ही यह बड़ा घर बना है। यह डाक बंगला नहीं है। तुमने हम लोगों को बंब के गोलों से मारा है, अब हम तुमको कानूनी मौत अथवा मंद-विष से मारेंगे। (You have killed us with Bombs, now we will kill you by judicial death or by slow poison)। अंडमान में ईश्वर नहीं है और जेल में मेरा ही राज्य हैं। मैं ही एक ऐसा मनुष्य हूं कि किसी से भी नहीं डरता। इस बड़े मकान में ही हम शेरों को पालते हैं और बस में करते हैं।

यदि तुमने किसी के विरुद्ध उंगली तक उठाई, तो बदले में फांसी ही होगी। सब कैदी अफसरों की आज्ञा मानो। जो काम दिया जाए उसे करो और चुपचाप रहो। बस यही तुम्हारा ईश्वर है। अंडमान के नियम बड़े बुरे हैं परंतु बड़े अच्छे भी हैं। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा।

इस व्याख्यान के बाद हमारी बेड़ियां काटी गईं और अब अनावश्यक दुख मिटा-सा प्रतीत हुआ। एक बंगाली भाई ने स्नान करने की आज्ञा मांगी, तो बारी पूछने लगा कि क्या साबुन भी चाहिए ? मेरे मित्र से 'No Sir' सुनकर बोला, कि अच्छा समुद्र का नौनाजल ही तुम्हें मिलेगा। इसके पश्चात एक कैदी वार्डर को बुलाकर कुछ चुपके चुपके कहा और हमें 4 नंबर में लाकर स्नान करने की आज्ञा दी गई। समुद्र का पानी आंखों में लगते ही दुख देने लगा। परंतु चौथे दिन का स्नान भी सुखदायी था। अभी दो तीन मिनट भी न हुए होंगे कि वार्डरों ने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए 'जल्दी करो, जल्दी करो' पुकारना शुरू कर दिया और शीघ्र ही कोठरियों में ले जाकर बंद कर दिया। हमारे बर्तनों को एक लाइन में बाहर ही रखवा दिया गया और जब उनमें खाना डाल दिया गया, तो हमारे दरवाजे खोल कर बाहर निकाला। जो चार वार्डर हमारे साथ रखे गए थे, उन्हीं में से एक को "ठाकुर" कहकर पुकारा जाता था और वही हमें पानी दिया करता था। पानी वाला केवल एक डोल पानी पहुंचाकर चला जाता था और...सूरत भी न देख सकते थे। जब तक हम वहां रहे, तब तक दोनों...मेरे साथी 14 थे और सबके सब शिक्षित तथा सुडौल थे; परंतु मेरे मुख में कुछ विशेष दृश्य था। यद्यपि मुझे इस बात का ध्यान भी न था; परंतु जेल भर में यह समाचार फैल चुका था, कि इस समय जो 15 बंगाली आए हैं, उनमें एक राजा है। वार्डर लोग भी मेरे साथ अधिक बातें करने के इच्छुक थे और साधारणतया उन्हें पंजाबी भाषा जानने वाला बंगाली मिलने से अधिक प्रेम था; क्योंकि वे सबके सब पंजाबी थे। हमारा ठाकुर भी डोंगरा राजपूत बना हुआ था, परंतु चाल ढाल से संदेह होता था कि हिंदू नहीं है। करम खां नामक वार्डर उर्दू का अच्छा पंडित था और मेरा भक्त बन चुका था। एक दिन वह और ठाकुर (दंगलसिंह) बातें करते करते कहने लगे कि अब हम आपके सामने खुल जाना ही उत्तम समझते हैं; क्योंकि मित्र के सामने बार बार झूठ बोलने से आत्मा दुखी होती है। इतना कहकर दंगलसिंह ने अपना असली नाम भी बता डाला और जेल भर का प्रबंध भी सुना दिया; कि जिन नंबरों में बंगाली लोग रहते हैं। उस समय तक राजनैतिक कैदियों को 5 से 6 नंबर ही में रखा गया था—उनमें केवल मुसलमानों और बर्मा लोगों ही को पहरे पर भेजा जाता था। आप लोगों के आने से एक दिन पहले ही, बंगाली पहरे वालों को जेल से बाहर निकाल दिया गया है; क्योंकि अब तो आप लोग प्रत्येक नंबर में रहोगे, मुसलमानों पर बारी का बड़ा प्रेम है और वह जानता है, कि हम लोग स्वदेशी वालों के शत्रु हैं। आप यह बात प्रकट न करना,

अन्यथा मुझे दुख होगा।

उसकी बात सुनकर मेरे मन की वृत्ति तो वही रही, परंतु इतना पता लग गया, कि यहां सब कुछ हो सकता है। और बारी के डर से जेल भर घबराता है। होतीलाल वर्मा को मेरे पास की कोठरी में होने के कारण सब कुछ पता था और मैंने चेतावनी भी दे दी थी कि घर की बात बाहर न जाने देना, प्रातःकाल शौचादि के समय सब परिवार को पता लग गया कि हमारे ठाकुर साहब का नाम मुहम्मद यार है, परंतु सबने उस बात को हंसकर टाल दिया।

एक दिन स्नान करते समय, एक मुसलमान वार्डर ने आकर श्री वारेन्द्र कुमार घोष का प्रणाम पहुंचाकर कहा, कि वे अपने भाई का पता जानना चाहते हैं (उस समय मि. अरबिंद घोष की स्थिति का निश्चय न था कि वे कहां रहते हैं) मैंने भी उत्तर दे दिया, कि वे सानंद हैं तथा उनको पकड़ने की शक्ति मर चुकी है। यद्यपि दूसरों से बात करना पाप था; परंतु वार्डरों की कृपा के सामने तो ईश्वर का कोप भी डर जाता है। मुझे मालूम था कि मि. घोष पांडिचेरी में हैं; परंतु इसलिए स्थान का नाम नहीं लिया, कि न जाने कुछ आपत्तिमूलक हो जाए ? इस नीति को मेरे अन्य भाइयों ने भी अच्छी दृष्टि से देखा था।

एक दिन प्रातःकाल 9 बजे के उपरांत चीफ कमिश्नर भी हमारे दर्शन करने के लिए आ ही गया और महात्मा नन्दगोपाल जी ने पत्र लिखने का नियम पूछ ही तो डाला। जब मुझे पता लगा क़ि प्रति वर्ष एक पत्र भेजने की आज्ञा है तो मन में निश्चय कर लिया, कि अब तो पत्र लिखने की बात ही भूल जाना चाहिए; परंतु रह रह कर मन में उमंग भी उठती थी, कि किसी न किसी प्रकार यहां का हाल लिखकर देश भर में पहुंचाना चाहिए। बारी ने व्याख्यान देते समय कहा भी था कि 'देखते हो ? इस जेल का परकोटा इतना छोटा क्यों है ? यहां से भागना असंभव है, क्योंकि जंगल में जर्रा वाले मार डालते हैं, और 1000 मील पानी भी बीच में पार करना पड़ता है। यह हिंदुस्ततान की जेल नहीं है, कि जहां से तुम्हारे खत चोरी चोरी ही चले जाएंगे और अखबारों में भी छप जाएंगे।' यह बात सुनते ही मेरे मन पर बारी के बल का प्रतिबिंब पड़ गया था, कि उसको पराजित करने वाला आंदोलन ही है, और उसकी पोल को अब तक कोई खोलने वाला न मिलने के कारण ही वह इतना कूद रहा है। पहले आए हुए भाइयों की दुर्दशा का समाचार भी मिल गया था; कि पहले तो वे आनंद से रहते थे परंतु अब वे दुखी हैं; और इसका कारण बंगाल की खुफिया पुलिस है जो कि भेद पूछने के लिए यहां थी परंतु निराश होकर चली गई और हाकिमों...

एक दिन चीफ कमिश्नर के यहां जाना पड़ा। हमारे साथ पठानों को ही रक्षक बनाकर भेजा गया था। हमें वहां एक बंगाली बाबू के दर्शन भी हुए, जो किसी सरकारी कार्य के लिए वहां आए थे। आपने अपनी मातृभाषा में दुख प्रकट करते हुए, मेरे

11 साथियों को समझाना शुरू किया, कि आप लोग किसी न किसी प्रकार जेल से निकल आएं और जो कुछ काम जेल में दिया जाए, उससे 'अहोभाग्य' कहकर चिपट जाएं। यदि बाहर आ गए तो फिर सब कुछ सहायता मिलती रहेगी, परंतु जेल का राज्य ही पृथक है और बारी-सा राजा संसार भर में न मिलेगा। मैं बंगाली भाषा समझता था तथा अपने तीनों साथियों को अनुवाद करता जाता था। अब प्रश्न यही था कि क्या सब काम करने पड़ेंगे ? क्या उन कामों को किए बिना उद्धार न होगा ? मुझे अच्छी तरह से याद है, "कि मेरे बंगाली भाईयों का मुख मलिन हो गया था और बेचारे सतीश ने तो कहा भी था कि मैं मर जाऊंगा।"

जेल में लौट आने के दूसरे दिन ही एक वार्डर ने अवनी बाबू को हरामी कह दिया। जब मैंने उस शब्द का अनुवाद करके बताया, तो सरकार को बंगाल से भगाने वाले योद्धाओं को बड़ा क्रोध आया और उस वार्डर की पूजा करने पर उद्यत हो गए। परंतु पूजा करने का सामान ही मिल पाया और इतने में दूसरों ने आकर यज्ञ भंग कर दिया। बारी को पता लगा तो कूदता फांदता चिल्लाता हुआ आया और खूब बका। यहां तक धमकियों का ढेर लगा दिया कि मेरे बाबू लोग ही दब गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे। जब बारी ने देखा कि बाबुओं की मस्ती ढीली पड़ गई है तो कहने लगा कि मैं तुमको केवल 1 दिन की हथकड़ी दिलाऊंगा और ऐसा ही हुआ भी। अब तो हमें बांट दिया गया अर्थात प्रत्येक नंबर में तीन तीन कर दिए गए और दो दो पौंड नारियल कूटने का काम भी दे दिया गया। उस समय प्रत्येक नंबर के पैटी अफसरों को बुला बुलाकर, हमारा ईश्वर बना दिया गया था और वे हमें इस प्रकार हांककर ले चले थे, जैसे कि अत्याचारी स्वामी अपने पशुओं को हांकता हो, वह दृश्य तो देखने ही से समझ में आएगा, कि पैटी अफसरों की नाक कहां थी ? आंखें कहां थीं ? मुख का आकार कैसा था ? दांत क्या कह रहे थे और हाथ का डंडा किस प्रकार घूम घूमकर हाथ ही में बना रहता था ?

दूसरे दिन सवेरे ही नारियल का छिलका कूटना पड़ा और दिन भर कूटने पर भी 1 पौंड नहीं हुआ। कूटा तो बहुत था परंतु पहरे वाला चुरा चुराकर दूसरों को देता रहा। रात को हाथों का चमड़ा जलता रहा और प्रातःकाल उठकर शौच जाने के लिए पानी का कटोरा भी न उठा। जैसे तैसे दिन कटा और छिलका 1 पौंड भी न हो पाया। ज्वर आने का नाम लिया तो एक वार्डर कहने लगा, कि नखरा क्यों करता है ? साथ के बंगाली भाई भी व्याकुल होकर कहने लगे, कि दादा ! क्या करें ? हम तो मरे जाते हैं। मैंने अपना दुख छिपाकर, उन्हें साहस दिया और कुछ दिन संतोष रखने का मंत्र पढ़ाया; परंतु हाथों से तो मुख धोना भी कठिन था। दूसरे लोगों को काम सिखाने वाले भी बहुत थे, परंतु हमारे पास तो कोई आने ही न पाता था। जैसे तैसे चार दिन कटे और ऐसा प्रतीत हुआ, कि अब शरीर का अंत होने वाला है। आपस में चोरी चोरी बात कर लिया करते थे, परंतु बात क्या थी ? वही काम

का दुख और हाथों का दर्द। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सात महीने तक, रात को सोते समय हाथ अकड़कर रह जाते थे और प्रातःकाल मुख धोना तक कष्टदायी था। पैटी अफसरों में से एक पठान और एक जिला करनाल का हिंदू था। यह हिंदू बड़ा ही दुष्ट था और किसी न किसी ढंग से बारी का प्यारा बनना चाहता था। अनेक बार उल्टी सीधी बातें भी करता था। परंतु मेरी उस समय की नीति के विरुद्ध होने के कारण चुप रहना पड़ता था। मैं इसी ताक में था कि शीघ्र ही खत लिखकर अखबारों में छपवाऊं, कि हमारी कैसी दुर्दशा हो रही है, महात्मा जी को नीति से तो घृणा थी, परंतु उद्देश्य से प्रेम रखते थे। आपने छिलके का काम सबसे कम किया और हमेशा कह दिया करते थे कि जितना हो सकता है, उतना करता रहता हूं।

एक दिन चार बजे के लगभग दिन भर की कमाई दिखाने के लिए बैठा हुआ था कि एक सिपाही बुलाने आ गया उस समय बारी का न्यायालय जारी था और महात्मा जी तथा बाबूराम हरी मौजूद थे। पहले तो समझ ही में नहीं आया, कि क्या मामला है ? परंतु शीघ्र ही भेद खुल गया कि महात्मा जी बारी के विरुद्ध रिपोर्ट कर चुके हैं कि इसने हमें मुसलमान के हाथ से धोखा देकर पानी पिलवाया और गालियां दिया करता है। वाह रे न्याय। प्रतिवादी ही न्याय करेगा। मेरे सामने बाबूराम हरी का बयान था। आपने साफ साफ कह दिया कि तुमने ही कहा था अन्यथा वार्डर को क्या पड़ी ? चार नंबर का पानी वाला भी आया और ईश्वर को साक्षी बताकर कहने लगा, कि हम लोगों को पानी वही (स्वयं) दिया करता था। पैटी अफसरों ने भी पानी वाले की बात को सत्य बताया। बारी ने फिर मि. हरी से प्रश्न किया, कि देखो यह लोग क्या कहते हैं। मि. हरी ने कहा कि जो कुछ तुम कहलाते हो वही वे कहते हैं। इस बात को सुनकर बहुत कूदा, परंतु हम लोगों पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। अब बाबूराम हरी को मुख दूसरी ओर करके खड़ा होने का हुक्म देकर मुझसे पूछने लगा, कि यह क्या बात है ? मैंने भी सब कहानी सुनाई और कहा कि इस हाल को जानने वाला सबसे पहले मैं ही था। अब न्यायकर्ता ने महात्मा जी और मि. हरी का टिकट लेकर रिपोर्ट लिखी, कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट की, परंतु जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनसे उनके हृदय का रूप चमक रहा था। रिपोर्ट की भाषा यह थी-

``Making a false and malicius charge against his overseer." सुपरिंटेंडेंट कप्तान वार्कर थे और बड़े ही दयालु थे। वे बारी के मुख से निकले हुए शब्दों का पालन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। बस फिर क्या था ? दोनों मिथ्यावादियों को दंड मिला और बारी निर्दोष ही रहा।

मैंने उस हिंदू पैटी अफसर की कृपा से बचने का अन्य उपाय न देखकर, सुपरिंटेंडेंट से प्रार्थना की, कि मुझे चक्की पीसने का काम दे दो तथा उसने भी स्वीकार

कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही चक्की में जा लगा तथा सोने के लिए भी उसी बैरक में चला गया। अभी दो दिन भी न हुए थे कि संग्रहणी ने आ पकड़ा और लगभग दो सप्ताह तक खूब कष्ट उठाया। बारी शाम के वक्त आया करता था और महात्मा जी की निंदा जेल भर में कर डाला करता था। साथ ही यह भी सुना दिया करता था कि अब उसे बेंत लगने ही वाले हैं। एक दिन जब चुरट (सिगार) पीता हुआ, बगल में डंडा दबाए हुए मेरे सामने आया तो कहने लगा कि 'क्या तुम हमेशा बीमार ही रहोगे ? मैं तो तुम्हें कोल्हू में भेजने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ?' मैंने दूसरे दिन ही डाक्टर से कहा कि अब मुझे काम पर जाने दो और बारी का कलेजा ठंडा हो जाने दो। डाक्टर बड़ा योग्य था और आत्मा का अधिक मान करता था। मैं इस समय लगभग 15 पौंड कम हो गया था, बस उसने वार्कर साहब से कहकर 6 सप्ताह के लिए आराम का काम दिलवा दिया और अब मैं 1 पौंड छिलका कूटने के लिए इसी नंबर में रहने लगा।

इसी नंबर में पुराने पुराने पापियों का खजाना था। और प्रत्येक अनहोना काम यहीं होता था। मुझे भी अच्छा समय मिला, कि चुपचाप एक खत लिख डालूं। मेरे जिले का एक अहीर पैटी अफसर यहीं था और वह मुझे बड़ी सहायता देता था। छिलका तो कुटा कुटाया ले आता था कि मेरे दोनों साथी बंगाली भी मजा करते थे। उसने मुझे थोड़ा-सा नील ला दिया था और एक बिगड़ा-सा निब भी कहीं से उठा लाया था। इस नील से थोड़े-से पानी में डुबकी लगाकर स्याही बनाई और निब ने दातुन की लकड़ी के साथ बंध जाने पर कलम का काम किया। अब केवल इतना ही प्रश्न था कि पत्र डालने वाला कौन है ? जेल से बाहर तो चला जाएगा परंतु अंडमान से बाहर कैसे जाएगा ? इसी उधेड़बुन में मुझे कोल्हू में जाने का सौभाग्य भी मिल गया। बारी ने 6 सप्ताह के बदले दो सप्ताह बीतते ही ठेल दिया और इस प्रकार हेम दादा, उल्लासकर आदि से मिलने का सुअवसर मिल पाया। हम लोगों को इनसे अलग रखा गया था और बारी ने कहा भी था कि पहले बंगालियों ने एक वर्ष में भी इतना उपद्रव नहीं किया जितना हमने एक सप्ताह में ही कर दिया है।

हेम दादा से मिलकर बहुत-सी बातों का पता लगा। आपने जेल के दूतों का भी हाल बताया और सावधानी से पत्र लिखने का मत दिया। अपनी कार्यप्रणाली भी बताई कि हम लोग तो अब तक चुपचाप रहे हैं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार रहने की इच्छा करते हैं। इस समय मैं 10 दिन ही कोल्हू में रहने पाया और फिर लौटकर 3 नंबर में आ गया। यहां आते ही सुपरिंटेंडेंट से एक पत्र लिखने की आज्ञा मांगी और कई दिन पीछे लिखने का सामान भी एक वार्डर सिपाही के द्वारा मिला; परंतु बारी का हुक्म भी सुना, कि अंग्रेजी में पत्र लिखना होगा। वह पत्र मैंने दिल्ली निवासी पं. लक्ष्मीनारायण जी को लिखा था, जो कि इस समय 7 वर्ष की जेल यात्रा

पूरी करके आ गए हैं। अंडमान से पत्रों में किसी प्रकार की शिकायत लिखने की आज्ञा नहीं है, परंतु मैंने निम्नलिखित पत्र लिख डाला था और भेज भी दिया गया था।

प्यारे भाई, वंदे मातरम्

मैं यहां 5 अक्तूबर को आ गया था। आने के बाद कुछ दिन बीमार रहा था, परंतु अब अच्छा हूं। यहां की जलवायु बहुत ही खराब है। हिंदुस्तान की जेलों में रहते हुए, मैं स्वप्न देखा करता था कि अंडमान में जाने से स्वतंत्रता देवी के दर्शन होंगे, यहां तो मैं जेल ही में बंद हूं। और आशा है कि कभी भी बाहर निकलने का समय न आएगा। जो दशा मेरी इस समय है उससे अनुमान होता है कि अब तुमसे भेंट न होगी, अगर मैं यहां मर जाऊं तो माता जी को खबर मत करना और हमेशा यही लिखते रहना कि मैं आनंद से हूं। यदि जी चाहे तो उत्तर दे देना। मैं अब एक साल तक पत्र न लिख पाऊंगा और आपका भेजा हुआ भी एक से अधिक न मिलेगा। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

आपका प्रेम पात्र और दुखी भारतमाता का एक दीन पुत्र बाबूराम हरी भी कोल्हू में जा चुके थे तथा महात्मा जी भी उसी के बैल बने थे, परंतु आपसे कभी पूरा काम नहीं हुआ। धमकियां प्रतिक्षण मिला करती थीं; परंतु वे तो सिवाय ईश्वर के अन्य वस्तु से डरते ही न थे। इस समय तक हथकड़ी, गंजी आदि कई बार पा चुके थे और बेड़ियों को पहनकर आनंद से फिरा करते थे। रात के समय भी एक घंटे तक कोठरी में घूमते थे और पढ़ने के लिए पुस्तकें हमेशा मांगा करते थे। परंतु बंगाली भाइयों की दीनता के कारण यह कृपा बंद हो चुकी थी। इतवार के दिन 9 बजे पुस्तकों की गठरियां बांधकर लाते थे और दो दो पुस्तकें प्रत्येक मनुष्य को दे जाते थे, परंतु 4 बजे से पहले ही लेकर गोदाम में जमा कर देते थे। महात्मा जी की कृपा का फल सबसे पहले यही मिला कि हमें एक पुस्तक हमेशा साथ रखने की आज्ञा मिली और यह भी तब मिली, जब कि चीफ कमिश्नर से दुख रोया गया और उसने भी सोचा शायद किताबें देने से वे पूरा काम भी कर देंगे।

मेरे बंगाली भाइयों ने किसी न किसी प्रकार बारी की अनुमति लेकर यह नियम बना लिया था, कि जब उनमें से कोई कोल्हू में जोता जाए, तो उसके साथी उसे सहायता दे सकें। अब यही नीति महात्मा जी के लिए भी बन गई और हम लोग सहायता दे देकर उनका काम पूरा करते रहे। जैसे तैसे चार महीने काटे और अब मुझे अपना गुप्त पत्र लिखने का अवकाश भी मिल गया। क्योंकि इस समय तक हमारे मित्रों की संख्या बहुत हो गई थी। मुझे जिस सज्जन ने इस काम में पूरी सहायता दी थी, वह आज स्वर्ग में है और उसका चित्र मेरे हृदय में है। यदि हमारे साथ कठिनता से व्यवहार करने का नियम न होता तो यह खत भी न लिखा जाता, क्योंकि

सब साथ साथ रहने की दशा में, मैं कदापि लिखने का साहस न करता और यदि करता तो वह भेद भी वहीं खुल जाता। यह दिन इतवार का था और कपड़े धोने के बाद सब कैदी एक जगंह ठंडक में बैठे थे। मित्र के साथ तो सब फैसला हो ही चुका था, कि क्या क्या करना है ? मैंने जानबूझ कर अपने किसी साथी से बातचीत करने की ठानी ही थी, कि मित्र ने देख लिया और गड़बड़ मचाता हुआ आ ही पहुंचा। आते ही हुक्म दिया, कि तुम बड़े बुरे आदमी हो और मेरी बदनामी कराना चाहते हो ? चलो ! मैं तुम्हें ऊपर की लैन (मेरे सोने की कोठरी) में बंद करूंगा। मैं भी चुपचाप अपने थाली, कटोरे, किताब आदि लेकर चल दिया। पुराने पुराने दो चार कैदियों ने उसे समझाया भी कि जमादार ! जाने दो। गरीब को बैठा रहने दो परंतु उसका-सा हाकिम और मेरा-सा गरीब कहां था ? न उसने सुनी और न मैं ठहरा। पानी वाले को देखकर बोला कि मुझे पानी दे दे अन्यथा प्यास प्यास करने पर भी पानी न मिलेगा। मैं मन ही मन में उसकी चतुराई पर हंसता था, कि यदि पानी न लेता तो स्याही कैसे बनाता ? जब तक मैं खत लिखता रहा तब तक वह स्वयं पहरा देता रहा और किसी वार्डर को भी पास न आने दिया। जब लेख पूरा हो गया तो नीचे उतार लाया और धमकी देकर कहने लगा कि यदि अबकी बार बात की, तो सीधा बारी साहब के सामने ले जा कर खड़ा कर देगा।

खत का डालने वाला स्वयं कलकत्ते आया और डाकखाने में खत पहुंचा कर आनंद के साथ शहर में घूमता रहा। महाराज 12 दिन कलकत्ते ठहरता है और इतना समय अखबार वालों के लिए बहुत है। बस जहाज लौटने से दो तीन दिन पहले ही मैंने अपने साथ में रहने वालों से कह दिया, कि अब हमारी तलाशी होने वाली है, मुझे पता था कि जहाज में अखबार आएंगे और उनको पढ़ते ही अंडमान में आग लगेगी। जहाज 9 बजे आया और 11 बजे ही पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बारी आ धमका। मेरे सामने होता हुआ निकल गया और यह भी न पूछा कि क्या हाल है ? महात्मा जी की तलाशी लेते समय तो कुछ न मिला, परंतु चीफ वार्डर ने कंठ पकड़ कर मुंह में हाथ डाल दिया और पुकारने लगा कि इसके मुख में गिन्नी थी, वह भीतर खा गया है। अब क्या था ? डाक्टर से कह कह कर जुलाब दिए गए और तीन दिन एक हवलदार का पहरा रहा। प्रत्येक दस्त (शौच) के बाद यही धुनि मचती थी कि गिन्नी निकली ! गिन्नी निकली ! परंतु निकलेगी कहां से ? यदि होती तो निकलती भी। उस पत्र में महात्मा जी का हाल अधिक होने के कारण बारी को यही विश्वास था, कि यह उन्हीं का काम था। हेम दादा को कभी सजा न मिली थी और वे हमेशा दुखी रह कर भी चुप रहा करते थे, परंतु आज की तलाशी में खाने की तंबाकू पकड़ी गई और चार दिन की हथकड़ियों से काम पड़ ही गया।

आज से मेरी नीति भी भाग गई और भविष्य में मर्द बनकर रहने का संकल्प भी कर लिया। अब विचार यही था, कि सबके सब मिलकर काम छोड़ें तो अच्छा

हो ? मेरे साथी भाई डरते थे; परंतु महात्मा जी और बाबूराम हरी तैयार थे। चिंता यही थी, कि श्री वारेन्द्रकुमार की मंडली से भी सम्मति ले ली जाए; परंतु शीघ्र ही अवकाश भी मिल गया, कि 6 नंबर में मरम्मत होने के कारण वहां के पांच भाई मेरे ही नंबर में आ गए और दूसरे दिन बारी ने भी (न जाने क्यों) आज्ञा दी, कि प्रत्येक बंगाली को तीन तीन दिन के लिए सरसों के कोल्हू में भेजते रहो और किसी की भी दुर्बलता पर ध्यान मत दो। यह आज्ञा दो दिन बाद पालन की जाने वाली ही थी और अब बंगाली बंधुओं को भी चिंता थी कि यह नाव कैसे पार लगेगी ?

श्री इन्दुभूषण का बलिदान

जिस समय मेरे बंगाली भाइयों को जेल से बाहर भेजा गया था, उस समय इन्दु को एक 'रामा' नामक बदमाश को पीटने के अपराध में तीन महीने की कोठरी बंद (Separate conffinement) सजा दी जा चुकी थी और और इसी सजा के कारण वे बाहर नहीं गए अर्थात तीन महीने की अवधि पूरी करके ही बाहर जा सकते थे। बाहर गए हुए भाइयों की दुर्दशा भी मालूम ही थी, क्योंकि बीमार होने की दशा में उन्हें जेल ही में बंद होना पड़ता था और बाहर के अस्पतालों में न रखकर नंबर 1 की कोठरियों को बसाया जाता था। श्री सुधीर कुमार सरकार को जंगल काटने का काम दिया था और वे तमाम दिन भूखे रहकर काम करने योग्य न होने के कारण, चीफ कमिश्नर से अपना दुख रोए थे; परंतु उसने तो उलटी धमकी ही दी और सुधीर महाशय को जेल में आकर कोल्हू में लगा दिया गया। मैं भी उस समय नंबर 6 में रहता था और सुधीर को काम करने में सहायता देता रहता था। इन्दु भी कोल्हू ही में था और जेलर ने धमकी दे देकर कई बार कह दिया था कि तीन माह तक यही काम करना पड़ेगा। इन्दु ने अनेक बार कोल्हू का काम किया था और वह कभी भी हिम्मत हारने वाला न था; परंतु सुधीर का कष्ट सुनकर उसे बहुत खेद था। जब एक दिन जेलर से गालियां खाकर लौटा तो बहुत गंभीर तथा उदासीन भाव से मेरे साथ मिलकर प्रश्न किया कि "हम यहां क्यों आए" ?, "हम इतने दुख क्यों उठा रहे हैं ?" मैंने अपनी क्षमतानुसार उत्तर दिया कि "हमने अपने देश के दुखों का भार अपने ऊपर लिया है। हमारा देश अब कुछ आनंद पा सकने योग्य हुआ होगा, क्योंकि हमने उसका दुख अपने शरीर के ऊपर ले लिया है।" युवक वीर ने फिर प्रश्न किया कि क्या आप सब भाइयों के दुख को मैं अपने ऊपर लूं ? मैंने आनंद प्रगट करते हुए कह दिया कि "ऐसा करने वाले को धन्यभागी ही कहना पड़ेगा।" यह बात तो चोरी चोरी हो गई और ये 3 नंबर में चले गए। परंतु कुछ भेद न खुला कि क्या कारण था अथवा हमारा सबका दुख कैसे दूर होगा ? अंडमान में आत्महत्या करने वालों के कारण अनेक प्रकार के प्रबंध बन चुके हैं अर्थात कोई रस्सी अथवा चमड़े का मोटा फीता, जो कि बेड़ियां पहनने वालों को दिया जाता है और वे उसी को अपनी कमर में बांधकर बेड़ियों को ऊपर उठाए रहते हैं, कोठरी

में बंद होते समय बाहर ही ले लिया जाता है। नहाने के समय काम देने वाली लंगोटी भी इसी प्रकार ले ली जाती है और किसी प्रकार का लंबा कपड़ा नहीं दिया जाता। देशभक्त इन्दु को मरते समय भी यही ध्यान रहा, कि उसकी आत्महत्या के कारण कैदियों को किसी प्रकार का नया दुख न दिया जाए, अतएव उसने अपने पहनने के दूसरे जोड़े को हाथ भी नहीं लगाया, शरीर में पहने हुए कुर्ते को उतारकर अलग रख दिया और जांघिया उतारकर फाड़ा तथा रस्सी बनाकर, नंगे होकर फांसी लगा ली। पहरे वाले को उस समय पता लगा कि जब सब काम पूरा हो गया और यमराज के दूतों के आने से पहले ही सब काम समाप्त हो गया।

दिन निकलते ही 3 नंबर में सोने वाले कैदियों ने 6 नंबर को आकर हाल सुनाया कि एक बंगाली मर गया; परंतु मुझे अपने भाइयों के ऊपर यह विश्वास ही न था क्योंकि उस समय 3 नंबर में श्री गणेश दामोदर सावरकर, मौनीगोपाल मुकर्जी, और इन्दु बाबू रहते थे। इन तीनों वीरों की सहनशक्ति तथा आत्मबल पर विश्वास रखने वाले की समझ में ही न आएगा कि आत्महत्या करने पर उद्यत हो। अंत में एक परिचित कैदी ने नाम लेकर कहा कि आज इन्दु बाबू ने दुखों का नाश कर धर्म का मार्ग लिया है। थोड़ी ही देर में यमराज की आज्ञा हुई, कि बंगालियों को (राजनैतिक कैदियों) को आपस में मिलने न दिया जाए क्योंकि आपस में लड़कर ही इन्दु ने फांसी लगाई है। इन्दु ने खत भी लिख छोड़ा था। उसे रात के समय ही जेलर ले गया और पता भी न लगने दिया कि उसमें क्या था ? यह समाचार मुझे एक हैड वार्डर (सिपाही जमादार) ने बताया था, जो कि जेलर के साथ आया था। अब तो सबके सब गड़बड़ करते दिखाई देने लगे और समाचार मिला कि मजिस्ट्रेट आकर जांच करने वाला है। जेल में रहकर मैंने बहुत-से लोगों को आत्महत्या करते देखा था परंतु मजिस्ट्रेट कभी नहीं बुलाया गया था। जेल के भीतर (भारतवर्ष में भी यही दशा है कि) यदि कोई कैदी मर गया तो पशु के समान समझा जाता है और यदि भाग गया तो सिंह से भी अधिक भयानक होता है। आज 28 अप्रैल सन 1912 में मरने से क्या अद्भुत लीला है, वह समझ में नहीं आया ? मन में बहुत दुख था और रह रहकर रोना आता था; परंतु अपने भाई को देखने का भी सौभाग्य न था और प्रार्थना करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला।

मजिस्ट्रेट के आते ही तीन भाइयों को बुलाया गया, जिनमें से एक तो सुधीर बाबू ही थे, जो कि मेरे साथ में ही रहते थे। महात्मा नन्दगोपाल को उन दिनों जेलर ने अपना मित्र बना लिया था और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातें किया करता था। उसे आशा थी कि महात्माजी उसकी प्रशंसा करेंगे, अतएव गवाही के लिए बुलवा भेजा। श्री गणेश सावरकर को भी समयानुसार नीति बदलने वाला समझ कर बुलाया और सुधीर की ओर संकेत करके मजिस्ट्रेट कहने लगा, कि देखो ! बाहर से काम छोड़कर आने वाले भी, जेल में सुख मनाते हैं तथा यही मेरे उत्तम व्यवहार का उदाहरण

है। मजिस्ट्रेट था तो पुराना, परंतु अंडमान का पुराना अफसर ही अधिक कुटिल होता है। उसने सुधीर से प्रश्न करके यही समस्या उठाई कि क्या तुम जेल में खुश हो ? सुधीर ने उत्तर दिया, कि बाहर रहकर पेट का दुख सहना कठिन था और जब जेल में आकर चुपचाप काम कर रहा हूं, तो मेरा दुखी होना प्रमाणित न हो सकेगा।

जेलर ने पहले ही से मजिस्ट्रेट को अपनी पट्टी पढ़ा दी थी, कि इन्दु पागल हो गया था और सबसे लड़ता फिरता था तथा उसी पागलपन में मर गया है। सुधीर ने इस बात का विरोध किया और कहा कि उसके समान आत्मसंयमी मिलना कठिन है। मजिस्ट्रेट बार बार वही प्रश्न करता था और जेलर भी आंख मिचका कर संकेत कर रहा था कि ऐसा ही कह दो, परंतु हठीले सुधीर ने अपने बंधु का अपमान नहीं किया और उन्हीं शब्दों के साथ गवाही समाप्त कर दी।

महात्मा नन्दगोपाल जी ने अपनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाकर कहा कि इसी जेलर के अत्याचार से दुखी होकर, इन्दु ने आत्महत्या कर डाली है तथा जेलर की यही कामना है कि हम लोग किसी न किसी प्रकार मर जाएं। इन्दु के आचरण की महिमा गाकर अपना कथन पूरा करना चाहते ही थे, कि जेलर ने न बोलने दिया और मजिस्ट्रेट से कहने लगा कि पोर्ट ब्लेयर भर में नन्दगोपाल के समान मिथ्यावादी मिलना कठिन है, तथा भोले भाले बंगालियों को उपद्रवी बनाने वाला भी यही है। मजिस्ट्रेट ने भी केवल सिर को हिलाडुला कर समय बिताया, क्योंकि वह जेलर को (बारी) को भली भांति जानता था कि उसका सा पाजी मिलना कठिन है; परंतु अब एक राजद्रोही और सरकारी सत्ता का झगड़ा था ? अंत में बारी ने महात्माजी को धमकी देकर कहा, कि यदि तुम्हारी जुबान से कोई शब्द निकला, तो मैं उसी समय लगाम लगवा दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम कितने बक बक करने वाले हो। मजिस्ट्रेट ने क्या सुना अथवा क्या लिखा ? इस प्रश्न का उत्तर शैतान देगा, क्योंकि ईश्वर तो वहां है ही नहीं।

तीन नंबर में रहने वालों में से यदि नौनीगोपाल को बुलाया गया होता, तो वह महात्माजी से भी आगे जाने वाला था; परंतु गणेश सावरकर महाशय ने अपना धर्म छोड़ दिया। आज वे छूट आए हैं और मैं अब भी उनके दर्शन करने का अभिलाषी हूं। परंतु परीक्षा के समय दुर्बलता दिखाने का दोष दिए बिना न रहूंगा। आपने कोई बात भी खुले प्रकार से नहीं कही और वाक्य चातुरी का प्रमाण देते हुए दोनों ओर की लीपा पोती करते रहे। मुझे यह हाल सुधीर बाबू ने आकर सुनाया था।

बाहर में रहने वाले भाइयों ने भी दूसरे दिन यह समाचार सुन लिया था। मैंने प्रार्थना भी की थी, कि अपने भाई की अंत्येष्टी क्रिया करने की आज्ञा दी जाए; परंतु जबाब ही नहीं मिला। वारेन्द्रबाबू उस समय बाहर ही थे और बहुत दुखी हुए थे। परंतु क्या कर सकते थे ? आपने इन्दु का मृतक संस्कार किया तथा लगभग चार सौ आदमियों को भोजन दिया था। यह भोजन व्यवस्था दो इतवारों को की

गई थी। अर्थात पहले इतवार को दो सौ ब्राह्मण और दूसरे इतवार को दो सौ ब्राह्मण और दो सौ अन्य परिचित पुरुषों को यथाशक्ति उत्तम भोजन दिया था।

चीफ कमिश्नर को इस भोज की गुप्त सूचना मिल चुकी थीं और थोड़े दिनों बाद उसका भयंकर रूप भी दिखाई पड़ गया था कि बंगालियों के पास बहुत धन है तथा वे यहां भी बम बनाकर चीफ कमिश्नर, को मार डालेंगे; यदि उनके दूसरे साथी राजनैतिक कैदियों को भी जेल से बाहर न निकाला गया।

यह कब संभव था कि मि. सावरकर तथा मेरे समान पापियों को जेल के बाहर निकाला जाता ? संभव था कि हमारे पाप-बोझ से अंडमान ही रसातल को चला जाता।

बाहर में रहने वाले भाइयों ने समाचार पत्रों में इस घटना का समाचार दिया था, तथा इस बात का अधिक आंदोलन करने वाले मि. बनर्जी थे। आपकी उदारता को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, भारत सरकार ने सबसे बड़े डाक्टर को भेजा था। यह डाक्टर एक वय प्राप्त मनुष्य था और राजनीति में भाग न लेने के कारण बड़ा दयालु था। उसने हमारे दुखों को अच्छी तरह समझ लिया था तथा अंडमान के राजा से कह दिया था और उसने भी स्वीकार कर लिया था कि हम लोगों को कोई महाकठिन काम न दिया जाएगा। इस तिथि के बाद हमें कोल्हू में जाने का सौभाग्य नहीं मिला। यह इन्दु का रक्त था जिसने आज हमें जीवित देश पहुंचाया है, अन्यथा सबके सब वहीं मर गए होते। अंडमान के कैदी शेर अली खां को और हम लोग इन्दुभूषण राय चौधरी को कभी न भूलेंगे।

आज 10 वर्ष से इन्दु का स्थान स्वर्ग में है तथा उसका पवित्र आचरण और प्रफुल्ल मूर्ति हमारे हृदय में है। यदि हो सका तो इसी पुस्तक में उसका फोटो भी दिया जाएगा। उसकी सजा 10 वर्ष की थी और आयु लगभग 24 वर्ष।

धर्मघट

बारी की आज्ञानुसार जो खलबली पड़ी थी, उससे मेरा मन्तव्य अच्छा बन गया। दूसरे दिन इतवार भी था, बस हेम दादा को उनके साथियों सहित इकट्ठा करके, अपना व्याख्यान आरंभ कर दिया, कि 'भाइयो ? कब तक बैल बने रहोगे ? आपकी शांति की सीमा है या नहीं ? दूसरे कैदियों को एक महीने कोल्हू में रख कर, फिर दुबारा नहीं भेजा जाता, परंतु हमें तो दो दो महीने से भी अधिक काम करना पड़ा है और अब लगातार सरसों के कोल्हू में जाना पड़ेगा। मेरे बहुत से भाई तो ऐसे दुर्बल हैं कि काम कर ही न पाएंगे ? क्या अब भी कुछ सोचना है ? हेम दादा ने भी दुख प्रकट करते हुए कहा कि हमें नीति बदलनी ही पड़ेगी। परंतु साथ ही यह भी कह दिया कि वे स्वयं काम करते ही रहेंगे तथा अन्य साथियों को स्वतंत्रता के साथ न करने में सहमत रहेंगे। अब तो मेरा उत्साह और बढ़ गया और बाबूराम हरी आदि को भी धर्मघट का समाचार दे दिया। वे तो पहले ही से तैयार बैठे थे।

सोमवार को प्रातःकाल तीन बंगाली भाइयों के नाम पुकारे गए, परंतु काम करने के लिए केवल एक गया। बारी समझ तो गया था, कि क्या बात है; परंतु ऊपर से दृढ़ बना रहा और दूसरे दिन ही, दूसरे तीन भाइयों को भेजा, जो कि चुपचाप काम करने लगे। तीन दिन बीतते ही महात्माजी और मेरी बारी भी आ गई; परंतु काम करने एक भी न गया। अब तो सनसनी-सी फैलने लगी और बारी ने सुपरिंटेंडेंट के सामने मुझे बुलवाया। वह जानता था कि मेरे समान जेलभक्त कोई नहीं है। सुपरिंटेंडेंट भी कहने लगा कि तुम क्यों इंकार करते हो ? यदि तुम्हारा जेल आचरण अच्छा न रहेगा, तो दरबार के समय तुम्हारे छोड़ने की सिफारिश कैसे की जाएगी ? यहां तो नहीं के सिवाय कुछ जानते ही न थे; बस चेतावनी देने के बाद तीन महीने की बेड़ी और तीन महीने कोठरी बंद का हुक्म देकर, सामने खड़े होकर बेड़ियां डलवा दीं और फिर कोल्हू में ले जाने का हुक्म दिया। मैंने कोल्हू के नंबर में जाकर काम करने से इंकार कर दिया तो फिर बुलवा भेजा और 7 दिन को खड़ी हथकड़ी के साथ 4 दिन की कंजी भी दे दी। यही सजा महात्माजी आदि को भी दी गई।

अब यह धर्मघटता देखकर चीफ कमिश्नर को भी सूचना दी गई और वह दूसरे दिन ही आ पहुंचा। प्रत्येक को समझाता फिरा कि काम करो, लेकिन सबका

यही उत्तर था कि कब तक करें ? मेरे पास आकर बोला, कि यदि तुम एक दिन भी काम करोगे, तो मैं यह सजा माफ कर दूंगा। परंतु मुझे इंकार ही करना पड़ा और कह दिया कि अब शरीर में शक्ति ही नहीं रही। अंत में चीफ कमिश्नर ने दूसरे कैदियों से सहायता दिलाकर काम पूरा कराने और फिर कोल्हू में कभी न भेजने का वचन दिया, तो मैं भी राजी हो गया तथा हथकड़ी में से निकलकर 6 नंबर में आ डटा। दूसरे भाइयों ने भी इसी नियम पर काम करने की सम्मति दी और अब हम लोगों को केवल इतना काम करना पड़ता था, कि जब तेल तैयार हो जाए तो ले जाकर गोदाम में पहुंचा दें। महात्माजी ने कोई शर्त ही नहीं मानी और बराबर हथकड़ी में लटकते रहे। अब हमें रस्सी बनाने का काम दिया गया।

एक दिन मैं परेड पर खड़ा हुआ था और किसी प्रकार की प्रार्थना भी नहीं की थी; परंतु बारी ने सुपरिंटेंडेंट से कहना आरंभ कर दिया, कि उसकी बेड़ियां काटने का हुक्म दे दो, क्योंकि वह अच्छा काम कर रहा है। सुपरिंटेंडेंट ने पहले तो बहाना किया, कि मैं अपनी सजा को स्वयं कैसे काटूं; परंतु बारी के समझाने पर कि, सजा मत काटो; परंतु बेड़ियां कटवा दो, वह भी राजी हो गया। मेरी बेड़ियां कटी हुई देखकर सुधीर कुमार सरकार ने भी वही दशा करा ली। मैंने लगभग तीन सप्ताह बेड़ियां पहनी थीं; परंतु यह पता भी न था कि इसके बदले में 6 वर्ष तक और पहननी पड़ेगी। हथकड़ी और कंजी की सजा पूरी करके महात्माजी भी नाम मात्र कोल्हू में चले गए और बारी का कलेजा ठंडा करना चाहा; परंतु वह खून का प्यासा, पानी से कब तृप्त हो सकता था ? उन्हें तो रस्सी के बदले छिलका कूटने में लगाया और वे उस समय बहुत ही दुर्बल हो गए थे। बारी ने सुपरिंटेंडेंट को ऐसी पट्टी पढ़ाई, कि उसने उन्हें 5 नंबर में ऊपर ले जाकर बंद कर दिया और खाने के लिए चावलों का पानी (1 पौंड) देने लगा। भूख अधिक लगने की दवा भी दी जाती थी और एक हवलदार आकर अपने सामने खड़ा होकर, शौचादि से निवृत करा के बंद कर जाता था। मुझे उस समय उसी नंबर में रहने का सौभाग्य प्राप्त था। पहले दिन तो कुछ पता न लगा, परंतु दूसरे दिन से दस बारह रोटियों का बंडल बांध कर, ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। स्कूल में जो क्रिकेट का खेल खेला था वह इस समय काम आया। क्योंकि निशाने पर पहुंचाना बड़ी होशियारी का काम था। महात्माजी बड़े खिलाड़ी थे और रोटियों का बंडल अच्छा लपक लेते थे। जब एक सप्ताह बाद तौल हुई तो महात्माजी का वजन 2 पौंड अधिक हो गया।

दो पौंड बढ़ने की बात सुनकर जेल भर पाताल को जाने लगा। बारी का पेट इतना ढीला पड़ गया कि पतलून भी गिरा जाता था। सुपरिंटेंडेंट तो पागल ही दिखाई पड़ता था। अब फिर वही काम जारी हुआ। परंतु हैडवार्डर के बदले 4 पठान कैदियों को ला बिठाया और उन्हें सब हाल बताकर कह दिया गया कि यदि होशियार न रहे तो कोल्हू में जुतना पड़ेगा। मैंने बहुतेरा जोर लगाया और वार्डरों को समझाया;

परंतु किसी ने न माना। उस समय मेरे मन में जो कष्ट था, वह अभी तक याद है, कि मैं खाने के लिए बैठ बैठ कर उठ जाता था और महात्माजी की भूख सामने ही खड़ी रहती थी; परंतु वे प्रसन्न थे और प्रत्येक बार प्रश्न करने पर यही कहा करते थे कि कुछ परवाह नहीं है। मैंने अन्य मित्रों से धर्मघट आरंभ करने की प्रार्थना की, परंतु यही निश्चय हुआ कि एक सप्ताह व्यतीत होने पर देखा जाएगा। जब सप्ताह बीता तो तौल हुई और 3 पौंड कमी देखकर बारी का मुख लाल होने लगा। सुपरिंटेंडेंट ने भी महात्माजी के टिकट पर लिख दिया कि आज से पूरा भोजन और कल से रस्सी का काम।

इसके थोड़े दिनों बाद हमारे साथी 5 बंगालियों को बाहर भेज दिया गया। ये सब मेरे साथ ही अंडमान आए थे, परंतु दो की सजा तीन तीन वर्ष और तीन की पांच पांच वर्ष थी। इस बाहर भेजे जाने की नीति का फल इतना अवश्य हुआ कि दूसरों को भी आशा लगी। उसी समय जेल के पास की पहाड़ी काटकर जेलखाना बढ़ाने का काम चल रहा था; अतएव थोड़े से बंगालियों को इस मजदूर टोली के साथ भेजा जाता था। थोड़े दिनों के बाद मैं और महात्माजी भी वहीं जा पहुंचे; परंतु बरसात के समय कीचड़ और मिट्टी के काम ने थका दिया। यद्यपि हमें बैठने का पूरा समय मिलता था, परंतु काम भी करते ही थे और नीचे ऊपर की नमी के कारण बुखार-सा बना रहता था, बारी से कहा भी कि हमें इस कृपा से दूर ही रहने दे; लेकिन वह किसी की न सुनता था ? उल्टा यह कहने लगा कि क्या बाहर कभी नहीं जाओगे ? यदि अंदर रहकर काम करना चाहते हो तो कोल्हू में भेजूंगा। एक दिन ज्वर चढ़ता जाता था और संध्या भी होती ही थी, कि घाट पर से नारियल ढोने का हुक्म हुआ। जब नारियल न रहे तो बेंतों के बंडल उठाने का हुक्म मिला। वजीरा नामक वार्डर बड़ा मूर्ख था और झगड़ालू भी था। उसने मुझे इतना सताया कि क्रोधी बनकर मार कर, समुद्र में फेंकने की धमकी देनी पड़ी; परंतु यह तो फांसी लगने तक का अपराध था। संतोष इतना था कि कोई गवाह न था, परंतु हाय ! महात्माजी तो थे ? वे तो कभी झूठ न कहते। अच्छा ही हुआ कि बारी ने उनसे नहीं पूछा और दूसरे दिन से हमें अंदर ही रोक दिया गया। थोड़े दिन जैसे तैसे कटे। दिल्ली दरबार के समय छूटने की बड़ी आशा थी परंतु आशा और निराशा का एक ही रूप बन गया। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि चीफ कमिश्नर ने आकर सब बंगालियों को बुलवा भेजा और समझाया कि "अब बंग भंग नहीं रहा; देश में भी शांति है। अब तुम बाहर जाओ और अच्छी तरह से रहो।" इस मौखिक आशा के थोड़े दिनों बाद ही, लिखी हुई आज्ञा भी आ गई और बहुत लोग बाहर चले गए। हमारी तो किसी ने याद भी न की। एक दिन बारी से पूछने पर पता लगा कि जब चंद्रमा का रंग सफेद हो जाएगा तब हम बाहर जा सकेंगे। मैंने तो फिर भी पूछा कि इंग्लैंड में तो चंद्रमा हमेशा सफेद ही रहता है; परंतु उसको तो अंडमान में वही

रंग दिखाना था।

थोड़े ही दिनों में बाहर वाले भी भीतर लौटे और इन्दु के मरने से सबके हृदय पर चोट थी अतएव फिर धर्मघट आरंभ हुआ और लगभग 20 भाइयों ने हिस्सा लिया। इस समय चीफ कमिश्नर की बातों में आकर शचीन्द्रलाल मित्र ने बड़ा अनर्थ किया और इन्दु के मरने का कारण भी मनमाना लिखकर दे दिया। उस समय से ही "नौनीगोपाल मुकर्जी" ने भोजन करना तथा थोड़े दिनों बाद कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। श्री विनायक सावरकर को हमने धर्मघट में शामिल न होने ही की सम्मति दी थी; अतएव वे दूर ही रहे। इस समय अधिकांश बीमार थे, विशेषतया बाहर से आने वालों का तो हाल ही बुरा था। इस समय हम सबको एक बैरक में बंद किया जाता था और बारी दिन में दो तीन चक्कर लगाकर, कभी धमकी देता तथा कभी चापलूसी भी करता था। इस समय का उद्देश्य यही था कि अच्छा व्यवहार तथा अच्छा काम मिले और सबके सब बाहर भेज दिए जाएं। चीफ कमिश्नर भी आया और यही बात सुनकर चला गया।

चीफ कमिश्नर के चले जाने के बाद बारी आया और कहने लगा कि अंडमान में अच्छा काम ही नहीं है जो कि तुम्हें दिया जाए, परंतु आराम का काम दिया जा सकता है। हम लोग इस बात पर राजी हो गए; परंतु सबको बाहर भेजने पर अधिक जोर दिया। आपस में भी यही निश्चय कर लिया था कि यदि एक साथी भी अंदर रह गया तो दूसरे भी बाहर जाने से इंकार कर देंगे। जब चीफ कमिश्नर को यह रिपोर्ट मिली, तो उसने सब बंगालियों को बाहर भेज दिया और मुझे तथा सावरकर भाइयों सहित 6 पापियों को जेल ही में रहने दिया। केवल अश्वनीकुमार बोस ही ने इतना साहस किया था कि बाहर जाने से इंकार कर दिया, अन्यथा शेष सब चले गए। इस प्रकार हमारा धर्मघट भी टूट गया।

जब तक बंगाली लोग जेल में थे, तब तक महात्माजी को जेल से बाहर भेज दिया था। परंतु शीघ्र ही लौटाए गए और एक महीने काम करने के बाद बाहर भेजने का वचन दिया गया। बाबू लद्धाराम (स्वराज्य के अंतिम संपादक) को भी इसी प्रकार समझाकर काम में लगा दिया। अब हम दो तीन ही रह गए, कि जिनकी दशा पर सोचने वाला कोई न था। कई दिन की चालाकियों के बाद बारी ने गणेश सावरकर को भी काम दे दिया और वे भी राजी हो गए क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि सब लोग काम कर रहे हैं, तो तुम क्यों मूर्ख बनते हो ? मुझे इस समय की अधूरी सफलता तथा बंगाली भाइयों की स्वार्थता पर बहुत खेद था। इस समय ढाका बम केस के श्री पुलिन बिहारीदास और ज्योतिर्मय राय भी हमारे साथ आ मिले थे, परंतु धर्मघट में शामिल नहीं हुए। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें अंडमान में आए थोड़ा ही समय हुआ था अन्यथा वे अवश्य हमारे साथी बन जाते।

"यह युवक 14 वर्ष की सजा लेकर सबसे पीछे आया था और बम फेंक कर

हत्या करने की कोशिश करने का अभियोग चला था। पांच नंबर में रहते समय नौनीगोपाल की स्वतंत्रता बड़ी विचित्र थी। यह अफसरों के सामने भी बातें करता रहता था और कहता था कि ईश्वर की दी हुई शक्ति का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। बारी ने उसे दुख देने के लिए, तीन नंबर में अकेला बंद कर दिया और महादुष्ट पठान वार्डर को उसका संरक्षक बनाया। यह पठान जेल के भीतर रहते हुए, वहां के सुपरिंटेंडेंट को मार डालने की चेष्टा करने के अपराध में अंडमान आया था और भयानक टिकट दिया गया था; परंतु बारी ने उसे वार्डर बना दिया था। इस पापी ने उस बालक को बहुत सताया और यही कारण था, कि उसने अपनी हठ भी नहीं छोड़ी।

ऊपर लिखा जा चुका है कि महात्माजी बाहर भेज दिए गए थे। वे वाईफर की छोटी-सी जेल में बंद थे। जब उन्हें अंदर (सेल्यूलर जेल में) बुलाया गया, तो नौनीगोपाल को उनकी जगह भेज दिया। नौनी ने वाईफर में जाकर अन्न-जल त्याग दिया और अपमान के जीने से मरना उत्तम समझा। अंडमान के ईश्वर ने शीघ्र ही नन्दगोपाल को बाहर निकालकर नौनी को जेल में भेज दिया और यंत्र द्वारा दूध पिलाकर प्राण बचाए। हम लोगों ने बहुतेरा समझाया कि भोजन करते रहो; परंतु वह किसकी सुनता है ? वारेन्द्रबाबू इस धर्मघट के समय बाहर थे और समाचार पत्रों में आंदोलन करा रहे थे। एक दिन श्री विनायक सावरकर ने बारी की आज्ञा लेकर, नौनी को समझाया और जब देखा कि वह किसी तरह भी नहीं मानता तो स्वयं भी भोजन त्याग दिया। अब तो नौनी को उन पर दया आई और भोजन करने लगा। अभी थोड़े ही दिन बीते थे, कि सुपरिंटेंडेंट ने उसे दंडस्वरूप टाट का कपड़ा दे दिया; परंतु वह सत्याग्रही बन गया और जब सूती कपड़े बलात छीन लिए गए, तो नंगा ही रहने लगा (Nacked we come out of our mother's womb, and nacked shall be return.) "हम माता के पेट से जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे" का महामंत्र जपकर परमहंस बन गया। चीफ कमिश्नर को सामने देखकर उठा तक नहीं और सलाम भी नहीं किया। उसने पूछा कि क्या चाहते हो ? तो उत्तर दिया कि कुछ नहीं।

इस समय श्री उल्लासकर दत्त पागल हो गए थे, उन्हें तन मन की सुध न थी और यदि कोई सामने जाता था तो चुपचाप बने रहते थे। जिस प्रकार नन्दगोपाल को बिना भोजन रखकर सताया गया था, उसी प्रकार इन्हें भी दो सप्ताह तक रखा था। हथकड़ी और बेड़ी तो एक साधारण बात थी। ज्वर आता था। लेकिन हथकड़ी में लटकते ही थे। जब एक दिन शरीर की सुध न रही, तो अस्पताल की कोठरियों में जा डाला। मैंने आज्ञा भी चाही कि उनकी देखरेख करूं; परंतु यह कब संभव था, कि सरकार के दो शत्रु एक साथ रहें ? अब तो हमें यही दिखाई पड़ता था, कि या तो इन्दु की तरह मरेंगे अथवा उल्लासकर की भांति पड़ेंगे। सौभाग्यवश, समाचार

पत्रों के आंदोलन के आधार पर डा. ल्यूकिस (Lukis) ने हम लोगों को दर्शन दिए और अपनी रिपोर्ट भी सरकार बहादुर के पास भेजी। उल्लासकर दत्त को मद्रास के पागलखाने में भेज दिया गया, परंतु अंडमान की नीति ही अनोखी है और हाकिमों की स्वेच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। रोते हुए को हंसाने वाले उल्लासकर का पागल हो जाना, हमारे कष्टों का उदाहरण है।

समाचार पत्रों में पढ़ने से नौनीगोपाल के ज्येष्ठ भ्राता श्री सुरेन्द्रनाथ मुकर्जी भी अंडमान गए और खुफिया पुलिस भी भेद पूछने के लिए जा पहुंची, परंतु फल कुछ भी न हुआ। न तो नौनी ने कपड़े पहने और न खुफिया वालों को कुछ भेद ही मिल पाया। नौनी के भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वह तो यही कहता रहा कि I must serve the honour and prestige of my motherland. मुझे अपनी मातृभूति का मान और गौरव अवश्य बचाना है।

पांच नंबर में हमें चार चार कोठरियों के अंतर पर रखा गया था तथा एक ही समान तीनों लाइनों में रहते थे। हमने एक सांकेतिक उपाय ऐसा भी निकाला था, कि नीचे रहने वाला अपने दूसरे साथियों के साथ, जो कि ऊपर रहते थे, बात कर सकता था। यह संकेत इतना सरल था, कि दो मिनट ही में सिखाया जा सकता था और अभ्यास हो जाने के बाद कुछ देर भी न लगती था। बारी को भी यह बात पहुंच गई थी, और बहुत ही चिंतित था, परंतु उपाय कुछ भी न था।

जिस समय यह दूसरा धर्मघट चला था, उस समय मैं बीमार था और 1 न. की कोठरियों में रहता था; परंतु रोग अच्छा होने से पहले ही अपने साथियों से आ मिला था। इसी समय मेजर मरे भी लौट आए थे और हमारे विधाता बने हुए थे। कप्तान वार्कर से इनमें बुद्धि अधिक थी; परंतु बारी की पट्टियों में आ ही जाते थे। मि. मरे ने कहा भी था यदि सरकार तुम्हें आज स्वतंत्र कर दे, तो मैं प्रसन्न हूं, परंतु क्या करूं ? जेल का प्रबंध तो करना ही है।

थोड़े दिनों के बाद मि. विनायक सावरकर ने भी काम छोड़ दिया था और लगभग 1 मास तक डटे रहे थे परंतु चीफ कमिश्नर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर काम करने लग गए। एक बार (महात्माजी के बाहर चले जाने पर) मैंने फिर काम छोड़ दिया था। इस समय जेल के सुपरिंटेंडेंट ने धमकाकर कहा कि यदि काम न करोगे, तो हम, तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने भेजकर भारतवर्ष की जेलों में प्रयोग किए जाने वाले नियम के अनुसार, सजा अधिक करा देंगे। मैंने भी स्वीकृति दे दी, कि अच्छी बात है। एक साल और भी सही। वह बोला, कि केवल एक साल ही नहीं ? बारंबार एक एक साल बढ़ने से 50 वर्ष भी हो सकती है। मैंने भी कह दिया कि "यदि विनायक सावरकर की 50 वर्ष कट सकती है तो मैं भी काट लूंगा" इसके उपरांत यह भी कह दिया कि "एकएक साल क्यों बढ़वाते हो ? मैं एक बार सरकार से असंतुष्ट होने के कारण 10 वर्ष की सजा पा चुका हूं और अब फिर दूसरी बार

असंतुष्ट हूं तो 10 वर्ष और दिला दो ?" मेरी यह गंवारू बात सुनकर वह मुझे आधे पागल की उपाधि देकर चला गया।

श्री वामन नारायण जोशी नामक युवक नासिक के हत्याकांड में भाग लेने के अपराध में आजीवन द्वीपां तरण लेकर हमारे साथ था। वह ऐसा सुशील था कि दूसरों में वह गुणहीन बेचारा अंग्रेजी न जानने के कारण, अपने शिक्षित भाइयों से दूर ही रहता था। बंगला भाषा शीघ्र ही सीख ली थी और कुछ कुछ अंग्रेजी भी सीखी थी; परंतु योग्य लोग उसे मूर्ख ही समझा करते थे। मैंने एक बार अपने भाइयों पर कटाक्ष भी किया था और तब से वे कुछ सुधर भी गए थे; परंतु उस पवित्र आत्मा के साथ यथायोग्य व्यवहार नहीं किया गया। बाहर रहने की दशा में उसे भी अनेक कष्ट उठाने पड़े थे और एक बार सजा दिलाने की भी तैयारी हो चुकी थी लेकिन डाक्टर जनरल के आ जाने के कारण सब बात शांत हो गई। मि. सावरकर से उसे हमेशा अलग रखा जाता था और हाकिमों की दृष्टि में खटका ही करता था।

समाचार पत्रों में आंदोलन करके वारेन्द्र बाबू भी बाहर से काम छोड़कर तीन मास के लिए जेल में आ गए थे। उन्हें मालूम न था कि हमारा 'धर्मघट' फूट चुका है। जब कुछ बनते न देखा तो फिर बाहर चले गए। नौनीगोपाल को छोड़कर बाकी सब लोग काम करते रहे और चीफ कमिश्नर उसे पागल बनाकर पागलखाने का मालिक बनाने की चिंता कर रहा था।

धर्मघट का फलाफल

वारेन्द्र बाबू के लेखानुसार, ईश्वर जिसके विरुद्ध हो, उसका निस्तार मरने पर भी नहीं हो सकता, अभी बाहर गए थोड़े ही दिन हुए थे, कि फिर दुखों का पहाड़ टूटा। पापी के मन में सर्वदा भय बना ही रहता है और दूसरों को सुखी देखकर उसका हृदय जलने लगता है। यही दशा अंडमान के हाकिमों की थी, और वे राजनैतिक कैदियों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देना ही अपना कर्तव्य समझते थे। इन दिनों कलकत्ते के समाचार पत्रों में अंडमान क़ा दुख रोया जा रहा था और कर्तृपक्ष को यही विश्वास था, कि बाहर में रहने वाले बंगाली लोग ही लिख लिखकर यह आंदोलन करा रहे हैं। इसमें तो संदेह नहीं, कि बाहर रहकर, वे बिना भोजन रह सकते थे; परंतु भारत माता के प्रेम का स्मरण दिलाने वाले भाइयों को बिना देखे चैन न पड़ता था; यद्यपि यह भेंट चोरी चोरी होती थी और दो तीन से अधिक का मिलना भी कठिन था; परंतु स्वतंत्रता के प्रेमियों में और मनमानी सत्ता में तो बड़ा अंतर है। बहुत-से गोरे अफसरों की स्त्रियां इन युवकों के साथ बहुत दया प्रगट करती थीं और उपन्यास आदि पढ़ने के लिए भी देती थीं। स्त्रियों में दया का भाव अधिक पाया जाता है, चाहे वे किसी भी जाति की क्यों न हों ? संभव है, कि भारतवर्ष के मनुष्यों के समान दूसरे देशों की स्त्रियों में भी दया न हो और इस दया के ठेकेदार भारतवासी इन शब्दों को अपना अपमान सूचक समझें; परंतु मैं तो अपने भाव ही प्रगट करना चाहता हूं।

एक दिन सूर्य निकलते ही अंडमान में तलाशी की धूम मची। इस प्रकार की तलाशी वहां के इतिहास में पहली ही थी और इसका प्रभाव बहुत दिनों तक बना रहा। जिस प्रकार भारतवर्ष में बम की तलाशी का आडंबर रचा जाता था, वैसा ही खेल वहां भी खेला गया। राजनैतिक कैदियों को जा पकड़ा, और उनके सोने बैठने आदि के स्थानों को खोद खोदकर फेंकना आरंभ कर दिया। मिलता क्या ? सिवाय दो एक पत्रों और कविताओं के कुछ भी न मिला। बाबू लद्धाराम के पास एक टीन की स्याही भरी कलम (Fountain) मिली। परंतु कुछ मिले या न मिले उद्देश्य तो अवश्य पूरा करना था। बस सबको पकड़कर जेल में पहुंचा दिया और उसी प्यारे 5 नंबर में बंद कर दिया।

इस समय नाना प्रकार के समाचार मिलते थे कि अमुक अमुक स्थानों पर तलाशी ली गई है और दो एक बोतलों में कुछ मिला भी है। कोई कहता था कि बंगाली लोगों ने यह विचार किया था, कि बम के गोले बनाकर पोर्ट ब्लेयर उड़ा दें और एक जहाज पकड़कर भाग चलें। कोई कहता था कि बाहर वाले बंगालियों ने यह कहा था कि यदि हमारे अन्य भाइयों को जेल से बाहर न निकाला जाएगा तो वे चीफ कमिश्नर को मार डालेंगे। एक प्रेमी वार्डर ने बाहर जाकर अनुसंधान किया तो पता लगा कि लालमोहन शाह नामक एक बंगाली कैदी ने यह समाचार दिया था, कि वे बम बना रहे हैं। बोतलों के पकड़े जाने से कुछ संदेह भी था; परंतु उनमें तो नारियल का तेल ही निकला। अब क्या कर सकते थे। चुपचाप काम करने लग गए और जब चीफ कमिश्नर आया तो प्रश्न किया कि हमारा अपराध तो बताओ ? हम दुखी जीवों पर इतना कोप क्यों है। उसने तो केवल एक बात में ही फैसला कर दिया कि मुझे तो भारत सरकार ने यही आज्ञा दी है। अब यह बात कौन पूछे, कि भारत सरकार को क्या क्या लिखा गया अथवा उसने यह आज्ञा क्यों दी ? इसके उपरांत बाहर के अन्य लोगों को पकड़कर सजा भी दी गई थी। उनका अपराध यही था कि वे हमारे साथ मिलते जुलते थे, और दो एक स्वतंत्र लोगों के पास समाचार पत्र आते थे, जिन्हें हम लोग पढ़ा करते थे।

दो तीन मास बीतने पर सर रेजिनाल्ड क्रैडोक (Sir Reginald craddock) अंडमान के दर्शन करने आए (पाठकों यह नाम नवीन न होगा। क्रैडोक देवता को मध्य प्रदेश की चीफ कमिश्नरी के बाद, होम मेंबर बनाया गया था और हमारा सत्यानाश करने में चतुरता दिखाने के कारण, बर्मा का गवर्नर भी बना दिया था। अब वे भारतवर्ष को अभागा समझकर स्वदेश जा रहे हैं।) हम लोगों ने समझा कि अब तो हमें स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। वारेन्द्र बाबू ने अभी अपना दुख सुनाया भी न था कि चीफ कमिश्नर स्वयं कहने लगा कि तुम लोग बाहर रहकर राजद्रोह का परामर्श (Conspiracy) करते थे। जब उत्तर दिया गया कि पहले तो तुम कहते थे, कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं और यदि यही बात थी, तो चोरी चोरी जेल में डालने के बदले अदालत में मुकदमा क्यों नहीं चलाया। क्रैडोक ने हंसकर उत्तर दिया कि तुम क्या सोचते हो ? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है ? नौनीगोपाल ने भी सब दुख सुनाया और उसका इलाज उसे यही बताया गया (स्वयं क्रैडोक ने कहा था) कि 'तुम सरकार के शत्रु हो तथा तुम्हें मार डालना ही मुनासिब था।' नौनी ने भी कह दिया कि यदि यही नीति है, तो फिर अदालतें बनाकर क्यों वृथा खर्च किया जाता है ? गोली मारने से तो सब झगड़ा मिट जाता है।

हम लोग जो आशा लगाए बैठे थे, वह इस प्रकार पूरी हुई। अब क्या करें ? धर्मघट करने के लिए भी बहुत-से लोग हिचकते थे और दो दिन की अवधि थोड़ी रही थी। दो तीन युवकों को काम छोड़ देने का बड़ा उत्साह था और वे दूसरों से

भी कहते फिरते थे; किंतु पिछली असफलता के कारण उनका मन खट्टा हो चुका था। महात्मा नन्दगोपाल भी अस्पताल के दूध में मग्न थे और धर्मघट का नाम भी न लेते थे। इस समय वारेन्द्र बाबू के उत्साह ने अधिक काम किया और विशेषकर इन शब्दों ने कि 'जब अधिक संख्यक लोग धर्मघट में आ मिलेंगे और शेष न आएंगे तो मैं उन्हें देशद्रोही समझूंगा।' बस, अब यही निश्चय कर लिया कि तब तक काम में हाथ ही नहीं लगाएंगे। इस समय कर्नल डगलस चीफ कमिश्नर थे और बड़ी भारी धमकी भी दे चुके थे, लेकिन दुख को सहन करने की शक्ति न रहने के कारण प्राणों की चिंता ही नहीं रही और धर्मघट प्रारंभ हुआ।

इस धर्मघट से कुछ दिवस पूर्व ही श्री कालीदास घोष का देहांत हो गया था। आपको बहुत दिनों से मलेरिया ने पकड़ लिया था और बहुत दुखी होने के समय भी पांच नंबर ही में बंद रहे। जब नितांत क्षीण हो गए तब अस्पताल में दाखिल हो गए और चलते समय अपने भाइयों से कह गए कि अब मैं लौटकर न आऊंगा। अतएव अंतिम प्रणाम करता हूं। किसी को ध्यान भी न था कि उनका वचन ही सत्य होगा। पहले तो दो एक दिन तक 1 नंबर की कोठरियों ही में बंद रहे, परंतु पीछे अस्पताल के बड़े हॉल में रखे गए। अभी दो दिन भी न हुए थे कि चारपाई से गिरकर प्राण भी छोड़ दिए और हमको पता भी न लगा। मेजर मरे ने कह दिया कि उन्हें तो पता ही न लगा कि क्या रोग था ? पीछे काले ज्वर का नाम ले दिया और हमें दर्शन करने से भी रोका गया। काली बाबू के संबंधी भी जेल ही में थे, परंतु उन्हें भी पास न जाने दिया। यह युवक बड़ा ही उदार था और मेरे ऊपर बड़ा प्रेम करता था। कई महीनों तक साथ में रहकर उसके स्वभाव का परिचय मिल गया था कि कैसा सुशील और सत्यवादी था। खुलना षड्यंत्र वालों में ऐसा त्यागी कोई न था। इसमें संदेह नहीं, कि उसका प्राण लेकर नौकरशाही ने डाक्टर को कह दिया था; कि दोनों समय जाकर हम लोगों को देखता अथवा पूछता रहे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है ? इस प्रकार एक अमूल्य रत्न खोकर कोल्हू से छुटकारा मिला और दूसरे को खोकर दिन में दो बार डाक्टर के दर्शन मिलते रहे। इन्दु, काली बाबू और उल्लासकर का हाल देखकर हृदय तो मर ही गया था। इस समय हम सब आपस में मिलते जुलते तो थे, लेकिन विश्वास उठता जा रहा था। हम सब मिलकर 33 थे, जिसमें से 5 देश में जाकर आनंद करने लगे और 3 की दशा पाठकों को मालूम ही है। अब शेष 25 को साथ में लेना था; परंतु कैसे लें ? अपने ही साथी कुटिलता कर बैठते हैं तो दूसरों का क्या दोष है ? इस धर्मघट के समय मेजर मरे अंडमान के मेडिकल अफसर बन गए थे। और एक नए देवता फ्लावर ड्यू आकर हमारे स्वामी के स्वामी बन चुके थे, सुधीर सरकार, बाबूराम हरी और वीरेन्द्र चन्द्रसेन के छूटने का समय थोड़ा ही था तथा हम उन्हें देश को भेजकर आंदोलन कराना ही उत्तम समझते थे तथा धर्मघट से अलग रखना ही यथेष्ट था; परंतु सुधीर सरकार ने किसी

की न सुनी। वीर का कथन था कि 'जहां मेरे सब भाई मरेंगे वहां ही मैं भी मरूंगा। यदि भाइयों को देश के दर्शन भी न हो और मैं वहां भेजा जाऊं तो संसार मुझे क्या कहेगा ?' होतीलाल जैसा छछोड़ा भी तैयार था कि काम छोड़ दो, परंतु दूसरों के कष्ट से ही लाभ उठाने वाला बना रहा और धर्मघट में नहीं आया।

सर क्रैडोक के चले जाने के बाद ही हमें बताया गया था, कि हिंदुस्तान की जेलों में लौटाने का प्रबंध हो रहा है। मेजर मरे ने स्वयं यह बात कही थी और हमें भी विश्वास था, कि वे झूठ कभी न कहेंगे। कई बार प्रश्न भी किए, परंतु वही उत्तर मिला कि प्रबंध हो रहा है। जब कई मास तक कोई उत्तर न आया और नगेनचन्द्र आदि अधीर होकर काम छोड़ बैठे तो अंतिम धर्मघट आरंभ हुआ और निश्चय कर लिया, कि चाहे कुछ भी दुर्दशा क्यों न हो परंतु अंडमान में रहकर कार्य न करेंगे। जन्म कैद वालों को छह छह महीने की चैन गैंग दी गई और तीन को मजिस्ट्रेट के सामने सजा बढ़ाने के लिए भेजा गया। इस समय नौनीगोपाल हमारे साथ नहीं आया और वारेन्द्र बाबू की भी यही सम्मति थी, क्योंकि उन्हीं के समझाने पर उसने कपड़े पहनना और काम करना आरंभ कर दिया था। ढाका के पुलिन बाबू और मि. विनायक सावरकर को छोड़कर शेष सब आ मिले; परंतु महात्माजी अस्पताल ही में रहे।

जिस मजिस्ट्रेट के सामने बाबू लद्धाराम, नगेनचन्द्र तथा सुधीर का मुकद्दमा पेश होने वाला था, वह बड़ा ही उदार कहा जाता था। मुकदमे से एक दिन पहले वह स्वयं जेल में आया और काम न करने का कारण जानने के लिए तीनों दोषियों को बुलवा भेजा। जब हमारे दुखों की कहानी सुनाई गई तो दुखी तो हुआ और कहने भी लगा कि तुम्हारा कहना सत्य है। परंतु अब कानून का प्रयोग करते समय तो दंड देना ही पड़ेगा सुधीर बाबू के ऊपर एक...

श्री उल्लासकर दत्त ने कार्य छोड़ते समय कहा था कि–

दूसरे के भय से किसी प्रकार का काम करना भी मनुष्यपन से च्युत करता है। अब हमें भी उन्हीं के वाक्य याद आ रहे थे और बारंबार यही विचार उत्पन्न होता था, कि प्रारंभ में चुपचाप काम करने का यही फल है। इस समय हमारी साधारण सजा यह थी कि कोठरी बंद और काम बंद तथा पुस्तकों का पढ़ना बंद। थोड़े दिन इसी प्रकार कटे और यद्यपि भयानक से भयानक प्रकृति वाले पैटी अफसरों को हमारे ऊपर नियत किया गया था, तथापि वे उतने उद्दंड न थे।

एक दिन संध्या समय भोजनादि से तृप्त होकर, हम जोड़ी जोड़ी बैठे थे और अपनी अपनी कोठरियों में बंद होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह दिन शनिवार था और महाराज जहाज कलकत्ते जा रहा था। चलने के समय जो तीन बार भों भों करता था, वह भी एक बार तो कर चुका था; परंतु शेष करेगा या नहीं–यह उसकी

इच्छा; क्योंकि अंडमान में नियमों से शत्रुता है। इतने ही में दो सिपाही आए और मेरा नाम लेकर पुकारा। बाबू लद्धाराम को तो 2-3 मिनट पहले ही ले गए थे और महात्माजी, होतीलाल तथा बाबूराम हरी को भी फाटक पर बुलाकर कपड़े बदला दिए थे। पाठक यह न समझें कि रेशमी अथवा नए नमूने के कोट पैंट आदि। यह तो वही कपड़े थे जो कि हम देश की जेलों से लेकर आए थे और लगभग चार वर्ष से गोदाम में पड़े पड़े दुर्गंध देने वाली मशीन बन गए थे। मुझे यह कांड समझने की शक्ति न थी, तथा जल्दी करो, जल्दी करो की ध्वनि के मारे समय भी न था, परंतु बारी कहने लगा कि तुम वाईफर की जेल में जाओगे और इसी प्रकार दूसरों को भी पृथक पृथक स्थानों के नाम बताए।

इस समय हमारे लिए पुलिस का पहरा न था। जेल के फाटक से केवल बारी, ओवरसियर और जेल का सुपरिंटेंडेंट ही साथ था। अभी 50 गज भी न गए थे, कि लुइस (Lowis) मजिस्ट्रेट भी मिल गए और लद्धाराम जी से कहने लगे कि तुम...? उत्तर में लद्धाराम जी ने कहा...यह बात मत...अंडमान में आप ही आप केवल ईमानदार कहे जाते हो। इस पर अच्छा ! जल्दी चलो...बंद कर दिया। घाट पर पहुंचने पर पुलिस का गोरा इंस्पेक्टर और (अंडमान के जज) मिले। एक बड़ी नाव में आठ पुलिस वाले तैयार थे...काम करते थे। अब एक ओर हम दूसरी ओर साहब लोग ...साहब ने सिपाहियों को आज्ञा दी, कि पहले उन्हें स्टीमर पर पहुंचा स्थानांतर करो। जब हम जहाज के पास पहुंचे और सीढ़ी के साथ लुइस पहले चढ़े और पीछे से जेल के सुपरिंटेंडेंट ने उठकर चढ़ने का इशारा किया। इस समय हमने उसे...

नर्क के जीवन में : कतिपय उदाहरण

अंडमान में बर्मा देश के अनेक लोग 121 धारा के अनुसार भेजे गए थे। उन बेचारों को पता भी न था, कि राजनैतिक समस्या कैसी होती है ? उनके लिए आपस में बातचीत करने की भी कोई बात न थी; परंतु आते ही कोल्हू में अवश्य भेजे जाते थे और थोड़े दिन में निकाल भी दिए जाते थे। वे अधिकांश...काम करने लगे थे, और जब बारी ने हम लोगों को सुनाया था कि...अनुसार हमें प्रत्येक काम करना पड़ेगा तो हम समझे थे कि भंगी का काम भी हमारे हिस्से में अवश्य ही आ जाएगा; परंतु हम सोचते ही रहे और सोचते सोचते वहां से चले भी आए।

पढ़े लिखे कैदियों को हम से अलग रखने का भी विशेष ध्यान रखा जाता था और अनेक बार उन्हें हमारी मित्रता के पाप में दुख भी उठाना पड़ता था; परंतु फिर भी लोग न मानते थे। दिल्ली दरबार के बाद सीलोन (लंका) के कैदी भी अंडमान आने लगे थे। वे अपने देश की भाषा के अतिरिक्त और कुछ न जानते थे; परंतु हमारे ऊपर बड़ा प्रेम करते थे। एक युवक अंग्रेजी भी पढ़ा हुआ था और मेरा मित्र होने के अपराध में कई बार गालियां भी खा चुका था, पश्चात नंबर भी बदल दिया था। बाहर जाते समय, जब मैंने उसको अपना संदेश भेजा कि 'आनंद करो और शादी करके प्रसन्न रहो' तो उसने भी कहला भेजा था, कि मैं तो शादी उस रोज करूंगा, जब भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाएगा।' इस बात से इतना पता अवश्य लगा, कि हमारे साथ रहने में कुछ शक्ति अवश्य है।

सीमा प्रांत के पठानों में भी कुछ भद्र लोग थे; परंतु अधिकांश पाजी थे। खोइदाद नामक पैटी अफसर बड़ा पाजी था। वह कहा करता था, कि हिंदुओं पर अत्याचार करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। उसकी आवाज भी बड़ी भयानक थी और प्रत्येक बात पर यही कहा करता था कि 'शर्म करो ! बंगालियो-शर्म करो' एक बार मेरे साथ पाजीपन करने के बदले में सुपरिंटेंडेंट के सामने खड़ा भी किया गया था। परंतु बारी की चालाकी के चक्कर में पड़कर साफ छूट गया। वह बड़ा ईमानदार था परंतु कैदियों का खाना चुराकर खा ही लेता था। एक बार आपस में लड़कर बाहर चला गया था परंतु बाहर से भी...बाजीराव नामक चमार को सब बजीरा ही कहते थे। वह लंबा परंतु काला न था। बंबई प्रांत से आकर पहले वार्डर तथा पीछे पैटी अफसर

बना। कैदियों का बड़ा ही शत्रु। परंतु सावरकर भाइयों का दास। बंगाली लोग भी उससे दुखी और वह स्वयं सबसे दुखी। पठानों के समान उसमें बल न था और मूर्ख होने के कारण...भी पूरी पूरी न कर पाता था। बारी भी उससे तंग आ गया था और प्रतिमास..., ता ही रहता था। मेरे साथ भी समुद्र तट पर मार डालने की धमकी वाला कांड हो चुका था। एक दिन एक पुराने चोर को एक तमाचा मारा ही था, कि उसने तो दो तीन दांत निकाल डाले और बहुत-सा रक्त भी गिरा दिया। डाक्टर की परीक्षा से भी चोट लिखी गई और बजीरा हवालात में बंद हो गया। सब यही कहते थे, कि बजीरा का काम समाप्त है; परंतु वाह रे बारी और वाह रे मैं। मैंने बारी को बातों में लगाकर उसका नाम लिया तो सब हाल मालूम हो गया और बारी कहने लगा कि अब तो यह काम डाक्टर के हाथ में चला गया। मुझे बारी का सब स्वभाव मालूम था, कि उसकी तारीफ करके चाहे कुछ करा लो। बस फिर क्या था ? मैंने कहा कि तुम्हारे काम में दखल देने का अधिकार डाक्टर को नहीं है, और यदि, डाक्टर न सही तो सुपरिंटेंडेंट तो तुम्हारे हाथ में है ? उसे अबकी बार अवश्य छोड़ दो और बड़े साहब से कह दो, कि तुम उसे यह मौका और देना चाहते हो। बारी बोला कि वह तो तुम्हारा शत्रु है। मैंने भी हां कहकर कह दिया कि वह ऐसा पागल है कि उसकी प्रशंसा कोई भी न करेगा। अंत में ऐसा ही हुआ और जब बजीरा को मालूम हुआ कि उसका बचाने वाला मैं हूं तो वह बड़े गुण गाने लगा। मुझे याद है कि उसके पश्चात वह बहुत सुधर गया था।

मिर्जाखां पठान, परंतु बड़ा चालाक था। पठानों में इतना चालाक मुश्किल से मिलेगा। वह बारी की गालियां खाते खाते पक्का हो गया था और उसको प्रसन्न करने की नीति भी सीख चुका था। यह जेल में रह कर पैटी अफसरी से टिंडैल और फिर जमादार बना। जेल में वही सबसे पहला जमादार था और मीठी मीठी बातें करते करते ही चोट भी कर बैठता था। बारी ने अनेक बार सौगंधें दीं कि वह लोगों का खाना न खाए, परंतु मिर्जाखां ने कभी न छोड़ा और जब एक दिन दही चुराकर पीते पकड़ा गया तो माफी मांगकर प्रतिज्ञा भी कर ली कि फिर ऐसा काम...का बेटा कभी न माना।

आज मेरे कारण एक हवलदार का बलिदान होने वाला था...कोई दूसरा बंगाली होता, तो मिर्जाखां के शत्रु का सफाया हो ही चुका था। मैंने बारी को बहुत चतुरता से समझाया और कहा कि तुम संदेह मत करो। बारी बोला, कि यदि तुम (मैं) मेरी जगह पर होते तो क्या संदेह न करते ? मैंने साफ कह दिया कि मैं तो मिर्जाखां की बात पर कभी विश्वास ही न करता, यद्यपि वह सच्ची ही क्यों न होती ? दूसरे, सिपाही की दशा का ऐसा उदाहरण बताया, कि बारी को उसके पागल होने का विश्वास आ गया और चीफ वार्डर को आज्ञा भी दे दी गई कि इस पागल हैड वार्डर का ध्यान रखना। हवलदार तो छूट गया, परंतु मिर्जाखां मेरी ओर से कुढ़ता ही रहा।

कभी कभी दूसरों के साथ बातें करते करते कहा भी करता था कि वह मेरी बातों से बहुत डरता है।

जिस समय हम लोग अंडमान की जेल में पहुंचे थे, उस समय प्रत्येक नंबर के लिए दो दो पैटी अफसर नियत थे। प्रातः और संध्या सबके सब आ जाते थे परंतु रिपोर्ट (गिनती) पूरी हो जाने के बाद केवल एक ही भीतर रहता था। उस समय टिंडैल तीन थे, और पैटी अफसरों के समान 6 घंटे नौकरी दिया करते थे...हम लोगों का पत्र समाचार पत्रों में छपा, तो बारी ने अपनी सेना बढ़ाई, प्रत्येक नंबर...अफसरों को नियत करके उनके ऊपर एक टिंडैल भी नियत किया। यह टिंडैल प्रत्येक बात का जवाबदार बनाया गया। टिंडैल की खुशी कि चाहे जब आए और चाहे जब बाहर जाए। इस नई भर्ती के समय बाहर से भी दो चार पैटी अफसर आए और दो चार दिन खेल तमाशा देखते रहे। जब देखा कि जेल में रहना दिल्लगी नहीं है तो फिर बाहर चले गए। बारी ने अपने प्यारे प्यारे वार्डरों को ही पैटी अफसर बनाया। उसके प्यारे कौन थे ? जो कैदियों को अधिक सताते थे, वे ही उसके प्यारे। बहुत-सों की 5 वर्ष की कैद भी नहीं कट पाई थी, परंतु अंडमान में कानून भी तो घर का ही है। जो पैटी अफसर बारी की आज्ञा पाने के अयोग्य थे, वे सबके सब निकाल दिए गए। उन्हीं में मेरा मित्र भी था। पठानों की देखा-देखी एक हिंदू पैटी अफसर भी गरम होना सीखना जानता था और राजनैतिक कैदियों की शिकायतें करने का ठेका लेना ही चाहता था, परंतु शीघ्र ही मर गया। अशरफअली नामक वार्डर भी बारी का बड़ा प्यारा था। वह पहले बर्मा देश में पुलिस में नौकरी करने के कारण बड़ा ही चालाक बन गया था। वह जिसकी शिकायत करता था, उसका सत्यानाश करना बारी का काम था। एक दिन मेरे साथ भी टकरा गया और उसका कारण एक राजनैतिक कैदी को शौच जाने से रोकना था। इस अपराध में मुझे तीन महीने कोठरी बंद रखा गया था और एक हथकड़ी भी मेरे सामने ही लटकती रहती थी, कि कहीं उस पर चोट न कर बैठूं। जेलखाना भर उसको गालियां दिया करता था, परंतु वह भी समय पाकर सबका बदला चुका देता था। अनेक लोग प्रातःकाल उसका मुख न देखते थे, क्योंकि सबका यही कथन था कि उसका मुख देखने से रोटी नहीं मिलती। इसके चक्कर में पड़कर दो हवलदारों ने अपना पद खो कर घर का रास्ता लिया था। मिर्जाखां आदि बहादुर भी उसके फंदों से डरते थे, परंतु वह भी ऐसा चालाक था कि जिन लोगों की बारी सुनता था उनकी बुराई वह कदापि न करता था।

एक समय लाल बिहारी नामक स्थानीय कैदी...चीफ कमिश्नर के पास भेज दिया। बारी न पता ने लगने के कारण दूसरे एक स्थानीय कैदी को कोल्हू में रगड़ना आरंभ कर दिया और जब पता लग गया तो लाल बिहारी की कुगति बना डाली। थोड़े दिनों के बाद चार्ली फिर जेल से भाग गया और भागते समय दफ्तर का रुपया

(लगभग 50) भी ले गया। थोड़े दिनों बाद जब पकड़ा गया तो बारी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अन्य भगोड़ों के समान उसे कोल्हू में भी नहीं दिया। चार्ली का मुख देखकर बारी ऐसा डर जाता था कि न जाने वह क्या कर डालेगा ? दूसरे जेल अफसर (कैदी अफसर) भी उससे घबराते ही रहते थे और वह सबको नचाया करता था। यह एक ऐसा पापी था, कि किसी प्रकार का भी भय उसके पास न आता था।

जेल के बाहर पहाड़ काटने का काम करते समय, एक दिन मैं घाट पर नारियल ढोने वालों के साथ घूम रहा था, कि एक कैदी मुंशी मिला। वह मेरे गले का गलघंट देखकर कहने लगा कि आप तो स्वदेशी मालूम होते हो। 'हां' कर देने पर उसने अपने पास से दो रुपए निकालकर पैरों में रख दिए। मैंने कहा कि...कैसे ? मैं तो देवता नहीं हूं ? वह आंखों में पानी भरकर कहने लगा...स्वीकार कर लो। जब मैंने वह रुपए उठाकर तथा उसको धन्यवाद देकर फिर उसी को देने का प्रयत्न किया तो वह कहने लगा कि यदि इन रुपयों को आप न लोगे तो मैं इनको अवश्य ही किसी कुकर्म में व्यय करूंगा। यदि आपके पास रहेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे इसके उपरांत कहने लगा, कि मैं कल कुछ मिठाई लाऊंगा। परंतु मैंने इंकार कर दिया और कह दिया कि विदेशी चीनी की मिठाई खाना मेरे लिए पाप है। मेरी बात सुनकर उसने भी प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह स्वयं भी यह मिठाई न खाएगा।

जेल के बाग में एक बुड्ढा बंगाली मुसलमान बागवानी करता था। वह बड़ा ही सज्जन था और हम लोगों के लिए पके हुए केले रख छोड़ता था तथा मिलते ही अलग बुलाकर खिला देता था। वह हम लोगों को देखकर प्रेम अश्रुजल बहाया करता था। थोड़े ही दिनों बाद वह छूटकर देश को चला आया था।

जिस समय बारी जेल के भीतर आने लगता था, तो एकदम सन्नाटा छा जाता था। वह कभी कभी अपनी लंगड़ी औरत तथा एक मात्र पुत्री को भी साथ लेकर आता और बड़े अभिमान के साथ हम लोगों के पास आकर बातचीत भी करता रहता था। सबसे पहले वह वारेन्द्र बाबू के साथ अधिक बात करता था, परंतु महात्माजी के पहुंच जाने के बाद उसे उन्हीं से दो दो हाथ करने में आनंद आता था। मि. विनायक सावरकर के ऊपर बहुत ही प्रेम करता था और जब एक बार तीन मास की छुट्टी लेकर गया था, तो अपने साले के पास (उसे ही अपना स्थानापन्न बना गया था) पत्र लिखकर मि. सावरकार को भी सलाम लिखा था। बारी ने मि. सावरकर को हमेशा 7 नंबर में ही रखा था, क्योंकि उस नंबर में उसकी आंखें प्रत्येक समय पड़ती रहती हैं और उसके रहने के स्थान से प्रत्येक कोठरी दिखाई देती रहती है।

हम लोग हमेशा तथा हर समय ही अपराधी बने रहते थे। जिस समय बाबूराम हरी ने बारी को मुसलमान द्वारा पानी पिलाने के संबंध में खरी खरी बातें सुनाईं तो बारी ने संकेत करके मिर्ज़ाखां को समझा दिया, क्योंकि वही उनके नंबर का राजा

था। मिर्जाखां ने प्रातःकाल ही उन्हें और अश्वनीकुमार को लाकर पेश कर दिया, कारण यही कि प्रातःकाल दोनों ने एक-दूसरे को देखकर प्रणाम कर डाला और इस प्रणाम ने जेल का कानून तोड़ डाला। प्रतिदिन ऐसे अनेक अपराध करने वालों को 1 वर्ष तक सदाचारी बनकर दिखा देना कैसा असंभव था। इस असंभव बात को हेमचंद्र बाबू ने संभव करके भी दिखा दिया था परंतु तंबाकू पकड़ी जाने से पापी बन गए। बारी ने तंबाकू देने वाले का नाम जानकर उन्हें छोड़ना चाहा परंतु हेम दादा न माने। चीफ कमिश्नर की आज्ञा यह थी, कि एक मुकदमे वालों को आपस में बात न करने दो। परंतु जब एक समय महात्माजी के साथ बात करने के पाप में मेरी रिपोर्ट हुई और सुपरिंटेंडेंट के सामने दंड पाने के लिए जाना पड़ा तो मैंने यही प्रश्न उठाया, कि मैं तो अपने मुकदमे में अकेला हूं अर्थात मेरा साथी कोई भी नहीं है। इसका उत्तर यही मिला कि चीफ कमिश्नर ने...मुकदमे वाला माना है।

जिन लोहे के बर्तनों में हम खाना खाते थे, साबुन के पानी से धोए जाने के कारण खराब हो जाते थे। इनको साफ रखने का नियम यही है कि धोने के बाद किसी सूखे कपड़े से पानी सुखाकर, तेल का भीगा हुआ कपड़ा फिरा दिया जाए। यह कपड़ा मिलना तो कठिन न था; परंतु उसका बना रहना, पैटी अफसरों की कृपा के बिना असंभव था। अनेक बार यह कपड़ा छीन लिया जाता था और हम फिर कहीं न कहीं से प्राप्त कर ही लेते थे, कई बार इन्हीं कपड़ों को लेकर पेशी कराने (सजा दिलाने) का प्रयत्न भी किया गया; परंतु जहां तक मुझे स्मरण है, बारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इस प्रकार चोरों के मुख की ओर कृपा दृष्टि रखने वाला भाव हमेशा बनाए रखना पड़ता था।

हमारे कारण सैकड़ों कैदी वार्डरों को तोड़कर कोल्हू का बैल बना दिया गया था। यदि किसी वार्डर ने पैटी अफसर को असंतुष्ट कर दिया तो फिर उसकी दुर्दशा समीप ही आ जाती थी अर्थात हमारे साथ बातें करने के अपराध में उसे रगड़ दिया जाता था। अनेक बार पठान वार्डरों को भी सजा मिली और बारी ने उन्हें हजारों गालियां देकर कहा, कि तुम सरकारी आदमी होकर, सरकार के शत्रुओं के साथ प्रेम रखते हो ? बड़े शर्म की बात है, जिस पैटी अफसर पर बारी अप्रसन्न हो जाता था उसको दूसरे दिन हम लोगों के ऊपर कुछ न कुछ बात बनाकर अपनी बहादुरी दिखानी पड़ती थी। इसमें संदेह नहीं कि पैटी अफसरों का साहस हम लोगों को गाली देने अथवा मारने का न होता था; जैसा कि वे अन्य कैदियों के साथ रात दिन किया करते थे।

बाहर के अस्पतालों में राजनैतिक कैदियों को न रखने का सबसे बड़ा कारण यही था, कि उनमें दो एक बंगाली डा. और बंगाली कंपाउंडर थे। अंडमान में अफसरों को रात दिन अपने सुख की चिंता के अतिरिक्त...ध्यान भी नहीं आता।

मुसलमानों में धर्म का प्रेम बड़ा ही विचित्र है। वे किसी दशा अथवा देश

में क्यों न हों; परंतु दूसरे धर्म वालों को मुसलमान होते देखकर बड़े प्रसन्न रहते हैं। अंडमान जैसे पापमय भूखंड में जाकर भी वे अपना यह कर्तव्य नहीं भूलते। राजनैतिक कैदियों को मुलसमानों के हाथ का पका हुआ भोजन खाते देखकर वे बड़ा आनंद मानते थे।...और कहा करते थे कि इन लोगों के हृदय में खुदा ताला ने प्रकाश डाल दिया है...कलमा किसी ने भी न पढ़ा तो समझ गए कि यह लोग न हिंदू हैं और न मुसलमान ही। यह भाव पंजाबी सीमा प्रांत वाले मुसलमानों में ही अधिक होता है, बंगाली मुसलमानों को इस बात का ध्यान भी नहीं होता।

चांदी नामक रोड़ा खत्री नवयुवक मिर्जाखां का बड़ा प्यारा था; क्योंकि वह मुसलमान हो गया था। पहले वह लड़कों में रहता था; परंतु पठानों का दोस्त होने के कारण कुकर्मी बन गया और एक लड़के को छुरी से घायल कर डाला। चीफ कमिश्नर ने दया करके उसको 7 वर्ष की चैन गैंग और 60 बेंत का दंड दिया था। बेंत खाकर तो वह पक्का बेहया बन गया था और मिर्जाखां के बल पर ऐसा मुंहजोर हो गया था, कि कहने के लिए स्थान नहीं। जब थोड़े दिनों बाद बाहर गया तब मिर्जाखां के दोस्तों ने उसे जवाबदार बना दिया, (जवाबदार के बनाने का अधिकार प्रत्येक टापू के जमादार को है। वह जिस कैदी को योग्य समझे, उसे दूसरों से काम लेने वाला बना सकता है) तो दूसरे कैदियों पर मनमाना अत्याचार करने लगा। एक दिन किसी हिंदुस्तानी (संयुक्त प्रदेशी)...